हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 2.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

06.04.2015/1400/यूके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 1969

श्री बलदेव सिंह तोमरः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सभा पटल पर जो उत्तर दिया है, उसमें कहा गया है कि शिलाई विधान सभा में कुल 228 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन 228 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से कितनों के पास अपने भवन है तथा कितनो के पास अपनी जमीन नहीं है । जैसा "ख"भाग में कहा गया है कि 41 ऐसे भवन हैं, जिनके लिए जमीन दी गयी है लेकिन अभी भवन निर्माण नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कि इनका निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ है तथा कब तक इनके लिए बजट का प्रावधान हो जायेगा ? क्योंकि ये आंगनवाड़ी भवन दुर्गम क्षेत्रों में हैं और ऐसी-ऐसी जगहों पर आंगनवाड़ी केन्द्र चले हुए हैं, जो ओबरे होते हैं, जहां पशु रखे जाते हैं, उसमें मजबूरी में चलाने पड़ रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक ये भवन बन कर तैयार हो जाएंगे ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि 228 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से कितने भवन विभाग के भवनों में चल रहे हैं तथा कितने केन्द्र प्राईवेट या निजि घरों में चल रहे हैं? तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि शिलाई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो 228 केन्द्र उनमें से 60 आंगनवाड़ी केन्द्र अपने विभाग के भवनों में, 101 आंगनवाड़ी केन्द्र निजि भवनों में या किराये के भवनों में, 6 आंगनवाड़ी केन्द्र बिना किराए के भवनों में और 61 आंगनवाड़ी केन्द्र महिला मंडल, पंचायत-घर, स्कूल भवनों, सामुदायिक भवनों, युवा मंडल भवनों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चल रहे हैं। इनको बनाने के लिए हमारे प्रदेश के सभी 68 विधान सभा क्षेत्रों के लिए 160 आंगनवाड़ी केन्द्रों का लक्ष्य रखा गया है और 2013-14 तक ढाई लाख रुपए में आंगनवाड़ी केन्द्र बन जाता था। किन्तु 2014-15 के बाद ICDS मिशन मोड के तहत यह राशि बढ़ कर साढ़े चार लाख रुपए हो गयी है। अभी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आप लोगों के लिए जो निर्माणाधीन 4 भवन ऐसे हैं, जो बन्द हैं और उनमें से 1 भटवाड़ जो कि कोटी उत्तर पंचायत में हैं, शिलाई-2 में है, शंखोली और पिंजवाना में हैं। इसके लिए साढ़े चार लाख रुपए की राशि दी जा

06.04.2015/1400/यूके/एजी/2

चुकी है । जो बाकी आपके बचे हुए भवन है । उनको भी जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता जायेगा, आपके लिए धन उपलब्ध करवाया जायेगा और बड़ी खुशी की बात है कि आपके पास भवनों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध है ।

06.04.2015/1400/यूके/एजी/3

प्रश्न संख्या- 1970

अध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री राकेश कालिया (ऐबसैंट)

प्रश्न संख्या - 1971

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी है उसमें "क" की सूचना तो रखी है लेकिन "ख" का कोई ब्योरा नहीं दिया है । मैने पूछा था कि विभाग की स्थानांतरण नीति (Policy) की प्रति सभा पटल पर रखें? और उसमें भी जो-जो अपने होम स्टेशन में लगे हुए हुए हैं, चाहे रेंजर, डिप्टी रेंजर या कोई भी है । उनका पूर्ण ब्योरा नहीं दिया गया है । एक डिप्टी रेंजर स्वर्ण सिंह, दफ्तर घर में खोला हुआ है, वह घर में ही लगा हुआ है । उसका ब्योरा नहीं है । न ही यहां पर जो स्थानांतरण पॉलिसी है, वह सभा पटल पर रखी है जब कि इसमें कहा गया है कि "क" और "ख" सूचना सभा पटल पर रख दी गई है । मंत्री महोदय बताने की कृपा करें ?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वन विभाग की कोई अलहैदा स्थानांतरण नीति नहीं है । जो हमारे पर्सनल डिपार्टमैंट की स्थानांतरण नीति है वही नीति वन विभाग में भी लागू होती है ।

एसएलएसएस द्वारा जारी----

प्रश्न संख्या : 1971 जारी...

माननीय उद्योग मंत्री ....जारी...

आपने 'ग' भाग में नीति के बारे में जो सूचना मांगी है, उसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि तबादले कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार ही होते हैं। हाल ही में 18.12.2014 को प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने निर्देश जारी किए हैं कि अपने गृह क्षेत्र और उसके साथ लगते क्षेत्र से कर्मचारियों को हटाया जाए। उसके चलते 15 रेंज फोरैस्ट ऑफिसर, 22 डिप्टी रेंजर और 56 फोरैस्ट गार्ड हटा दिए गए हैं और यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है। केवल 2-3 बातों का ख़याल रखा जा रहा है कि जिनकी रिटायरमैंट अवधि एक साल से कम रह गई है या जो करुणामूलक आधार पर हैं या फिर किसी की कोई विशेष परिस्थिति हो, उनको डिस्टर्व नहीं किया जा रहा है; अन्यथा सरकार के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं जिनके अनुसार होम रेंज में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं रहा है। जो ऐसे कर्मचारी साथ वाले क्षेत्रों में भी हैं उनको चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। जिस मामले का आपने वर्णन किया है, मैं विभाग को निर्देश दूंगा कि उसमें पड़ताल करके उसको बदल दिया जाए।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो होम रेंज या एडज्वायनिंग होम रेंज में हैं, उनको कब तक हटा दिया जाएगा। मैंने स्वर्ण सिंह, डिप्टी रेंजर का नाम लिया है जो घर की रेंज में लगा है। He is appointed in Mid Himalayan Project. उसने घर में दफ्तर खोला है। इसका असर यह है कि जो वर्करज़ डेली वेजिज पर लगे हैं वह आर. डी. आईज. लेते हैं और उसका ब्योरा ठीक तरह से नहीं देते। वहां परमानैंट क्वैश्चन लगाया हुआ है। इसका मेरे पास प्रूफ है। साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आरा मशीनें लगी हैं जिनकी उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और वह चलाई जा रही हैं। मैंने पहले भी मंत्री महोदय को लिख कर दिया था। अवैध कटान इसलिए हो रहा है क्योंकि वह लोग अपने होम स्टेशन पर नौकरी कर रहे हैं और उनको शरण मिली हुई है। मैं जानना चाहूंगा कि इनको कब तक बदल दिया जाएगा?

06.04.2015/1405/sls/ag -2

उद्योग मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निर्देश 18.12.2014 को ही भेजे गए हैं और 3 महीने से लगातार ऐसे कर्मचारियों को हटाने का कार्य चल रहा है। 56 लोग हटा भी दिए गए है। स्वर्ण सिंह मिड हिमालयन प्रोजैक्ट में है, वह इस नीति के अंतर्गत कवर नहीं होता। इसके बावजूद भी मैं विभाग को निर्देश दूंगा कि इस मामले की पड़ताल करके इसमें कार्रवाई की जाए।

प्रश्न समाप्त

06.04.2015/1405/sls/ag-3

प्रश्न संख्या : 1972

डॉ० राजीव बिन्दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है उस सूचना के अनुसार प्रदेश में 3 नए मैडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई और इस घोषणा के अनुसार अभी तक कोई भी धनराशि केंद्र सरकार से नहीं आई है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले एक साल से लगातार माननीय मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रिगण सब जगह जाकर घोषणा कर रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार से 189-190 करोड़ रुपया प्रति मैडिकल कॉलेज आ चुका है। पूर्व में जब केंद्र में यू.पी.ए. की सरकार थी, उस समय माननीय गुलाम नबी आजाद जी से घोषणा करवाई गई। क्या कारण है कि उनके द्वारा घोषणा करने के बाद भी जब तक केंद्र में यू.पी.ए. सरकार रही तब तक इसकी कोई धनराशि प्रदेश को क्यों नहीं मिली? हमारा कहना है कि यह राजनीतिक आधार पर केवल कागज़ के टुकड़े पर घोषणा करवाई गई।

Speaker: Please you ask your question.

डॉ० राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछ लिया है। यह पैसा क्यों नहीं आया, जिसकी घोषणा की गई?

जारी ...श्री गर्ग जी

प्रश्न सं. 1972----क्रमागत

डॉ. राजीव बिन्दल------क्रमागत

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी समाचार-पत्रों से जानकारी मिली, तो क्या माननीय मंत्री जी इसको कनफर्म करेंगे कि 50 सीटों में से 10 सीटें दस लाख रुपये फीस के हिसाब से, कुछ सीटें पांच लाख रुपये फीस के हिसाब से और कुछ सीटें तीन लाख रुपये फीस के हिसाब से भरी जाएंगी। अर्थात पूरा-का-पूरा खर्चा विद्यार्थियों और मरीजों से लिया जाएगा। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को भी सदन में स्पष्ट करेंगे कि क्या यह मैडिकल कॉलेज, प्राईवेट मैडिकल कॉलेज की तर्ज पर चलेगा या सरकारी मैडिकल कॉलेज की तर्ज पर चलेगा? तीसरी बात मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अब बस करिए। एक बार में चार-चार सप्लीमैंट्री क्वेश्चन्ज पूछते हैं फिर कहते हैं कि सप्लीमैंट्री नहीं करने देते। अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का गौरव है कि यू.पी.ए. सरकार ने हमें तीन मैडिकल कॉलेज मंजूर किए और हम इसके लिए श्री गुलाम नवीं आजाद जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। सिर्फ मैडिकल कॉलेज ही नहीं खुले बल्कि अब भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच में इसका एम.ओ.यू. भी साईन हो गया है और 189 करोड़ रुपये हर मैडिकल कॉलेज को देने का फैसला हो चुका है। पैसा ऐसे थोड़े ही देंगे, पहले तो हमने जमीन उपलब्ध करानी थी और हमें खुशी है कि तीनों मैडिकल कॉलेज के लिए हमने जमीन उपलब्ध करवा दी है। हमने एच.एस.सी.सी. को इसकी डी.पी.आर. बनाने का काम दिया था। उन्होंने तीनों मैडिकल कॉलेज की डी.पी.आर. भी बना दी है और भारत सरकार को वह सौंप दी गई है। भारत सरकार की एक टैक्नीकल कमेटी होती है। टैक्नीकल कमेटी की रिपोर्ट ने भी डी.पी.आर. को रिकमन्ड कर दिया है और इसके अतिरिक्त ऐम्पॉवर्ड कमेटी की रिपोर्ट में भी इन कॉलेजों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। नाहन मैडिकल कॉलेज के लिए 215 करोड़, 42 लाख रुपये की डी.पी.आर. बनाई गई है। जब इसके लिए टैण्डर्ज होंगे, तो उसमें कितना घटता है, यह देखना है। हमीरपुर मैडिकल कॉलेज के लिए 206 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. बनाई गई है और चंबा के लिए 189 करोड़, 51 लाख रुपये की डी.पी.आर. बनकर तैयार हो गई है।----(व्यवधान)-----

अध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, हमने कहा कि केन्द्र सरकार ने 189 करोड़ रुपये के तीन मैडिकल कॉलेज हमें मंजूर किए हैं, हमने ऐसा

06/04/2015/1410/RG/JT/2

कभी नहीं कहा कि 189 करोड़ रुपये हमारे पास आ गए। 189 करोड़ रुपये तो तब आएंगे------(व्यवधान)---

अध्यक्ष : पहले आप लोग माननीय मंत्री जी का जवाब तो सुन लीजिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : उसमें जो कंडीशन प्रैसीडेंट थी कि पहले फेज़ में 300 बिस्तरों के रीजनल हॉस्पीटल के दस किलोमीटर के अंदर मैडिकल कॉलेज और मैडिकल हॉस्टल बनेगा। अब हमने यह 10 किलोमीटर के अंदर-अंदर तीनों मैडिकल कॉलेजों की जमीनें भी छांट ली हैं। केन्द्र की कमेटी उन तीनों का इंस्पैक्शन कर गई है, तीनों जमीनें सलैक्ट कर ली गई हैं। उसके पश्चात एच.एस.सी.सी. ने उनकी डी.पी.आर्ज. बनाई हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि डी.पी.आर्ज. केन्द्र सरकार को चली गई हैं। अब जब टैण्डर होगा, तो केन्द्र सरकार उसके लिए हमें पैसा उपलब्ध कराएगी। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार और यह सरकार, गवर्नमेंट तो कॉन्टीन्युटी में रहती है। वर्तमान सरकार ने कहा है कि हम बहुत जल्दी आपको यह पैसा चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत रिलीज कर देंगे।

श्री रवीन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन मैडिकल कॉलेज को खोलने के लिए एम.ओ.यू. किस डेट को साईन हुआ? इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में कहा गया है कि प्रति मैडिकल कॉलेज 189 करोड़ रुपये दिए गए हैं। माननीय मंत्री जी ने जो पैसा आ चुका है, उसके बारे में कहा है, तो माननीय मंत्री जी ने जो कहा है यह ठीक है या माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट भाषण में कहा है, वह ठीक है? माननीय मंत्री जी ने तीनों कॉलेज की अलग-अलग फिगर्ज दी हैं, तो सही फिगर क्या है? एक बात माननीय मंत्री जी ने कही कि ऐम्पॉवर्ड कमेटी या टैक्नीकल कमेटी की मीटिंग हो चुकी हैं और रिपोर्ट आ गई है, तो यह रिपोर्ट इनके पास कब आई, क्या माननीय मंत्री जी ये सारे तथ्य इस माननीय सदन में रखेंगे?

एम.एस. द्वारा माननीय मंत्री जी शुरू

06/04/2015/1415/MS/JT/1

प्रश्न संख्याः1972 क्रमागत---

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि टैक्निकल कमेटी की मीटिंग फरवरी, 2015 में हुई है और उन्होंने भी इसको एप्रूव कर दिया है। उसके बाद एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग मार्च, 2015 में हुई। भारत सरकार के सेक्रेटरी हैल्थ इसको प्रिजाइडओवर करते हैं। इस तरह से MOU वर्ष 2014 में साइन हुआ है। अभी इसकी डेट मेरे पास नहीं है, वह आपको दे देंगे। MOU साइन हो चुका है और MOU साइन होने के बाद ही फिर डी0पी0आर0 बनाई गई। जब MOU साइन हुआ तो तीन सदस्यीय समिति को तीनों मेडिकल कॉलेज की जमीन की इन्सपैक्शन के लिए भेजा गया और उस कमेटी ने रिकॉमैंड किया है कि यह जमीन बिल्कुल सुटेबल है और कोई भी जमीन 20 एकड़ से कम नहीं है बल्कि 20 एकड़ से ज्यादा है। इसलिए जो आप कहते हैं कि बजट भाषण में 189 करोड़ रूपये कहा है। उसमें कुछ नहीं कहा है। 189 करोड़ रूपये सैंक्शन हो चुका है और इसी वित्तीय वर्ष में यह पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। MOU मार्च, 2014 में साइन हुआ है। यह MOU भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ से स्टेट गवर्नमैंट ने कर दिया है।

Speaker: Everything is covered now. पूरा जवाब आ गया है। बिंदल जी आपके प्रश्न का पूरा जवाब आ गया है। माननीय धूमल जी क्या बोलना चाह रहे हैं?

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष जी, सैकिण्ड सैप्लीमैंट्री पूछने का मौका दे दीजिए। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

अध्यक्षः धूमल जी आपके प्रश्न को फिनिश कर देंगे। चलो, बिंदल जी, आप बोलिए।

डॉ0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से बड़ा साफ-साफ पूछा था और माननीय मंत्री जी ने घुमा-फिराकर यह जवाब दे दिया है कि पिछली सरकार में एक भी पैसा इसके लिए नहीं आया। अब मोदी जी की सरकार 190 या 206 करोड़ रूपये देगी, समझ में आता है। जब केन्द्र की सरकार 206 करोड़ रूपया इसको चलाने के लिए देगी,

तो आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि यह 10 लाख रूपया फीस क्यों चार्ज करेंगे? इस पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस क्यों लगेगी और

06/04/2015/1415/MS/JT/2

हिमाचल प्रदेश के बच्चों को इसका क्या लाभ मिलेगा? हमें यह भी शंका है कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर रोगियों से भी ज्यादा पैसे लेंगे। यह भी कृपया हमें जवाब दिया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, यह जो 10 लाख रूपये की बात कर रहे हैं, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है लेकिन यह फैसला जरूर सरकार ने किया है कि इन कॉलेजिज को सैल्फ फाइनैंसिंग स्कीम के अंतर्गत चलाया जाएगा। इनमें एन0आर0आई0 की सीटें बढ़ाई जाएंगी और एन0आर0आई0 की सीटों के लिए जितनी दोनों मेडिकल कॉलेजिज में फीस लेते हैं, उतनी फीस उनसे भी 10-10 लाख रूपये एन0आर0आई0 सीटों की हम लेंगे। आप क्या यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मरीजों से भी अधिक चार्ज किया जाएगा? मरीजों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। जो सिस्टम हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में है, उन मेडिकल कॉलेजों में भी मरीजों के साथ वही सिस्टम जारी रहेगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को मीटिंग कब हुईं, वह डेट्स याद है तो MOU की डेट क्यों भूल रहे हैं कि MOU कब साइन हुआ है?

अध्यक्षः बता दिया है। इन्होंने डेट भी बता दी है। He has already done it.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः मैंने बता दिया है कि मार्च, 2014 में MOUसाइन हुआ था।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आपने तीनों कॉलेजिज की फिगर दी है। एक में 189 करोड़ रूपये, एक में 215 करोड़ रूपये और एक में 206 करोड़ रूपये हमीरपुर का है, जहां तक मेरी समझ में आया है। जो आपने सैल्फ फाइनैंस की बात कही, क्या यह सही है कि प्रदेश की केबिनेट ने यह निर्णय लिया है और उसमें यह 10 लाख रूपये की फिगर तय

हुई है? क्या भारत सरकार ने जो ग्रांट दी है वह इस तरह के सैल्फ फाइनैंस के तहत कॉलेज चलाने के लिए ग्रांट दी है? क्या आपको ग्रांट में कोई ऐसी

06/04/2015/1415/MS/JT/3

कण्डीशन लगी है कि जो आप कॉलेज चलाएंगे, सैल्फ फाइनैंस के आधार पर बच्चों से जो फीस लेंगे उससे कॉलेज चलेगा या यह प्रदेश सरकार का अपना निर्णय है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैंने केवल इतना ही कहा है कि अभी हमने स्टेट की वित्तीय स्थिति को देखते हुए तीन मेडिकल कॉलेज स्टेट के अंदर चलाने हैं। सैल्फ फाइनैंसिंग का ऐसा है कि 100 सीटों में से 15 सीटें एन0आर0आई0 को जाएंगी और एन0आर0आई0 की सीटों पर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भी 10 लाख रूपये पर सीट लेते हैं और डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में तीन-तीन सीटें एन0आर0आई0 की हैं, वहां उसके आधार पर लेंगे।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

06.04.2015/1420/**जेके/एजी**/1

प्रश्न संख्याः 1972:----**जारी**----

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण :---------**जारी**-----
उसके आधार पर लेंगे, लेकिन जब कोई सोसायटी बनेंगी सैल्फ फाईनेंसिंग का केबिनैट में मामला जाएगा तो केबिनैट डिसाईड करेगी। गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ की तरफ से ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसे सैल्फ फाईनेंसिंग में चलाओ या जैसे कि दूसरे मेडिकल कॉलेज चलते हैं, वैसे ही चलाओ। वह हालात को देख करके होगा। मेडिकल कॉलेज की डेट अप्लाई करने को है और 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हम भारत सरकार को अप्लाई करेंगे तब अगले साल के लिए अगर हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ या चाहे हमें प्राईवेट एकोमोडेशन ही क्यों न लेनी पड़े, हमारी कोशिश होगी कि अगली साल यदि एम.सी.आई. ने अप्रूवल दे दी तो हम यह मेडिकल कॉलेज चलाएंगे। फीस स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमैंट डीटरमिन

करती है न कि भारत सरकार करती है। Grant by Government of India is for upgrading district hospital to a medical college. उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि जो आपके 300 बिस्तरों के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्ज हैं, उनमें फर्स्ट फेज़ में 300 बिस्तरों के साथ आप मेडिकल कॉलेज की 100 सीटें शुरू कीजिए और 5 साल तक उनको आप 500 बिस्तरों तक करें और फिर मेडिकल कॉलेज रेगुलर चलेगा।

प्रश्न समाप्त।

06.04.2015/1420/जेके/एजी/2

प्रश्न संख्याः 1973

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना "क" और "ख" में रखी है, यह सूचना तो सारे प्रोजैक्ट की दे दी कि आज तक कितना खर्चा हुआ? मैंने तो वर्ष 2013-14 और 2014-15 की स्पैसिफिक सूचना मांगी थी क्योंकि जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अन्दर बनी है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20 पंचायतें आती हैं, उन पंचायतों में एक भी काम पिछले दो वर्षों के अन्दर नहीं हुआ है। विशेष रूप से ऊना और कुटलैहड़ के अन्दर, दोनों विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर एक भी रुपये का काम नहीं हुआ है। माननीय सदन में ये गुमराह करने वाले तथ्य रखे गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मुझे स्पैसिफिक दो वर्षों की सूचना दीजिए। वर्ष 2013-14 और 2014-15 में कितना काम हुआ है ? पंचायत वाईज इसका ब्योरा दिया जाए?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रोजैक्ट चल रहा है यह जापान इन्टरनेशनल कॉप्रेटिव ऐजैंसी जायका के सौजन्य से चल रहा है। इस प्रोजैक्ट की कॉस्ट 160 करोड़ रूपया थी। इनकी सरकार के समय में इसकी मिड टर्म इवेल्युएशन हुई और प्रोजैक्ट की कॉस्ट 227 करोड़ रूपया हो गई। 96 पंचायतों में यह चल रहा है। अब तक इसमें 212 करोड़ रूपए खर्च हो चुके हैं। अब तो यह प्रोजैक्ट खत्म हो रहा है। इसमें विद्ड्राल स्ट्रेटजी चल रही है। अब काम इत्यादि नहीं है तो वेतन बगैरह जो अन्त में देने है, दो साल के लिए जो एक्सटैंड हुआ था। प्रोजैक्ट के एलोकेशन की जो बात माननीय सदस्य ने की है, इन्होंने क्षेत्र वाईज कहा है, वर्ष 2013-14 और 2014-15 की सूचना चाही है। वैसे तो शिकायत हम लोगों को आपसे होनी चाहिए कि कुटलैहड़ को मिला 10 करोड़, ऊना को मिला 3 करोड़ 22 लाख रूपया और हरोली को मिला 4 करोड़ 82 लाख

रूपया। जो मैक्सिमम शेयर है वह हमेशा आप ही ले कर जाते रहे हैं अपनी सरकार के समय में भी और अब भी हमारी सरकार के समय में भी आप ही ले गए। लेकिन अब तो प्रोजैक्ट खत्म हो रहा है। अब प्रोजैक्ट के पास कोई ऐसी धनराशि बची नहीं है। मैं तो अब यही कहूंगा कि "बहुत देर कर दी मेहरबाँ

06.04.2015/1420/जेके/एजी/3

आते-आते" अब तो प्रोजैक्ट खत्म हो रहा है। अब तो इसमें कोई ज्यादा गुन्जाईश नहीं है। सारा प्रोजैक्ट आपके समय में पांच साल चला । मैक्सिमम बेनिफिशरी आप ही हैं और अब कोई नया प्रोजैक्ट आएगा, उसमें आपकी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा।

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय अध्यक्ष जी, सदन में गुमराह करने वाले आंकड़ें दिए जा रहे हैं। मैंने वर्ष 2013-14 और 2014-15 की सूचना चाही है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कुटलैहड़ को इतना मिला और ऊना को इतना पैसा मिला। कुटलैहड़ की उसमें सबसे ज्यादा पंचायतें थी लेकिन उसके बाद 4-5 पचांयतों के अन्दर ही पूरे प्रोजैक्ट का पैसा खर्च किया गया।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---------

06.04.2015/1425/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1973 क्रमागत

श्री वीरेन्द्र कंवर क्रमागतः
पूरे प्रोजैक्ट का पैसा खर्च किया गया सिर्फ शानदार तालाब और रास्ते बनाने के लिए। जहां तक मेरी जानकारी है एक तालाब माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में बना है। उसमें फैंसिंग करने के लिए एक करोड़ रुपये की चारदीवारी लगी। प्रोजैक्ट का सत्यानाश किया जा रहा है। जहां पर बड़े-बड़े डैम लगाने की ज़रूरत है, प्लांटेशन करने की ज़रूरत है, वहां पर काम किया नहीं जा रहा है। लेकिन पैसा बिना वजह से दूसरे क्षेत्रों में खर्च किया जा रहा है जहां ज़रूरत नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो पैसा बचा है, जहां पर आवश्यकता है, क्या वहां पर वह खर्च किया जायेगा या नहीं?

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर पूरे ऊना ज़िला में यह साबित कर देंगे कि किसी प्रोजैक्ट पर चारदीवारी एक करोड़ की लगी है तो एक करोड़ रुपये की राशि हम दे देंगे और उसको सारा डैमोलिश करवा देंगे। सदन में बिल्कुल सही तरह से बात रखी जानी चाहिए। सदन में बात तथ्यों सहित आनी चाहिए। जो हमने आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार आपको 10 करोड़ रुपये का शेयर मिला है। --(व्यवधान)-- नहीं, नहीं, मंत्री जी की बात नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा क्योंकि अब 212 करोड़ रुपया खर्च हो गया, विदड्राल चल रही है, इस साल प्रोजैक्ट कम्प्लीशन की तरफ है और आपने तो अपनी कांस्टीचुऐंसी में इतने बड़े-बड़े काम किये हैं, जो आपने बांध लगाये हैं, 10-10, 15-15 करोड़ रुपये के बांध बने हैं लेकिन हम आज भी आपको कहते हैं कि आप एक करोड़ रुपये की चारदीवारी की कहीं से भी पुष्टि कर दें। ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। एक करोड़ रुपये की चारदीवारी का कोई काम नहीं हुआ है। कांगड़ में एक पौंड ज़रूर बना है। उसके अलावा उसके आस-पास जो एक बिल्डिंग 65 लाख रुपये की बन रही है, वह पैसा टूरिज्म डिपार्टमैंट ने दिया है और वे-साइट एमिनिटीज़ का है। आपको किसी ने गलत बता दिया। वह पैसा टूरिज्म डिपार्टमैंट का है और आंकड़े अब यही कहते हैं कि आपको 10 करोड़ रुपया मिला है और अब प्रोजैक्ट खत्म हो रहा है। मैक्सिमम आपके टाइम में प्रोजैक्ट चला और आप बहुत बड़े बेनिफिशरीज़ रहे हैं।

प्रश्न समाप्त

06.04.2015/1425/SS-AG/2

प्रश्न संख्याः 1974

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना सभापटल पर रखी है उसके मुताबिक एस0सी0 सब-प्लान में दो पेयजल योजनाओं का काम चल रहा है। उनमें थोड़ा-थोड़ा काम शेष बचा है। एक का केवल 3 परसैंट बचा है और दूसरी का 20 परसैंट बचा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं का काम कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा? शेष काम थोड़ा-थोड़ा बचा है क्या उसको जल्दी खत्म करने के लिए माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगी ताकि आने वाली गर्मियों में उसका लाभ उठाया जा सके?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार बातें बताना चाहती हूं। छोटी-छोटी बात पर झगड़ा करने की बात नहीं है। मैं पूरे तथ्य आपको देना चाहती हूं ताकि आपकी पूरी तसल्ली हो जाए। बार-बार आप लोग झगड़ा करते हैं और हम चाहते हैं कि आपसे तसल्ली से बात करें। Under jurisdiction of Sarkaghat Constituency, the Gravity Water Supply Scheme, Baldwara-Fatohn-Jhajhyani and Lift Water Supply Scheme, Badresa which are administratively approved under Scheduled Caste Sub Plan for Rs. 11,94,000/- and Rs. 69,07,000/- respectively are under execution. The latest status of these schemes is as under so that I can give you all the details. Approximately, 80 per cent work of the scheme was being completed and remaining work is in progress and scheme is likely to be commissioned and completed by April, 2015.

Continued by JT in English . . . .

06.04.2015/1430/केएस/जेटी/1

प्रश्न संख्याः 1975 जारी---

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी अंग्रेजी---

Detail of year-wise budget and expenditure is as under:
Budget in 2013-14: Rs. 3.76 lakh. ..(..interruption..) Before somebody again comes up with the ideas, I want to give you complete details.

Lift Water Supply Scheme, Badressa: The administrative approval and expenditure sanction of the scheme was accorded by Director, Social Justice & Empowerment, Shimla-9 vide his letter dated 2nd September, 2008 for Rs. 69,07000/-. Approximately 97 per cent work of the scheme has been completed. Pumping machinery for Stage-I is yet to be received and for Stage II, the same has been received and yet to be installed. The remaining work of the scheme has been completed. So, I have given you the

whole detail. The scheme is likely to be commissioned and completed by May, 2015. Thank you.

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का डिटेल्ड रिप्लाई देने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूं कि मैं झगड़ा कब करता हूं?

06.04.2015/1430/केएस/जेटी/2

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, इसी पर मेरा आग्रह है कि आप इतनी लम्बी स्टेटमैंट मत दीजिए क्योंकि फिर सप्लीमेंट्री ज्यादा आती है।

Irrigation & Public Health Minister: Sir, they are never satisfied without giving them the whole reply. This is the problem with these people; otherwise we can speak in two minutes if you want so.
Speaker: They have taken more points from you.

प्रश्न समाप्त

06.04.2015/1430/केएस/जेटी/2

प्रश्न संख्याः 1975

श्री रवि ठाकुरःअध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वन विभाग के अलावा जो अन्य 16-17 विभाग हैं, जैसे सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग है, लोक निर्माण विभाग व अन्य जितने भी विभाग हैं, लाहौल स्पिति में या प्रदेश में बाकी जगह उनकी जितनी भी ईमारतें हैं, क्या फोरैस्ट क्लीयरैंस एक्ट के तहत उनकी भूमि का तबादला भी किया जाएगा या वह फोरैस्ट के अंडर ही रहेगी या उन विभागों को उस जमीन को दिया जाएगा?

दूसरे,अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी लाहौल-स्पिति व अन्य जगह हैं there is not a blade of grass there. जंगलात की तो बात ही रहने दीजिएगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या हमारे हिमाचल प्रदेश का जो जंगलात विभाग है, वह ऐसी कोई प्रोपोज़ल केन्द्र को दे रहा है कि जो हमारी ऐसी जंगलात की भूमि दिखाई गई है जहां पर एक भी तिनका घास का नहीं है, यह जो हमारा एक्ट है वह वहां से strike off हो सके?

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय सदस्य ने मांगी थी, वह तो डिटेल में दे दी गई है । इनके सात मामले मंजूर हो चुके हैं। अब सिर्फ इनके दो मामले रह गए हैं जिनमें एक है मिकिम कुंगरी से थुकटन और एक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पक्ष में भण्डारण का भवन बनना है। शेष सारे स्वीकृत हो गए हैं । अगर कोई स्पेसिफिक केस माननीय सदस्य हमें बताएंगें तो उसकी एन्वायरन्मैंट क्लीयरैंस के लिए हम कदम उठाएंगें।

06.04.2015/1430/केएस/जेटी/3

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, कांगड़ा जिला में सारा यह क्षेत्र आता था, कुल्लू , हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा जिला में एक विशेष परिस्थिति है कि बाकी जगह तीन प्रकार के जंगल है। सैकिण्ड क्लास फोरैस्ट, थर्ड क्लास फोरैस्ट और रिज़र्व फोरैस्ट लेकिन इस क्षेत्र में और कुल्लू में चार प्रकार की भूमि है । तीन तो यह जो मैंने कहा और-

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

6.4.2015/1435/jt/av/1

प्रश्न संख्या :1975 -------- क्रमागत

श्री महेश्वर सिंह जारी--------
तीन तो ये जो मैंने कहा और चौथा थर्ड क्लास फॉरैस्ट लैण्ड; जिसका अर्थ यह है कि वह जंगल नहीं है। वह बिना पेड़ का जंगल है मगर वह जंगल हो सकता है। अगर लगाये तो, यह एंडरसन की रिपोर्ट में था। जो कुल्लू और लाहौल में थर्ड क्लास फॉरैस्ट है उन

पर लोग ऐनक्रोचमैंट करते हैं। उस ऐनक्रोचमैंट के बारे में हम निश्चित रूप से कनसर्न्ड डी.एफ.ओ. को रिपोर्ट करते हैं। डी.एफ.ओ. यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि ऊपर से ऐसी इनस्ट्रक्शन्ज हैं कि जहां पेड़ नहीं है अगर वहां पर किसी तरह की ऐनक्रोचमैंट है तो उसको राजस्व विभाग हटायेगा। जब उसी पत्र का हवाला लेकर राजस्व विभाग में जाते हैं तो वहां यह कहा जाता है कि आप डी.एफ.ओ. के पास जाइए। परिणामस्वरूप इसके, लोग ऐनक्रोचमैंट कर रहे हैं और वहां कोई देखने वाला नहीं है। संयोगवश वन विभाग और राजस्व विभाग के एफ.सी.कम सेक्रेटरी एक ही है। क्या मंत्री महोदय उनको इस प्रकार के आदेश देंगे कि इस झंझट को निपटायें ताकि फॉरैस्ट लैण्ड ऐनक्रोचमैंट से बच सके।

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, फॉरैस्ट की परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने ऐक्सपेंड किया है और उसको अभी बदलना मुमकिन नहीं है। जो क्षेत्र वन की परिभाषा में आ गए हैं वे अब निकाले नहीं जा सकते। हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरैस्ट और रैवन्यू डिपार्टमैंट; दोनों को देख रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि अपनी अन्तरात्मा से पूछ लें कि किस केपेसिटी में कौन सा फैसला करना है वह हम इनको सूचित कर देंगे।

समाप्त

6.4.2015/1435/jt/av/2

प्रश्न संख्या : 1976

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से यह निवेदन रहेगा कि पिछले प्रश्न की तरह जिसके उत्तर में इन्होंने मैडिकल कॉलेज के आंकड़े प्रस्तुत किए ऐसे आंकड़े इस प्रश्न के उत्तर में न दें तो अच्छा रहेगा। प्रश्न के 'क' भाग में कहा गया है जी, हां। मैं इसमें यह जानना चाहूंगा कि इस ट्रॉमा सैंटर खोलने हेतु भारत सरकार को यहां से प्रस्तावना कब गई तथा सैद्धान्तिक मंजूरी कब प्राप्त हुई? एक ट्रॉमा सैंटर खोलने हेतु कितनी अनुमानित राशि व्यय होनी है और उसके लिए इनफ्रास्ट्रक्चर क्या-क्या चाहिए? मैं यह विषय पहले भी कई बार उठा चुका हूं। यह तो आपने मांग रखी थी लेकिन मूल रूप से अन्य माननीय विधायकों की ट्रॉमा सैंटर खोलने हेतु मांग कितने क्षेत्रों में रही है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र देहरा में चार-पांच नेशनल हाईवे हैं और वहां पर आए

दिन कोई-न-कोई घटना घटती रहती है। क्या आप भविष्य में भारत सरकार से देहरा के सिविल होस्पिटल में ट्रॉमा सैंटर खोलने की मांग करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 में ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को 5 ट्रॉमा सैंटर खोलने की सैद्धान्तिक मंजूरी दी है। जहां तक पैसे की बात है तो ट्रॉमा सैंटर तीन लैवल के होते हैं जिसमें लैवल-i, लैवल- ii और लैवल- iii हैं। डॉ.राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज टांडा के लिए लैवल-ii ट्रॉमा सैंटर सैंक्शन किया है। लैवल-ii के ट्रॉमा सैंटर के लिए भारत सरकार ने टोटल राशि 8.34 करोड़ रुपये फिक्स की है। जो बाकी चार लैवल-iii के ट्रॉमा सैंटर सैंक्शन हुए हैं उसके लिए केंद्र सरकार 3.93 करोड़ रुपये की राशि मंजूर करती है। लैवल-i के लिए नॉर्म्ज के मुताबिक भारत सरकार ने 15 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा हुआ है। इसका हमने माह फरवरी में ही भारत सरकार को एम.ओ.यू. साइन करके भेजा है----

श्री बी जे द्वारा जारी

06.04.2015/1440/negi/ag/1

प्रश्न संख्याः 1976..जारी.....

मा0 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ..जारी.....
अभी फरवरी में ही इसका एम.ओ.यू. भारत सरकार को हमने साईन करके भेजा है और भारत सरकार का जो डेजिग्नेटिड ऑफिसर है वह उसपर दस्तख्त करेगा। यह एम.ओ.यू. हो जाएगा।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने देहरा का भी पूछा था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक देहरा की बात है, ये कोरिडोर बनाया हुआ है नोर्थ,साऊथ,ईस्ट और वैस्ट । 12वीं पंचवर्षीय योजना में सिर्फ 85 ट्रौमा सेन्टर भारत सरकार ने खोलने का फैसला किया है जिसमें हिमाचल प्रदेश को 5 ट्रौमा सेन्टर दिए हैं। देहरा के साथ मामला तो और भी हैं, नूरपुर का भी है और सुन्दरनगर का भी है। इस वक्त हमारे दो ट्रौमा सेन्टर चल रहे हैं जो कि एक कुल्लू में और दूसरा बिलासपुर में है। अब ये जो 5 ट्रौमा सेन्टर हैं, इनके लिए इसी वित्तीय वर्ष में

हम भारत सरकार से फण्डज़ की अपेक्षा करते हैं ताकि इनको विधिवत तौर पर चालू किया जा सके।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुल्लू और बिलासपुर में हमारे दो ट्रौमा सेन्टर चले हैं। एक तो हम यह जानना चाहते हैं कि कुल्लू और बिलासपुर, इन दोनों ट्रौमा सेन्टर्ज़ में कितने आर्थोपिडिशियन, कितने जनरल सर्जन, कितने एनैस्थिसिया और बाकी स्टाफ उपलब्ध हैं? जो रिक्वायर्ड स्ट्रेन्थ है क्या उसके मुताबिक स्टॉफ वहां पर उपलब्ध हैं? दूसरा, आप जो ये 5 ट्रौमा सेन्टर केन्द्र सरकार के सहयोग से चलाने वाले हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें आउट-सोर्स की हैं, आपने डायग्नॉस्टिक को आउट-सोर्स कर दिया है, इन ट्रौमा सेन्टर्ज़ में जब स्पैशलिस्ट डॉक्टर की कमी रहती है तो उसको पूरी तरह चलाने के लिए भी आप क्या आउट-सोर्सिंग करने का विचार करते हैं? अगर नही करते हैं तो आप इनमें स्पैशलिस्ट की कमी को कैसे पूरा करेंगे?

06.04.2015/1440/negi/ag/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां कुल्लू और बिलासपुर ट्रौमा सेन्टर के आर्थोपिडिशियन की बात है, दोनों जगह में ही आर्थोपिडिशियन मौजूद हैं। कुल्लू में भी इस वक्त 3 आर्थोपिडिशियन हैं जिसमें से एक ट्रौमा-सेन्टर को ही एक्सक्ल्युसिव तौर पर देख रहा है। सर्जन भी वहां पर उपलब्ध है। वैसे ही बिलासपुर में भी जो हमारे जनरल हॉस्पिटल को देख रहे हैं वही ट्रौमा सेन्टर का काम भी देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ, मैं यह भी बता देना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में पूरे देश के अन्दर सिर्फ 85 ट्रौमा सेन्टर हैं and Himachal Pradesh is lucky to get five trauma centre. पूरे देश के अन्दर 5 ट्रौमा-सेन्टर हिमाचल प्रदेश को मिले हैं और हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी हम इन ट्रौमा-सेन्टर्ज़ को भारत सरकार की सहायता से चालू करें।

समाप्त

06.04.2015/1440/negi/ag/3

प्रश्न संख्याः 1977.

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री लिखित जवाब के पश्चात...

मैं आपकी तसल्ली के लिए आपको थोड़ा सा और बता देती हूं, फिर दोबारा-दोबारा आपको कोई शिकायत नही होगी । मैं आपको थोड़ा बता देती हूं कि Administrative Approval of Expenditure Sanction for the construction of Flow Irrigation Scheme Raj Kuhl was accorded amounting to Rs. 1,28,08,000/- only on dated 17th August, 2012. Technical sanction was accorded on dated 4th February, 2013 for Rs. 1,29,39,000/- only. The scheme approved under NABARD - RIDF. There is provision to provide irrigation to 98.70 hectare of land. Accordingly, the tenders were called and work awarded in 2013. The scheme was also approved under AIBP during February, 2014. The work of the scheme is being executed under AIBP, because interest free funds are available under AIBP. Rs. 1,22,49,000/- has been spent upto February, 2015. So, this is the total. I have given you the detail. I am sure that you will understand the whole thing. Work of the scheme is under progress and I can assure you that 30 per cent of work has been completed and scheme is likely to be completed by March, 2016. That's all.

ए.जी./श्रीमती यू.के.द्वारा जारी.....

06.04.2015/1445/यूके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 1977---जारी---

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी की अंग्रेजी के पश्चात्---

श्रीमती सरवीण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब रिटन में आया है, उससे भी चार गुणा ज्यादा लम्बा जवाब दिया है । मैं धन्यवाद करती हूं । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि शिलान्यास की परिभाषा क्या है? और

जैसे आपने बोला कि यह स्कीम 2010-11 की सैंक्शन है । यह मेरे पिछले टैन्योर की विधायक प्राथमिकता 2010-11 की है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या कारण रहे 11.1.2015 को शिलान्यास हुआ और इस शिलान्यास के बीच में राज कूहल के टेंडर 3 बार हो गए जब कि 70% कम्पलीट थी । बड़ी कूहल के टैंडर्स 4 बार हुए और उसका काम 30% नहीं उससे ज्यादा हो गया है, 70-80% काम हो गया है, मैं आपको जानकारी देना चाहती हूं । लेकिन 4-4 बार टेंडर हो गए, इतनी पुरानी विधायक प्राथमिकता थी और शिलान्यास उसके बाद हुआ । आपके अधिकारियों ने किन कारणों से मुख्य मंत्री जी को शिलान्यास करने के लिए गुमराह किया ? फिर विधायक प्राथमिकता में मुख्य मंत्री प्राथमिकता तो थी नहीं । तो उसमें लोकल MLA का नाम तक नहीं लिखा गया कि इसकी प्राथमिकता है और टेंडर के बाद में शिलान्यास किया है, तो इसकी परिभाषा क्या है? क्या विभाग आने वाले समय में ऐसे शिलान्यासों और उद्घाटनों पर सख्त नोटिस लेगा कि जो गलत तरीके से मंत्री और मुख्य मंत्री कर रहे हैं, क्योंकि यह जो हमारी प्राथमिकता, हमारा अधिकार है और हमने जो काम कर दिए हैं, उनके ऊपर केवल शिलान्यास कर रहे हैं । तो जिस समय वे अपने प्रवास पर जाएं तो राजनीति न हों, वहां नया काम दें । इसके अतिरिक्त मंत्री जी मुझे शिलान्यास की परिभाषा बताएं?

Speaker: This is extraneous matter. They need no reply.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं विधायिका महोदया को कहना चाहूंगी कि आप शांति से बात कीजिए, मैं तो आपको समझाना चाह रही हूं । आपने यह कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गए, वहां क्या हुआ ? इस बात के बारे में

06.04.2015/1445/यूके/एजी/2

आप मुझे मत बताइए क्योंकि कई दफा आपसे भी गलती हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है । उस बात का आप ईशू बना रहे हैं । हमने आपको इतने डिटेल में जवाब दिया है (व्यवधान) सुनिए आप शोर मत मचाइए । आप इनकी (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) बात सुन रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं । हमने तो वह बात नहीं की जो आप करते हैं । अगर कहीं गलती हुई होगी तो इतना शोर मचाने की जरूरत ही क्या है । आप हंसने की बात करते हैं, आप मजाक करते हैं । am sorry to say, Hon'ble

Speaker, Sir, these people have no business to talk like this. When I am giving reply to her, this is my right. (व्यवधान)

अध्यक्षः प्लीज़ सिट डाऊन । (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, आप भी बैठ जाइए ।

एसएलएस द्वारा जारी----

06.04.2015/1450/sls/jt-1

प्रश्न संख्या : 1977.. जारी...

अध्यक्ष महोदय ...जारी

Please sit down. माननीय मंत्री जी, आप भी बैठ जाएं। ...(व्यवधान)... प्लीज, आप सब बैठिए । ...(व्यवधान)... माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल चल रहा है। माननीय विधायक महोदया ने अपना प्रश्न पूछा है और मंत्री महोदया ने बहुत विस्तार के साथ उसका उत्तर दिया है। ...(व्यवधान)...

Speaker : Please don't waste the time. हो गया, काफी हो गया। ...(व्यवधान)... Next question, Shri Anirudh Singh.

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

06.04.2015/1450/sls/jt-2

प्रश्न संख्या : 1978

श्री अनिरूद्ध सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ए-12 में कुल कितने फ्लैट्स हैं? दूसरे, जो मेन सीवरेज लाईन जा रही है, उस मेन सीवरेज लाईन का ए-12 ब्लौक से कितना डिसटैंस है? क्योंकि अगर ए-12 ब्लौक में 10 फ्लैट्स होंगे तो 10 लाइने मेन लाईन तक नहीं जा सकती? क्या मंत्री जी

आश्वासन देंगे कि क्योंकि ए-12 गवर्नमैंट बिल्डिंग है, इसलिए ए-12 के बाहर तक केवल एक ही लाईन बिछाई जाए?

शहर विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो ए-12 ब्लौक है, वहां पर जो सीवरेज की मेन लाईन जा रही है, उसकी दूरी डेढ़ मीटर है। जब सीवरेज की लाईन बिछाई गई थी तो वहां पर मेन होल बनाया गया है। जहां तक सीवरेज कनैक्शन देने की बात है, इसमें जब भी कोई इनडिविजुअल सीवरेज कनैक्शन के लिए अप्लाई करता है, उसमें टर्मज़ एंड कंडिशन्ज में यह लिखा होता है कि जब मेन लाईन बिछाई जाएगी तो उसमें लाईन तक कनैक्शन लेने के लिए इनडिविजुअल को लाईन स्वयं बिछानी होगी। जहां तक आपके ए-12 ब्लौक का सवाल है, वहां जो मेन होल बनाया गया है वह डेढ़ मीटर की दूरी पर है। वहां तक इनडिविजुअल्ज को स्वयं ही लाईन बिछानी पड़ेगी। अब हमने गाईड लाईंज चेंज की हैं। पहले बहुत दूरी पर मेन होल्ज होते थे। अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी मेन लाईन के मेन होल की दूरी 6 मीटर से नापेंगे।

06.04.2015/1450/sls/jt-3

Chief Minister: Mr. Speaker, Sir, I am referring to Q. No. 1977 जिसके बीच में माननीय सदस्य उठकर बाहर चले गए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि the budget for both schemes was provided only during the year 2013-14 and 2014-15. Hence, it is appropriate that the foundation stones were also laid in the year 2015.

06.04.2015/1450/sls/jt-4

प्रश्न संख्या : 1979

Shri Ajay Mahajan : Sir, I think, there has been some mistake. I had wanted the position for the Civil Hospital and the PHCs. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से तो मैं मंत्री महोदय के ज़हन में लाना चाहता हैं कि नूरपुर में सिविल हॉस्पिटल में सैंक्शन पोस्ट्ज 18 हैं, out of which six posts are lying vacant and one Dr.

Gaurav Chaudhary has gone on long leave since 1.11.2014. One Dr. Shami has applied for three months' notice for resignation.

जारी ...श्री गर्ग जी

06/04/2015/1455/RG/JT/1

प्रश्न सं. 1979----क्रमागत

श्री अजय महाजन------क्रमागत

तो इस प्रकार हमारे 9 डॉक्टर्ज कम हैं and the radiologist has not been there for three years. और इसके अतिरिक्त जो मैंने पी.एच.सीज. के बारे में पूछा, तो 9 पी.एच.सीज. हैं and they have given a reply कि नौ में है। They have probably mistaken the Ayurvedic doctors for the Allopathic doctors. Out of five PHCs, there is no allopathic doctor. In addition, I would like to bring to the notice of Hon. Minister that कि जो गाइनॉकोलॉजिस्ट है, वह 15 दिन कैंप में रहता है और ऐनस्थिसिया वाला तीन दिन चम्बा जाता है with result, I think, that six doctors factually हमारे नूरपुर में चल रहे हैं और यह हॉस्पीटल अरॉउन्ड 6 चुनाव क्षेत्रों को फीड करता है। तो मेरा निवेदन है कि एक तो जो हमारे गाइनॉकौलॉजिस्ट 15 दिन कैंप में रहते हैं, जहां दो गाइनॉकौलाजिस्ट हैं उनको कैंप पर भेज दिया जाए न कि हमारे हॉस्पीटल से भेजा जाए। इसके अतिरिक्त मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि Nurpur is a very, very important Hospital catering to six constituencies. मैं हर बार विधान सभा में यह प्रश्न करता हूं, व्यक्तिगत तौर पर भी आपको अनुरोध किया है, सबको अनुरोध किया है। इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखकर हमारे यहां डॉक्टर्ज की शॉर्टेज को पूरा किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सौ बिस्तरों का अस्पताल बनाया था, लेकिन इसके लिए पोस्ट्ज सैंक्शन नहीं कीं। अभी हमारी सरकार ने रिसेन्ट्ली इसके लिए 18 डॉक्टर्ज की पोस्ट्ज सैंक्शन की हैं। 12 डॉक्टर्ज इन-पोजीशन हैं और 6 डॉक्टर्ज की पोस्ट खाली हैं। यह ठीक है कि नूरपुर अस्पताल में काफी ओ.पी.डी. भी हैं और आई.पी.डी. भी हैं। फिर भी डॉक्टर्ज की ओवरऑल शॉर्टेज को देखते हुए मैं इनको आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे हर मंगलवार को हमारे यहां

डॉक्टर्ज का इन्टरव्यु होता है उसके अन्तर्गत हम नूरपुर में डॉक्टर लगाने की कोशिश करेंगे। जहां तक पी.एच.सीज. में आयुर्वेदिक मैडिकल ऑफिसर की बात है, तो they are also Medical Officer और बाकायदा वे दवाइयां वगेरह देते हैं। लेकन इनके यहां सतवा में एक पी.एच.सी. खाली था। उसमें भी हम डॉक्टर लगाने का प्रयास करेंगे।

06/04/2015/1455/RG/JT/2

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जहां तक गाइनॉकौलॉजिस्ट का प्रश्न है। आजकल परिवार नियोजन का दौर चला हुआ है। विन्टर में परिवार नियोजन का दौर चलता है, तो उनको परिवार नियोजन कैंप में फील्ड में ऑपरेशन के लिए भेजते हैं। इसलिए जैसे ही गाइनॉकॉलॉजिस्ट अब उपलब्ध होंगे, तो इनको हम चंबा वगेरह में डिप्यूट नहीं करेंगे।

समाप्त

-/3

06/04/2015/1455/RG/JT/3

प्रश्न सं. 1980

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि 'वन्यप्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत दिनांक 28.05.1999 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में लोगों के अधिकार समाप्त हो गए हैं।' मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बिना मुआवज़ा दिए क्या सरकार को इस प्रकार का अधिकार है कि उनके अधिकार कुछ न पे करके रद्द कर दिए जाएं? सत्यता यह है कि वर्ष 1984 में पहले इस नेशनल पार्क की अधिसूचना जारी हुई और 1984 से लेकर लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। केवल-और-केवल एक पंचायत शांगड़ है जिसको वहां का मुआवजा मिला। बाकी ऑऊटर सिराज के जो भेड़ पालक हैं उनके साथ और सैंज की दूसरी पंचायतें हैं, किसी को भी कोई मुआवजा नहीं मिला है। वर्ष 1999 में एक बात कही थी कि आपको वैकल्पिक चरागाहें दी जाएंगी। तो क्या यह सत्य है और क्या यह भी सत्य है कि नेशनल पार्क अथॉरिटी ने चौड़ी पत्ती और घास लगाने के लिए दो करोड़ रुपया खर्च

किया, लेकिन कहीं भी वे चरागाहें तैयार नहीं हुईं। यदि आप चाहते हैं, तो उन जगहों के नाम भी मेरे पास हैं, मैं बता सकता हूं थनारा इत्यादि, ये सैंजवनी में ही जगह हैं और एक गाती है। इन जगहों में घास या चरागाह लगाई गईं, लेकिन वे सारी-की-सारी फेल हो चुकी हैं, कोई किसी को मुआवजा नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय स्वयं समय देकर सारे लोगों को एक महीने के भीतर वहां सुनेंगे ताकि सदा के लिए यह मैटर सैटल हो जाए? दूसरी बात यह कि जब यह नैशनल हैरीटेज डिक्लेयर किया गया, तो माननीय मंत्री जी का बयान आया कि अब हम किसी को भी उस पार्क से बाहर नहीं निकालेंगे, सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तो जब पहले ले लिए, तो सुरक्षित कैसे रहेंगे? इतना मैं जानना चाहूंगा।

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

06/04/2015/1500/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 1980 क्रमागत---

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो यह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में सैंज घाटी और आउटर सिराज के लोगों के चारागाह के अधिकार हैं, ये तो समाप्त हो गए हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, तो मैं इनकी सूचना के लिए बताना चाहता हूं,

(**बहिगर्मन के पश्चात विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापिस लौटे**)

कि 369 लोगों को 1,79,76,733/-रूपये की मुआवजा राशि प्रदान की गई है।

श्री महेश्वर सिंहः आउटर सिराज में किनको मुआवजा मिला?
उद्योग मंत्रीः जहां तक आउटर सिराज की बात है तो इसमें दो ही बातें हैं कि मुआवजा मिलेगा और वैकल्पिक अधिकार दिए जाएंगे। माननीय सदस्य जिन लोगों की बात कर रहे हैं, उनको वैकल्पिक चारागाह बनाने का जो प्रश्न है तो इसमें प्रोसिजर के मुताबिक उपायुक्त को वन क्षेत्रों की उपलब्धता करवाने के लिए आपत्तियों वगैरह का नियमानुसार निर्वहन होना है। उसमें कोई समय-सीमा तो निर्धारित नहीं की जा सकती। हम डी0सी0 को निर्देश दे देंगे कि वह सर्वेक्षण करवा लें और आप उसमें सहयोग करें।

प्रश्नकाल समाप्त/

06/04/2015/1500/MS/AG/2

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस सदन को साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो कि इस प्रकार हैः-

सोमवार 6 अप्रैल, 2015	**शासकीय/विधायी कार्य**
मंगलवार 7 अप्रैल, 2015	**शासकीय/विधायी कार्य**
बुधवार 8 अप्रैल, 2015	**शासकीय/विधायी कार्य**
वीरवार 9 अप्रैल, 2015	**1)शासकीय/विधायी कार्य** **2)गैर-सरकारी सदस्य दिवस**
शुक्रवार 10 अप्रैल, 2015	**शासकीय/विधायी कार्य**

06/04/2015/1500/MS/AG/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे।

अब श्री अनिरूद्ध सिंह, सदस्य, लोक उपक्रम समिति, समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से (वर्ष 2014-15), समिति का 39वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री खूब रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति (वर्ष 2014-15), के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का **17वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि सुनिश्चित रोजगार के लिए योग्यता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण योजना की संवीक्षा पर आधारित है तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **18वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर 45वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है ।

06/04/2015/1500/MS/AG/4

अध्यक्षः अब श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कर्ण सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से (वर्ष 2014-15), समिति का 15वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन की समीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

06/04/2015/1500/MS/AG/5

नियम 62 के अर्न्तगत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब नियम 62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जोकि श्री सुरेश भारद्वाज जी ने दिया है और आज की कार्यसूची में भी लगा है, इस पर वह अपनी बात रखेंगे। वैसे इस पर सरकार द्वारा रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट पर इन्स्टैंट एक्शन भी कर दिया गया है लेकिन फिर भी सुरेश भारद्वाज जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 62 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सदन में बजट के ऊपर भी और मांग संख्या-7 पर भी कानून-व्यवस्था की स्थिति पर काफी चर्चा हुई और उसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब भी दिया। परन्तु हमारा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दो वर्षों में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब होती रही है जिसका ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का प्रेस्टिजियस होटल, होटल होली-डे-होम, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित हो।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

06.04.2015/1505/**जेके/एजी**/1

श्री सुरेश भारद्वाजः-----**जारी**-------
जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित हो, शिमला अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटक स्थल है। जहां सारे देश-विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। हिमाचल

प्रदेश की राजधानी शिमला में पर्यटक इसलिए आते हैं कि यहां की सर्द हवाओं में, यहां के सुहावने मौसम में वे यहां पर टाईम पास करें, विशेष कर इसलिए कि यह एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश के सरकारी होटल में गोली चल जाए। गोली भी एक पुलिस कॉंस्टेबल द्वारा चलाई जाए, शहर के दो 18-19 वर्ष के युवाओं को गोली लगे, उनको डंडों से मार कर नीला कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में प्रदेश और शिमला की कानून-व्यवस्था का नज़ारा सबको दिखाई दे रहा है। 2 अप्रैल, 2015 की रात्रि शायद 8-9 बजे के मध्य में शिमला के होटल होली- डे-होम में पार्किंग में सरकारी गाड़ी खड़ी थी। उसमें बैठा ड्राईवर और पी.एस.ओ. बहस कर रहा था। वहां के पर्यटक और शिमला के लोग होटल होली-डे-होम में खाने-पीने के लिए गए थे। वे वहां से वापिस जा रहे थे। उन दो नौज़वानों ने जिनमें एक कशिश खन्ना और एक अभय ने उनसे कहा कि यहां से गाड़ी हटा दो। हमको जाना है और तुम्हें बहस करनी है तो वह बाद में करते रहना लेकिन गाड़ी हटाने के बजाय उनसे मारपीट करना शूरू कर दिया। मारपीट तक ही यदि सीमित रहते तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात न होती। लेकिन उनमें से एक ने सर्विस रिवॉल्वर निकाल दी। उस सर्विस रिवॉल्वर का तो बाद में पता चला। जब उन्होंने रिवॉल्वर निकाली तो वे युवक उसको देख करके वहां से भागे और भागते हुए युवकों पर गोली चला दी। बाद में मालूम हुआ कि वह पुलिस विभाग में नौकरी करता है। आजकल वह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री जी के साथ पी.एस.ओ. के पद पर है। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो युवक थे उनके खिलाफ केस बना दिया गया। 353 आई.पी.सी. कि धारा लगाई गई कि वे डियूटी पर थे, इसलिए उनके साथ मारपीट की और फिर उन युवकों के खिलाफ केस बना दिया गया। अगर वे वहां पर डियूटी पर थे तो वे किसके साथ डियूटी पर गए थे? वे

पार्किंग परिसर में वहां पर क्या कर रहे थे? अगर वे डियूटी पर नहीं थे तो फिर 353 आई.पी.सी. उन युवकों के खिलाफ क्यों लगाई गई? ऐसी परिस्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। मारपीट आए दिन होती रहती है, झगड़ा हो जाता है और बहुत सारी कई परिस्थितियां हो जाती हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो नौकरी करता है और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ वह पी.एस.ओ. के रूप में लगा है, अगर वह इस प्रकार से अपने आपसी झगड़े में रिवॉल्वर निकाल करके गोली चला देगा तो वह कभी भी जिस व्यक्ति के साथ लगा है उसके ऊपर भी गोली चला

सकता है। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है क्योंकि इनके दिमाग कई बार खराब हो जाते हैं कि हम तो बहुत बड़े व्यक्ति के साथ काम करते हैं इसलिए हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश की कानून-व्यवस्था और विशेष रूप से शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वहां पर होटल होली-डे-होम जो कि पर्यटन निगम का सबसे प्रतिष्ठित होटल है और शिमला का एक महत्वपूर्ण होटल है, उसके परिसर में इस प्रकार की बात हो जाए तो आने वाले पर्यटक सीज़न में लोग यहां आने से गुरेज करेंगे। यहां के जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं वे उनके बच्चे हैं और 18-18 और 19-19 साल के हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

06.04.2015/1510/SS-AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः
और जिसको चोट लगी है उसका सारा शरीर नीला हो गया है। इन सब की छानबीन होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में वे वहां पर गए थे और क्यों वहां पर गोली चली तथा उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया। जिन युवकों पर मारपीट की और गोली भी चलाई है, जब वह व्यक्ति डयूटी पर नहीं था तो उन लड़कों के ऊपर आई0पी0सी0 की धारा 353 के अधीन क्यों केस बनाया गया है? इस बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के लिए ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 2 अप्रैल, 2015 की रात्रि को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के Hotel Holiday Home के परिसर में गोली चलने से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी, इस पर जवाब देंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले के संदर्भ में मैं यह सूचित करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार इस घटना की निष्पक्ष जांच कराने को प्रतिबद्ध है तथा जांच प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया

जायेगा। सरकार की मंशा है कि जांच स्वतंत्र रूप से हो जिससे वास्तविकता सामने आ सके तथा दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई हो। घटना की सूचना पुलिस को दिनांक 2.4.2015 को मिली कि होटल होलिडे होम में पार्किंग को लेकर झगड़े में गोली चली है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम होटल पहुंची। मामले की तहकीकात शुरू की गई। उधर आई0जी0एम0सी0 में श्री कशिश खन्ना, निवासी शिमला ने पुलिस को बयान दिया और मौके पर गोली चलने और उनके चोट लगने बारे सूचना दी। इस बयान पर आई0पी0सी0 की धारा 307, 323 एवं 34 तथा Arms Act की धारा 25 के अन्तर्गत थाना सदर जिला शिमला में दिनांक 2.4.2015 को अभियोग सं0 63/15 पंजीकृत किया गया है। पी0एस0ओ0, श्री पंकज शर्मा के भी बयान कलमबंद किए गए हैं। मुख्य आरक्षी, श्री पंकज शर्मा के उपरोक्त बयान पर आई0पी0सी0 की धारा 353, 332 व 34 के तहत थाना सदर, शिमला में दिनांक 2.4.2015 को अभियोग संख्याः 64/15 पंजीकृत किया गया।

06.04.2015/1510/SS- AG/2

दोनों अभियुक्तों श्री पंकज शर्मा, मुख्य आरक्षी एवं श्री राकेश कुमार, चालक को दिनांक 3.4.2015 को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया, जहां इनको दिनांक 4.4.2015 तक पुलिस रिमाण्ड दिया गया था। दिनांक 4.4.2015 को दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें दिनांक 16.4.2015 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

घटना में शामिल दोनों सरकारी कर्मचारियों, श्री पंकज शर्मा, मुख्य आरक्षी एवं श्री राकेश कुमार, चालक को ड्यूटी से निलम्बित कर दिया गया है।

अभियोग का अन्वेषण जारी है तथा इस विषय में सरकार निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच के लिए प्रतिबद्ध है।

समाप्त

06.04.2015/1510/SS- AG/3

अध्यक्षः भारद्वाज जी, आप क्या क्लैरीफिकेशन चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वे ज्यूडिशियल रिमांड पर हैं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो ये युवक कशिश खन्ना और अभय हैं उनके साथ मारपीट हुई, गोली चली। इनके बयान के बाद 307 34 आई0पी0सी0 का केस दर्ज हो गया और अपराधी गिरफ्तार हो गए। लेकिन उसके बाद आफ्टर थॉट के रूप में उनकी तरफ से क्रॉस एफ0आई0आर0 दर्ज कर दी गई क्योंकि वह पुलिस महकमे का व्यक्ति है, बड़े आदमी के साथ काम करता है। 353 आई0पी0सी0 -Assault to a Government Servant, जब कोई गवर्नमैंट ड्यूटी पर हो, उस सूरत में 353 लगाई जाती है..

जारी श्रीमती के0एस0

06.04.2015/1515/केएस/एजी/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी---

जब वह गवर्नमैंट डियूटी पर हो, उस सूरत में धारा 353 लगाई जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वे डियूटी पर नहीं थे, होटल होलिडे होम में अपनी मौज-मस्ती के लिए गए थे तो फिर यह 353 क्यों लगाई जा रही है, केवल मात्र उन युवकों को प्रैशराईज़ करने के लिए ताकि वे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके? या अगर वे डियूटी पर थे तो वहां पर मंत्री जी को होना चाहिए था और वे मंत्री जी के साथ थे, तब डियूटी पर थे। अगर मंत्री जी वहां पर नहीं थे, तो वे डियूटी पर नहीं थे। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब स्थिति यह थी कि वे स्वयं पार्किंग परिसर में गए थे और डियूटी पर नहीं थे तो क्या धारा 353 जो लगाई गई है, इसको हटाया जाएगा? हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम इस बात का राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं । हम तो जो शिमला के एक प्रतिष्ठित होटल में घटना घटी है, उसके बारे में बोल रहे हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सरकार इस मामले को बड़ी गम्भीरता से लेती है। इस विषय में जो सरकार ने कहना था वह मैंने कह दिया है । इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक कि इस मामले का और आगे खुलासा न हो जाए।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्योंकि पुलिस विभाग ने उनको अरैस्ट किया है और सस्पैंड भी किया है

06.04.2015/1515/केएस/एजी/2

तो इसका मतलब है कि सारे तथ्य सरकार के पास होंगे। हम जानना चाहते हैं कि इन सारी चीजों को देखते हुए क्या इन दोनों को उस वक्त डियूटी पर कंसिडर किया जा रहा है? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि वे दोनों क्या उस वक्त डियूटी पर थे या नहीं थे?

Chief Minister: As of now, they are suspended from service.

Shri Suresh Bhardwaj: At that time whether they were on duty or not?

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी ज़िरह का जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं।। am standing here to reply the facts as I know and I have given all the facts to you. We take this matter very seriously. I have no desire to hush up anything. Let the truth prevail and whatever truth comes out further action will be taken as per the investigation.

Speaker: Hon'ble Member, I may make it clear that the inquiry which is being instituted by the Government includes your part, what you are saying now. That is a part of the inquiry. I would like to say to the Police why that Section 353 IPC and others were charged against the injured person and his companion. That is a part of inquiry.

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि FIR No. 63 of 2015 was registered under Section 307 and 34 IPC

06.04.2015/1515/केएस/एजी/3

against Pankaj Sharma and the Driver and they are behind the bars. They have been sent to judicial custody. Second FIR No. 64 of 2015 was also registered on the same day that is a cross First Information Report and that

is registered under Section 353 and 332 IPC meaning thereby that the Government or the Police as of now is conceding that they were on duty at that particular time. Today they are suspended. That is right. But on the date when this occurrence took place at that time whether they were on duty because they were attached with the Hon'ble Minister and if Minister was there in the Holiday Home then they were on duty. If Minister was not there then they were not on duty. If they were not on duty then 353 IPC should not be there. It is a very simple question.

Speaker: Hon'ble Member, you are assuming the thing which is going to happen in future and the inquiry made by the Police is a part of that.

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

6.4.2015/1520/jt/av/1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य 'बाल की खाल उतार' रहे हैं। He can argue this case somewhere else like this. अभी इनवैस्टिगेशन की स्टेज है। Let the matter be investigated. I can assure you that the investigation will be free and fair. There will be no pressure to save anybody; there will be no pressure to punish anybody. We will see that truth comes out and as the truth comes out, action will be taken as per law.

Speaker: It is a matter of investigation.

6.4.2015/1520/jt/av/2

विधायी कार्य
सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

विचार :

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का

उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

6.4.2015/1520/jt/av/3

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

पारण :

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग

करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

6.4.2015/1520/jt/av/4

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) पारित हुआ।

6.4.2015/1520/jt/av/5

<u>विचार :</u>

अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष :प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

6.4.2015/1520/jt/av/6

व्यवस्था का प्रश्न

डॉ.राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो चकोताधारकों के सम्बंध में संशोधन लेकर आए हैं हम उस मूल भावना का समर्थन करते हैं। जो लोग लम्बे समय से इस भूमि पर काबिज हैं, उसी पर रह रहे हैं, मकान बनाये हैं, जमीन हैं; वे काफी समय से परेशानी झेल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में केवल दो सुझाव लाना चाहूंगा। जब यह भूमि बहुदा अनुसूचित जाति वर्ग को दी गई तो उस समय जहां पर पटवारी ने इंगित कर दिया कि यह भूमि तुम्हारे लिए हैं वहीं पर वह व्यक्ति काबिज हो गया और वहीं पर बैठ गया। -------

श्री बी जे द्वारा जारी

डॉ.राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो चकोताधारकों के सम्बंध में संशोधन लेकर आए हैं हम उस मूल भावना का समर्थन करते हैं। जो लोग लम्बे समय से इस भूमि पर काबिज हैं, उसी पर रह रहे हैं, मकान बनाये हैं, जमीन हैं; वे काफी समय से परेशानी झेल रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में केवल दो सुझाव लाना चाहूंगा।

जब यह भूमि बहुदा अनुसूचित जाति वर्ग को दी गई तो उस समय जहां पर पटवारी ने इंगित कर दिया कि यह भूमि तुम्हारे लिए हैं वहीं पर वह व्यक्ति काबिज हो गया और वहीं पर बैठ गया। -------

श्री बी जे द्वारा जारी

06.04.2015/1525/negi/ag/1

डॉ0 राजीव बिन्दल .. जारी.....

वहीं पर वह व्यक्ति काबिज़ हो गया और वहीं पर बैठ गया । न तो उसके पास कोई खाता नम्बर है । उसको उस समय आइडेन्टीफाई करके, डिमार्केट करके कोई भूमि नहीं दी गई थी । मौके की स्थिति यह है कि बहुत सारे मामलों में जहां पर वह पिछले 50 साल से काबिज़ हैं, गाह रहा है, बाह रहा है, उसके मकान बने हैं उससे दूसरे स्थान के ऊपर वह खाता-खतौनी नम्बर आ रह हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार के मामलों में और स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दे करके उनको सहयोग देंगे। एक तो मेरा यह सुझाव है। दूसरा, जहां पर 5 बीघे से ज्यादा ज़मीन पर वह काबिज़ हैं और काबिज़ भी 1960 और 1970 के दशक से हैं उनको भी उनका मालिकाना हक देने के लिए माननीय मंत्री जी और इसमें फरदर ऐड करेंगे, इतना कहते हुए मैं इसका समर्थन करता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य, डॉ0 राजीव बिन्दल जी ने सुझाव दिया है, अभी तो हम यह ऐक्ट में संशोधन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का जो अपना विलेज कॉमन लैंड वैस्टिंग एण्ड युटिलाइजेशन ऐक्ट-1974 है, यह 29.8.1974 को इंफोर्स हुआ है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नही था। पंजाब का 1966 के बाद कुछ क्षेत्र पंजाब से हिमाचल प्रदेश में आए उस वक्त पंचायतों ने कुछ ज़मीनें चकौता धारकों को चकौता बेसिज़ पर दे दिया था। वे बार-बार हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी के पास आए, हमारे पास आए तब हम उनके लिए ऐक्ट के अन्दर यह इनेबलिंग प्रावधान कर रहे हैं ताकि उनकी ज़मीनों को, फिर किस सूरत में होगा, क्या होगा, कितनी ज़मीन दी जाएगी उसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा लेकिन हमारे ऐक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नही था उसके लिए यह प्रावधान का प्रोविजन

हमने इन्कॉरपोरेट किया है और उनकी सुविधा के लिए और उनको मालिक बनाने के लिए ऐक्ट में हमने यह संशोधन लाया है।

06.04.2015/1525/negi/ag/2

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 विधायक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है क खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

06.04.2015/1525/negi/ag/3

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) पारित हुआ।

नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्ष : अब नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख होंगे।
अब श्री महेश्वर सिंह जी नियम-324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-324 के अन्तर्गत निम्न शब्दों में विशेष उल्लेख प्रस्तुत करता हूंः-

मैं सरकार का ध्यान गत वर्ष फलों के सीजन के दौरान चायल के निकट साधुपुल क्षतिग्रस्त होने की ओर दिलाना चाहता हूं। इस पुल के निर्माण हेतु एक करोड़ सत्तर लाख की धनराशि तथा इसे एक मास के भीतर कार्य शुरू करने के लिए विभाग को निर्देश दिए। मेरा.

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी.....

06.04.2015/1530/यूके/जेटी/ 1

श्री महेश्वर सिंह---जारी----
मेरा सरकार से आग्रह है कि इस पुल के निर्माण कार्य को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र करवाने की कृपा करें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वास्तविक स्थिति इस प्रकार से हैः-

यह सत्य है कि गत वर्ष साधुपुल में अश्वनी खड्ड पर बना पुल दिनांक 23.08.2014 को प्रातः 9.40 मिनट पर टूट गया था। पुल के टूटने का मुख्य कारण अधिक क्षमता वाले वाहनों का पुल के ऊपर से गुजरना था। पुल टूटते समय एक सेब का भरा ट्रक भी साथ ही खड्ड में गिर गया था। इस पुल का निर्माण 1904 में हुआ था।

विभाग ने तुरन्त दो दिन के भीतर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर दिया था तथा यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बैली पुल का भी निर्माण किया गया है तथा यातायात सुचारू रूप से चल रहा है ।

इस स्थान पर अब 60मीटर स्पैन का डबल लेन के पुल के बनाने का प्रस्ताव है । इस स्थान की Geotechnical investigation करवा कर General arrangement drawings की स्वीकृति प्राप्त हो गई है । भारत सरकार द्वारा इस पुल के लिए 3 करोड़ 34 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं । अब इस कार्य की निविदाएं आमंत्रित की गई है जो दिनांक 09.04.2015 को खोली जायेगी तथा सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा ।

06.04.2015/1530/यूके/जेटी/ 2

अध्यक्षः अब श्री महेन्द्र सिंह जी नियम 324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे ।
(ऐबसेंट)

अध्यक्षः अब श्री रविन्द्र सिंह रवि जी नियम 324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे ।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 324 के अन्तर्गत एक अति महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन में रखना चाह रहा हूं । वर्ष 1997 में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायतों में सिलाई अध्यापिकाओं जिनकी संख्या लगभग 3500 के लगभग है, नियुक्त की गयीं थी । जिनमें से कई स्नातक आई0टी0आई0 से प्रशिक्षण प्राप्त है । नियुक्ति के समय इन्हें अनुबन्ध आधार पर रखा गया था । परन्तु बाद में इनका अनुबन्ध पंचायत स्तर पर करने के आदेश जारी किए गए । यह अध्यापिकाएं पंचायतों में सिलाई प्रशिक्षण दे रही हैं और वर्तमान में प्रति माह 1600 रुपए मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं जो कि प्रशिक्षित डिप्लोमा प्राप्त सिलाई अध्यापिकाओं के लिए बहुत ही कम है । इन्हें कार्य करते हुए लगभग 17 वर्ष हो चुके हैं । न तो ये दैनिक भोगी बन पाई हैं और न ही इनका मानदेय बढ़ाया गया है । मेरा सरकार से आग्रह है कि पंचायतों में अन्य अनुबन्ध कर्मचारियों की तर्ज पर इन्हें भी नियमित कर पूरे प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में क्राफ्ट अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्त करने की अनुकम्पा करें ।

अध्यक्षः माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री इसका उत्तर देंगे ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में वास्तविक स्थिति इस प्रकार से हैः-

ग्राम पंचायतों मे व्यावसायिक सिलाई केन्द्र सम्बन्धी योजना वर्ष 1996-97 में आरम्भ की गई थी । वर्ष 1996-97 में अधिसूचित प्रथम योजना के अन्तर्गत 2865 सिलाई केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया । सिलाई अध्यापिकाओं को एक वर्ष के लिए सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा अनुबन्ध पर नियुक्त करने का प्रावधान रखा गया । जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति को मु0 6000/- प्रति वर्ष प्रति केन्द्र अर्थात् मु0 2000/- सिलाई मशीन खरीदने हेतु (one time grant in aid) उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान था ।

06.04.2015/1530/यूके/जेटी/3

सिलाई अध्यापिकाएं सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में बतौर अंशकालिक प्रतिदिन 4 धंटे की कार्य अवधि हेतु नियुक्त की गई । योजना के अनुसार सिलाई केन्द्र पंचायत क्षेत्र के सभी वार्डों में प्रति वर्ष चक्रानुक्रम से खोले जाने का प्रावधान किया गया ।

एसएलएस द्वारा जारी----

06.04.2015/1535/sls/jt-1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में वास्तविक स्थिति निम्न अनुसार हैः

ग्राम पचांयतों में व्यावसायिक सिलाई केन्द्र सम्बन्धी योजना वर्ष 1996-97 में आरम्भ की गई थी। वर्ष 1996-97 में अधिसूचित प्रथम योजना के अन्तर्गत 2865 सिलाई केन्द्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया। सिलाई अध्यापिकाओं को एक वर्ष के लिए सम्बन्धित पचांयत समिति द्वारा अनुबन्ध पर नियुक्त करने का प्रावधान रखा गया। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा पचांयत समिति को मु*0* 6000/- प्रति वर्श प्रति केन्द्र अर्थात मु*0* 500/- प्रति माह मानदेय के रूप में उपलब्ध करवाने का

प्रावधान किया गया मु0 2000/-सिलाई मशीन खरीदने हेतु (one time grant in aid) उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान था।

सिलाई अध्यापिकाएं सम्बन्धित ग्राम पचांयतों में बतौर अंशकालिक प्रतिदिन 4 घण्टे की कार्य अवधि हेतु) नियुक्त की गई। योजना अनुसार सिलाई केन्द्र पचांयत क्षेत्र के सभी वार्डों में प्रतिवर्ष चक्रानुक्रम से खोले जाने का प्रावधान किया गया।

वर्ष 1996 में ग्रामीण विकास विभाग में नियुक्त कनिश्ठ सिलाई अध्यापिकाओं के वर्ग को मृत संवर्ग (dying cadre) घोषित किया गया था तथा ग्रामीण विकास विभाग के 57 सिलाई केन्द्र कार्यरत थे। वर्श 1996-97 के दौरान प्रदेश में कुल 2922 ग्राम पचांयतें थी इस प्रकार ग्रामीण विकास विभाग के सिलाई केन्द्रों को मिलाकर प्रत्येक पचांयत में सिलाई केन्द्र स्थापित किया गया।

वर्ष 1996 को जारी योजना के अनुसार सिलाई अध्यापिकाओं हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई थी। परन्तु 8वीं पास उम्मीदवार न मिलने पर 5वीं पास को भी सिलाई अध्यापिका के रूप में नियुक्त दी जा सकती थी। इस योजना में समय-2 पर संशोधन किये गये। वर्श 1998 में पंचायत समिति से हटाकर इन्हें ग्राम पंचायत का कर्मचारी बनाया गया। वर्तमान में 27.10.2003 को अधिसूचित योजना के अन्तगर्त सिलाई अध्यापिकाओं की सेवाओं का संचालन इत्यादि किया जा रहा है।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है और यदि कोई प्रार्थी 8वीं पास नहीं है तो, 5वीं पास भी सिलाई अध्यापिका के रूप में रखा जा सकता है, का प्रावधान है। वर्तमान में कुल 2102 सिलाई अध्यापिकाओं में से 1580 मैट्रिक व इससें कम शिक्षा प्राप्त, 471, 10+2 तथा 51 स्नातक व आई0टी0आई0 डिप्लोमा धारक है। अतः समस्त सिलाई अध्यापिकाएं आई0टी0आई0 के डिप्लोमा धारक नहीं है।

दिनांक 21.2.2011 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन सिलाई केन्द्रों में सिलाई अध्यापिका का पद त्याग पत्र, सेवा निवृति, विवाह आदि कारणों से बन्द/रिक्त हो तो उस सिलाई केन्द्र को पुनः खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। उपरोक्त के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता हे कि सिलाई

अध्यापिकाओं की नियुक्ति सम्बन्धी सरकार द्वारा दिनांक 27.10.2003 को अधिसूचित वर्तमान लागू योजना के प्रावधान के अन्तर्गत प्रतिदिन 4 घण्टें की निर्धारित कार्य अवधि हेतु अंशकालिक तौर पर नियुक्त किया गया है जिस हेतु सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उक्त सिलाई अध्यापिकाओं को मु0 2000/- रू0 प्रतिमाह मानदेय के रूप में उपलब्ध करवाए जा रहे है। सरकार सिलाई अध्यापिकाओं की समस्याओं/मांगो से भली भान्ति परिचित है तथा समय समय पर इनके हित में निम्न कदम उठाये गये हैंः-

1) दिनांक 24.7.2007 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में मु0 700 रू0 से मु0 900/-रू0 की बढोतरी की गई।

2) दिनांक 29.12.2008 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में मु0 900 रू0 से मु0 1100/- रू0 की बढोतरी की गई।

3) दिनांक 15.7.2011 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में मु0 1100 रू0 से मु0 1400/- रू0 की बढोतरी की गई।

4) विभाग द्वारा दिनांक 15.2.2012 को सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग से यह अनुरोध किया गया कि सिलाई अध्यापिकाओं को उनकी योग्यता अनुसार आंगनवा़डी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाये।

5) दिनांक 15.6.2012 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में मु0 1400 रू0 से मु0 1600/-रू0 की बढोतरी की गई।

6) दिनांक 21.7.2014 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में मु0 1600 रू0 से मु0 2000/-रू0 की बढोतरी की गई।

उपरोक्त से स्पश्ट है कि सिलाई अध्यापिकाएं ग्राम पंचायतों की कर्मचारी है और इन पर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाली नीतियां लागू नहीं होती। जिस कारण इन्हें अंशकालिन से दैनिक भोगी और नियमित करना सम्भव नहीं है।

06.04.2015/1535/sls/jt-2

नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव है।

अब श्री सुरेश भारद्वाज जी, नियम-130 के अंतर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाज जी ...श्री गर्ग जी के पास

06/04/2015/1540/RG/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत मेरे प्रस्ताव को आपने स्वीकार किया और उसे सदन में चर्चा के लिए रखने की अनुमति प्रदान की जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष : श्री सुरेश भारद्वाज जी पहले आप प्रस्ताव पढ़ दीजिए।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'यह सदन सरकार की वर्तमान पन विद्युत ऊर्जा नीति पर विचार करे।'

अध्यक्ष : तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि कि 'यह सदन सरकार की वर्तमान पन विद्युत ऊर्जा नीति पर विचार करे।' इस पर कोई मतदान नहीं होगा। समय मैनेज किया जाएगा। माननीय ऊर्जा मंत्री जी बाद में चर्चा का उत्तर देंगे। श्री सुरेश भारद्वाज जी अपने प्रस्ताव के आशय पर चर्चा करें।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत मेहनतकश हैं, कुदरत ने भी हिमाचल प्रदेश को सुन्दरता दी है जिसके कारण देश-विदेश से यहां पर्यटक आते हैं। इसलिए यहां पर्यटन की दृष्टि से

बहुत सारे स्थान चिन्हित भी हुए हैं, वहां लोग ज्यादातर आते हैं और पर्यटन के लिए बहुत अच्छे स्थानों में से हिमाचल प्रदेश के उन स्थानों को माना जाता है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कुछ जिले के लोगों ने मेहनत की। जहां पहले भी लोग मेहनत करते थे, वहां जौ, गेहूं इत्यादि फसलें बीजा करते थे जिसमें मेहनत बहुत अधिक होती थी और उसका ऑउटपुट बहुत कम होता था। डॉ. यशवन्त सिंह परमार यहां के प्रथम मुख्य मंत्री थे। यहां माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स जी बैठी हैं। इनके परिवार से स्वर्गीय श्री सत्यानन्द स्टोक्स जी हिमाचल प्रदेश में आए तो धर्म परिवर्तन के लिए थे, लेकिन स्वयं परिवर्तित हो गए और हिमाचल प्रदेश को वरदान के रूप में सेब दे गए। लोगों की मेहनत के कारण यहां सेब की फसल होने लगी और आम जनता का जीवन स्तर एवं आर्थिकी बहुत अच्छी हुई। इसलिए हिमाचल प्रदेश को सेब का प्रदेश भी कहा जाता है। यह फल प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है।

अध्यक्ष महोदय, यहां एक विशेष रिसोर्स है कि हिमाचल प्रदेश में पानी बहुत बहता है और यह कहा जाता है कि जो यहां पानी बह रहा है यह यहां का बहता हुआ सोना है। हिमाचल प्रदेश अपने आप में आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर हो सकता है

06/04/2015/1540/RG/AG/2

अगर हिमाचल प्रदेश के इस बहुमूल्य खजाने का दोहन किया जाए। जैसे बाकी प्रदेशों में खनिज पदार्थ मिलते हैं, कहीं कोयला मिलता है जिसकी आजकल ऑक्शन हो रही है और उसमें लाखों करोड़ रुपये प्रदेशों को मिल रहा है। जहां खनिज हैं वहां उनकी रॉयल्टी उनको मिलती है। हिमाचल प्रदेश में जो यह बहता हुआ सोना है इसके लिए सभी सरकारों ने सक्सैसिव गवर्नमेंट ने प्रयत्न किया कि इसके ऊपर टैक्स मिल जाए, वाटर टैक्स के रूप में कुल मिल जाए या ऐसा नहीं होता, तो जनरेशन टैक्स ही मिल जाए----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

06/04/2015/1545/MS/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी----------

वाटर टैक्स के रूप में हो जाए या अगर जनरेशन टैक्स नहीं होता है तो जनरेशन टैक्स मिल जाए। यह सब चीजें संभव नहीं है। यहां से बहकर पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के खेतों को लहलहाता है लेकिन अपने यहां के लोग जो विस्थापित हो जाते हैं उनका सालों-साल रिहैब्लिटेशन नहीं हो पाता है। इसलिए इस प्रदेश में स्वयं इस पानी का उपयोग किया जाए। इस बहते जल के दोहन से यहां पर बिजली पैदा की जाए ताकि उस बिजली से सारे देश को ऊर्जा प्राप्त हो, हिमाचल प्रदेश को रिसोर्सिज प्राप्त हों। पूरे प्रदेश का समग्र विकास हो सके इसके लिए आवश्यकता है कि यहां पर ऊर्जा नीति ठीक प्रकार से बने और उस पर ठीक प्रकार से काम हो ताकि हिमाचल प्रदेश के इस रिसोर्स को टैप करके, हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी और हिमाचल प्रदेश की जनता को भी आर्थिक रूप से सम्पन्नता प्राप्त हो। हिमाचल प्रदेश का जो पानी यहां से बहता था, उस पर हमारे सबसे पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी कहा करते थे कि भाखड़ा बांध वर्तमान काल का सबसे बड़ा मंदिर है। वह मंदिर बना और हरियाणा तथा पंजाब इत्यादि को उससे सिंचाई के साधन मिले। सारे देश को उससे बिजली प्राप्त हुई लेकिन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के लोग आज भी अपनी रिहैब्लिटेशन के लिए आवाज उठाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। पौंग बांध के बनने से जो लोग विस्थापित हुए, उनको राजस्थान में जमीन दी गई। लेकिन वहां कुछ तो उनको क्लाइमेट नहीं रहने देता है और कुछ वहां पर जो लोग बसे हुए हैं, उनको लगता है कि अब ये यहां क्यों आ गए हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो ऊर्जा नीति है, उस पर पूर्ण रूप से समग्रता और गहनता से विचार करके नीति बनाई जानी चाहिए कि हमने जो प्रोजैक्ट यहां पर बनाने हैं, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हैं, राज्य क्षेत्र में हैं, केन्द्र के क्षेत्र में है या निजी क्षेत्र में हैं, उनके लिए हम प्रौपर नीति बनाकर इस ढंग से इसका दोहन करे कि उससे जो लोग विस्थापित होंगे, उनका भी रिहैब्लिटेशन हो सके और जो वहां से ऊर्जा प्राप्त होगी, वह सारे देश के लोगों को जगमगाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश को जो पैसा मिलना चाहिए, जो यहां के लोगों को रिसोर्स मोबेलाइजेशन बाकी क्षेत्रों में

06/04/2015/1545/MS/AG/2

काम के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, सड़कों के लिए, हैल्थ और शिक्षा के लिए चाहिए वह प्राप्त हो सके। इस दृष्टि से यहां पर बहुत से बड़े-बड़े प्रोजैक्ट सरकारी क्षेत्र में बनें। आज NJPC का जो नाथपा झाकड़ी का हमारा प्रोजैक्ट है, उससे कई बार 1500 से ज्यादा मेगावाट बिजली मिलती है। जिसमें हिमाचल प्रदेश को 12 परसेंट

बिजली अलग से मिलती है और उसका 25 परसेंट का जो शेयर है, उससे भी बिजली मिलती है। उससे हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसी प्रकार से एन0जे0पी0सी0 को प्रोजैक्ट्स दिए हैं जोकि सेंट्रल गवर्नमैंट की अण्डरटेकिंग है लेकिन उससे हिमाचल प्रदेश को 12 प्रतिशत रॉयल्टी मिलती है जोकि फ्री पावर है। इसी तरह से कोल डैम कमिशन होने वाला है वह भी 800 मेगावाट की क्षमता का है। उससे भी हिमाचल प्रदेश को 12 परसेंट फ्री बिजली मिलेगी। उसमें और भी जो बहुत सारी चीजें हैं, उससे भी हिमाचल प्रदेश को फायदा होगा। इसी तरह से अनेकों प्रोजैक्ट्स हैं। चमेरा प्रोजैक्ट है और बहुत सारे सरकारी क्षेत्र में प्रोजैक्ट हैं, चाहे केन्द्रीय क्षेत्र में है या हिमाचल प्रदेश की संजय विद्युत योजना किन्नौर में है। ऐसे बहुत सारे प्रोजैक्ट्स हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश के पानी का उपयोग करके बिजली का उत्पादन किया गया। वर्ष 1995-96 में हिमाचल प्रदेश में एक और शुरूआत की गई। प्राइवेट इन्वैस्टर्स को इन्वाइट करके यहां पर प्राइवेट सैक्टर में भी पन बिजली बनें, उसके लिए उन्हें इन्वाइट किया गया और यहां पर प्रोजैक्ट प्रारंभ हुए। जिसमें किन्नौर में बासपा का प्रोजैक्ट है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा---

06.04.2015/1550/जेके/जेटी/1

श्री सुरेश भारद्वाजः-----जारी-----

बस्पा का प्रोजैक्ट है। बड़े-बड़े प्रोजैक्ट हैं। इसके बाद भी नीति पर काम होता रहा और उसमें छोटे-छोटे प्रोजैक्ट्स के लिए प्राईवेट सेक्टर को यहां पर इन्वाइट किया जाता रहा। अध्यक्ष महोदय, जो टोटल इस प्रकार के प्रोजैक्ट्स हिमाचल प्रदेश में चिन्हित किए गए , वे 6,474 हैं। जिसमें टोटल पोटेंशियल 20 हजार मैगावाट की है। जो अभी तक ऐसे प्रोजैक्ट लगे हैं वे 999 हैं। जिसमें टोटल केपेसिटी 3,826.18 मैगावॉट की है। यानि टोटल का 19.13 परसैंट है। प्राईवेट इन्वेस्टर्ज ने इसमें 320 प्रोजैक्ट बनाए हैं। प्राईवेट सेक्टर में 1662 मैगावाट यानि 8.31 परसैंट केपेसिटी प्राईवेट सेक्टर से इन्सटॉल हुई है। अब जो टोटल पोटेंशियल हमारे पास बचता है वह 80.87 परसैंट है यानि कि 5,475 जो प्रोजैक्ट्स हैं वे अभी हमारे पास बचते हैं। जो प्राईवेट सेक्टर ने 25 मैगावॉट के प्रोजैक्ट्स इन्सटॉल किए हैं वे 158 हैं, यानि 638 मैगावाट है। 5 मैगावॉट तक के 68 हैं जो कि 255.75 मैगावॉट के हैं। अभी तक कमिशन्ड पोटेंशियल 12.8 परसेंट है। 18 साल में प्राईवेट सेक्टर में जबसे हमने इनको इन्वाइट किया तब से आज

तक टोटल केपेसिटी हारनैस कर पाए हैं, वह 12.8 परसेंट है। पूरे हिन्दुस्तान की दृष्टि से देखें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। बाकी प्रदेशों में भी अरूणाचल है, उत्तराखंड है और जम्मू-कश्मीर में है। उनमें भी प्राईवेट सेक्टर में पन बिजली का उत्पादन हो रहा है। अगर हम अपने पड़ौसी देशों के हिसाब से देखेंगे तो उस हिसाब से जो हाईड्रो पॉवर कान्ट्रीब्युशन है यानि टोटल केपेसिटी के अंगेस्ट उसमें हिन्दुस्तान सबसे नीचे है। केवल 16.25 परसेंट है। जबकि भुटान की सबसे हाइएस्ट 99 परसेंट है। हमसे ऊपर सब हैं। चाईना भी हमसे एक प्वाईंट ऊपर है। लेकिन छोटे-छोटे देश इस दृष्टि से बहुत ऊपर गए हैं। इसी के कारण वह अपने रिर्सोस मोबिलाईजेशन कर रहे हैं। जिसके कारण उनकी विकासात्मक गतिविधियों को पैसा प्राप्त हो रहा है। बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि भाखड़ा डैम इत्यादि बना उसमें बड़े-बड़े रीज़रवायर बनें। उसमें बहुत सारी ज़मीन मर्ज हो गई जिसके कारण बहुत सारे लोग विस्थापित हुए। लेकिन

06.04.2015/1550/जेके/जेटी/2

अब लेटैस्ट टेक्नोलॉजी और जो छोटे प्रोजैक्टस हैं इनमें रैज़रवायर की जरूरत नहीं होती है। कोई झील बनाने की जरूरत नहीं होती है। कोई बड़ा डैम बनाने की जरूरत नहीं होती है। अधिकांश ये टनलिंग के द्वारा बनते हैं। टनल बनाना थोड़ा मंहगा जरूर होता है लेकिन उसके कारण जो ऊपर की ज़मीन है उस पर बहुत ज्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि इसमें डिफरैंट मत हैं। आजकल सारे प्रदेश में जिस प्रकार से जे.पी. के प्रोजैक्ट कड़छम और वस्पा में चले हुए हैं। वहां पर आजकल मज़दूरों का आंदोलन चल रहा है। उस दृष्टि से वहां पर बहुत सारी समस्याएं भी हैं और ऐसे कई और भी प्रोजैक्ट्स हैं, शायद वहां की जो पानी इत्यादि की चीजें हैं जो कि बावड़ियां हैं, दूसरे वॉटर रिसोर्सिज हैं वे सूख जाते हैं। लेकिन जो पुरानी टैक्नोलॉजी थी उसके मुकाबले में टनलिंग के द्वारा जो काम होता है उसमें बहुत सारी चीजें हमारी आम जनता के पक्ष में जाती हैं। इन छोटे-छोटे प्रोजैक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश ने एक नीति बनाई थी और सारे प्राईवेट सेक्टर को इन्वाईट किया था कि आप 5 मैगावाट से लेकर 25 मैगावाट तक ले सकते हैं। पॉलिसी बदलती रहती है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः

फिर पॉलिसी बदलती रहती है, कभी कम कर देते हैं, कभी ज्यादा कर देते हैं। विभिन्न सरकारें इस दृष्टि से अपने हिसाब से नीति बनाती हैं। लेकिन हमारा जो पानी विभिन्न नदियों-नालों में बह रहा है उसको टैप करने के लिए हमारे प्राइवेट सैक्टर के लोग वहां पर काम करते हैं। छोटे-छोटे प्रोजैक्टस बनाते हैं। ये छोटे प्रोजैक्टस इंवायरनमैंट फ्रैंडली होते हैं। एक तो वैसे ही हाइड्रो पावर इंवायरनमैंट फ्रैंडली है, सबसे सस्ती भी है और सबसे क्लीन एनर्जी भी है इसलिए अगर हम इसको प्रोत्साहन देंगे तो उससे हिमाचल प्रदेश का रिसोर्स मोबेलाइजेशन होगा तथा हिमाचल प्रदेश में इंवायरनमैंट फ्रैंडली प्रोजैक्टस लगेंगे। इसके कारण बहुत सारी इकोलॉजिकल डिस्टरबैंस नहीं होती है। जैसे मैंने कहा कि इसमें रिजरवायर वगैरह बनने से डिसप्लेसमैंट ऑफ पापुलेशन होती है। इसमें बहुत कम डिसप्लेसमैंट कहीं-कहीं होती है। लोगों को रिहैबलिटेट और कम्पनसेट करने के लिए आप अपनी नीति बना सकते हैं। इससे लोकल इकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरफियरैंस नहीं होती है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो क्लीन एनर्जी है और हिमाचल प्रदेश का पौटेंशियल है इसको गति प्रदान करने की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे वाटर और एअर पॉल्यूशन नहीं होता। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज इत्यादि बचा सकते हैं। जो हमारे दूर-दूराज़ के क्षेत्र हैं, वहां पर जो छोटे-मोटे काम होते हैं, कोई सड़क का काम है या दूसरा काम है जिनको हम बाकी योजनाओं के द्वारा वहां नहीं पहुंचा सकते, वहां पर इन प्रोजैक्टस के द्वारा काम हो सकते हैं। इसके कारण लॉ वॉल्टेज और ग्रिड की जो समस्या होती है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके टूरिज्म में भी इसका लाभ होता है क्योंकि जब टूरिस्ट ट्राईबल या रिमोट एरियाज़ में जाता है तो इन प्रोजैक्टस को भी देखता है। जब किन्नौर जाता है तो संजय विद्युत परियोजना जो पहाड़ के नीचे बनी है वह अपने आप में देखने वाली चीज़ है। अब तो बहुत सारे प्रोजैक्टस उस तरह के बन रहे हैं लेकिन शुरू में वह हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा बनाई हुई परियोजना है। बहुत अच्छी परियोजना है। उसे देखने टूरिस्ट भी वहां जाता है। इसलिए रिमोट एरियाज़ में, लाहौल-स्पिति या किन्नौर में जहां पर बाहर से शायद बिजली न जा पाए जब उनको ज्यादा जरूरत हो, अगर छोटे-छोटे प्रोजैक्टस वहां पर लगे हैं तो उससे उनको बिजली भी मुहैया करवाई जा सकती है जो शायद आज नहीं होती है। क्योंकि नीति इस ढंग की नहीं है। सारी ट्रांसमिशन लाइन बनती है और बिजली उसमें ही जाती है

06.04.2015/1555/SS-JT/2

और शायद नॉर्दर्न इंडिया के ग्रिड में पहुंच जाती है तथा फिर वहां से आगे जायेगी। जहां बिजली बनती है उन लोगों को बिजली नहीं मिलती। आजकल सर्दियों में जहां-जहां ये प्रोजैक्टस हैं उन सभी स्थानों पर लोकल लोगों को बिजली नहीं मिलती है। इस पर कोई सोच-विचार करना चाहिए कि उन लोगों को इसका लाभ मिले जिनके कारण यह बिजली बन रही है। जिनके कारण यह पानी वहां पर है। जिनके कारण वहां का इंवायरनमैंट ठीक है और वहां पर इनको डिस्टर्ब करके प्रोजैक्ट बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि पिछले दो वर्षों से हिमाचल प्रदेश में पन-बिजली परियोजनाओं में इंवैस्टमैंट जीरो हो गई है। 1995-96 में हमने प्राइवेट सैक्टर को इंवाइट करने की पॉलिसी बनाई थी। हमने 6 हजार प्रोजैक्टस आइडेंटीफाई किये हुए हैं और केवलमात्र आज तक हम 8 परसैंट बिजली बना सके हैं। जिन लोगों को आपने प्रोजैक्टस दिए हुए हैं वे आज प्रोजैक्टस नहीं चला रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर आज कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहां पर जो लोग इंवैस्टमैंट करना चाहते हैं और यहां पर प्रोजैक्टस लिये हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता है। उनकी फॉरैस्ट क्लीयरैंस नहीं होती है। उनको बहुत सारी सबसिडी जो केन्द्रीय सरकार से मिलती है वह काट दी जाती है जब उसकी कैलकुलेशन होती है।

जारी श्रीमती के0एस0

06.04.2015/1600/केएस/जेटी/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी---
उनको डबल टैक्सेशन होता है बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है इसलिए प्राइवेट इन्वैस्टर नहीं आ रहा है। एक हिमाचल प्रदेश का प्राजैक्ट था, बहुत बड़ी-बड़ी कम्पनीज़ हाई कोर्ट में गई। वह किन्नौर का जंगी थोपन प्रोजैक्ट था। उसके लिए बाहर की कम्पनियों ने भी टैंडर किया। हिन्दुस्तान की बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने टैंडर किया। हाई कोर्ट का डिसिज़न हुआ फिर वे सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। बड़े-बड़े लोग, बड़ी-बड़ी कम्पनियां जो इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में इन्वैस्टमैंट करना चाहते थे, आज उन प्रोजैक्ट्स को लेने के लिए एक भी पार्टी आगे नहीं आ रही है? वही लोग जो दो साल पहले लेना चाहते थे, आज क्यों नहीं लेना चाहते हैं, इसकी जांच करने की आवश्यकता

है। यह इन्वैस्टमैंट फ्रैंडली स्टेट आज टोटल इन्वैस्टमैंट के लिहाज से शून्य क्यों होता जा रहा है जबकि हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी इन्वैस्टमैंट के लिए उद्योग मंत्री को ले करके सारे हिन्दुस्तान में घूमे। इन्वैस्टमैंट कहां से होगी क्योंकि जो अटल जी के समय में हमें पैकेज़ मिला था वह आपने खत्म कर दिया और जब उसको बढ़ाने के लिए आदरणीय धूमल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रस्ताव लाया था, तो आप उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए नहीं गए और विधान सभा में भी आप उस विषय पर वाक आऊट कर गए। अब आप सारे देश में जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इन्वैस्टमैंट करो, यहां फैक्ट्रियां लगाओ लेकिन यहां पर इन्वैस्टमैंट करने के लिए कोई क्यों तैयार नही है, इसकी जांच करने की आवश्यकता है। मेरा आरोप है कि यह इन्वैस्टमैंट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में चरम सीमा पर पहुंच

06.04.2015/1600/केएस/जेटी/2

गया है। प्रोजैक्ट लगाना है तो उसके लिए आपको पहले एडवांस देना पड़ेगा तब आप प्रोजैक्ट की आगे की मंजिल पर चढ़ सकेंगें वरन् जो कम्पनियां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही थीं आज उसी प्रोजैक्ट को लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है और बाकी भी जितने यहां पर आपने लोगों को प्रोजैक्ट्स दे रखे हैं, उसमें काम नहीं हो रहा है । आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना है, उसके लिए केबिनैट की सब कमेटी बन जाती है, उसका कोई डिसिज़न नहीं होता है। पहले तो चेयरमैन ही डिसाइड नहीं होता है । चेयरमैन डिसाईड हो जाए तो उसका कोई निर्णय नहीं आता है और न कोई रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है। बजट आपका टैक्स फ्री होता है। आप बिजली के काम में रिसोर्स मोबिलाईजेशन कर सकते थे लेकिन इसमें आपके पास कोई इन्वैस्टर नहीं आ रहा है । आपके पास पैसा नहीं है कि आप अपना कोई प्रोजैक्ट लगाएं। सैंट्रल गवर्नमैंट के प्रोजैक्ट्स के साथ या दूसरों से आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। प्राईवेट सैक्टर में आप इन्वैस्टमैंट मांगते हैं, वे आपके पास आ नहीं रहे हैं तो इस सारी स्थिति पर विचार करने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि बहुत सारी कमियां है। यहां पर टैक्स फ्री बजट आता है लेकिन बिजली में डियूटी बिना बताए ही बढ़ जाती है। कहीं प्री-पेड जो आप मीटर लगाते हैं, उनमें आप लोगों को बिना बताए जहां पहले एक रुपये बीस पैसे युनिट होता था वहां लोगों को बताए वगैर आप लोगों को 2 रुपये 59 पैसे के हिसाब से दे देते

हैं, कहीं घोषणा नहीं करते हैं। हमें नीति के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है और इस

06.04.2015/1600/केएस/जेटी/3

नीति में आपको प्राइवेट इन्वैस्टर को अट्रैक्ट करना है तो आप उनको फोरैस्ट क्लीयरैंसिज़ या जो सिंगल विंडों का जो आपका कन्सैप्ट है, उसको प्रॉपर कीजिए। लैंड यूज़ चेंज नहीं होता है और अगर चेंज होता है तो अपने मतलब से होता है। अगर आपने किसी से इन्वैस्टमैंट करवानी है, उसको मौका देना है तो आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। हालांकि इसमें कुछ समस्याएं भी है। बहुत सारे प्रोजैक्ट्स जो लगते हैं उसके कारण लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, जो उन्होंने वायदा किया होता है उसके हिसाब से नहीं मिलती है । उनको भी सॉट-आऊट करना सरकार का काम है । कहीं पर ब्लास्टिंग होती है उसके कारण आपके वाटर सोर्सिज़ बन्द हो जाते हैं, कई और चीजें खत्म हो जाती हैं । उन सब चीजों को सॉट आऊट करना सरकार का काम है। सरकार फैसिलिटेटर के रूप में काम करे, कॉर्डिनेटर के रूप में काम करें और लोगों को --

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

6.4.2015/1605/ag/av/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी--------

और लोगों को इनवैस्टमैंट के लिए इनवाइट करके यहां पर जो हमारा जल 'धन' के रूप में बह रहा है इसका उपयोग प्रदेश की जनता के लिए हो। प्रदेश में इनफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हो। यह प्रदेश के काम आये, इस दृष्टि से विद्युत नीति को बनाया जाना चाहिए।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

6.4.2015/1605/ag/av/2

अध्यक्ष : अब इस प्रस्ताव पर डॉ. राजीव बिन्दल जी अपनी बात रखेंगे। मैं आपसे निवेदन करुंगा कि थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखें क्योंकि अभी 3-4 सदस्य बोलने को शेष रहते हैं। आप सब लोगों ने अपनी बात रखनी है और जो बात पहले कही जा चुकी है उसको न दोहराया जाए।

डॉ.राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी ने जो ऊर्जा नीति के ऊपर चर्चा लाई है, मैं उसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद। मैं अपना विषय संक्षिप्त में रखूंगा।

माननीय भारद्वाज जी ने बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रो पावर के विषय को सदन में रखा। हमारे प्रदेश के लिए आर्थिक संसाधन बढ़ाने हेतु हाइड्रो पावर बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा वर्षों से हिमाचल प्रदेश में समय-समय पर रही विभिन्न सरकारें विचार करती आई है और प्रयास भी किए हैं। मगर आज यह चिन्ता करने की जरुरत है कि क्या हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सही बढ़ रहे हैं या नहीं। हम वर्ष 2013 के बजट में देख रहे थे कि 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित था। वर्ष 2014 में भी लगभग 1900 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य था। इस साल भी विद्युत उत्पादन का लगभग इतना ही लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मगर जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार पिछले दो वर्षों में लगभग 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुआ। अगर यह आंकड़ा सही है तो हम यह मानकर चल सकते हैं कि जो लक्ष्य निर्धारित होते हैं हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारी इम्पलीमैंटेशन में कहीं-न-कहीं कमी है। शायद हम इनवैस्टर को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं या फिर क्लीयरैंसिज में देरी हो रही है या हमारे सरकारी विभाग उसमें अड़ंगा अड़ा रहे हैं। हम उसमें कहीं-न-कहीं रुके हुए दिखाई देते हैं। जैसा माननीय सुरेश जी ने कहा कि वर्षों पहले रखे गये

6.4.2015/1605/ag/av/3

लक्ष्यों की प्राप्ति हम आज तक नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने बहते हुए सोने रूपी जल से बिजली का दोहन नहीं कर पा रहे हैं, यह हमारे भविष्य के लिए सवालिया निशान है।

सुरेश जी ने दूसरी बात कही कि टूरिज्म हमारा बहुत बड़ा सोर्स है। मैं यहां पर एक सुझाव देना चाहूंगा। अगर उसको कोई सरकार लागू करें तो टूरिज्म और हाइड्रो पावर; दोनों को मिला करके हम हाई-ऐंड टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जहां 4, 5, 10 या 20 मेगावाट का प्राजैक्ट बना वहां पर हम टूरिस्ट स्टेशन बना सकते हैं और वह टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का विषय हो सकता है। टूरिस्ट्स को दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंचा कर हम प्रदेश के लिए आर्थिक की बहुत बड़ी सम्भावना तलाश सकते हैं। होता क्या है? हम जब प्रोजैक्ट लगाते हैं तो उस समय लोगों को रोजगार मिलता है और जब प्रोजैक्ट चल पड़ता है तो रोजगार समाप्त हो जाता है। उसके बाद उसमें बहुत कम लोगों की जरुरत होती है। उस समय में----

श्री बी जे द्वारा जारी

06.04.2015/1610/negi/jt/1

डॉ0 राजीव बिन्दल.. जारी.....

उस समय में वहां पर चलने वाला जो टूरिज्म का प्रोजेक्ट है वह हमारे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में रोज़गार सृजन कर सकता है। यह महत्वपूर्ण विषय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में ला रहा हूं। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ रोजगार का प्रश्न है जिसको ले करके लगातार विभिन्न सरकारें और आपकी सरकार भी कहती आई है कि 70 परसेन्ट हिमाचलियों को रोजगार देने चाहिए। आज 75 परसेन्ट, 80 परसेन्ट की आवाज़ उठती है। हम जब भी प्रश्न लगाते हैं उसमें भी उत्तर यही आता है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को वो रोजगार नही मिल रहा है जो मिलना चाहिए । विशेष तौर पर हमारे डिग्री होल्डर, डिप्लॉमा होल्डर, मैनेजमैन्ट साइड से लोग और जो संचालन करने वाली टीम है उसके अन्दर हमारे लोगों को रोजगार नही मिल रहा है । यह एक बहुत बड़ा इशू जो मैंने अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बाहर के राज्यों को बिजली बेचते हैं और हमने आंकलन किया कि बिजली बेच करके हमें बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है लेकिन हमें हमारी बिजली का वो दाम नही मिल रहा है जो हमको दाम मिलना चाहिए। हम उसके लिए वो एफर्टस नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करने चाहिए। राज्यों को बिजली चाहिए । हाइड्रो-पावर उनको मिल सकती है और आप दे सकते हैं परन्तु राज्य अपनी किटी में से खर्चा करने को उतना तैयार नही है । फिर भी बिजली को बेचने के लिए जितने सफल प्रयास हमको करने चाहिए उतने हम नहीं कर

रहे हैं और हमें बिजली का उतना दाम नही मिल रहा है । यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने खड़ा है । क्या हमने अगले साल जो पैदा होने वाली बिजली है उसके लिए आज ही अपने बॉयर्ज़ निर्धारित किए हैं? अगले महीने की बिजली के लिए हमने बॉयर निर्धारित किए हैं? क्या हम जो बिजली पैदा कर रहे हैं उसके दाम हमें सही अर्थों में मिल रहे हैं ? इसको सुनिश्चित करें। यह एक बहुत बड़ा विषय है।

06.04.2015/1610/negi/jt/2

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बार-बार यह कहते हैं कि हमारे पास बहुत बिजली है। No doubt, हिमाचल बाकी प्रान्तों से बहुत बेहतर है। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है। यहां पर बर्फबारी हुई, भारी बरसात हुई और जहां पर ज्यादा बरसात हुई, तूफान चला, बर्फबारी हुई, बिजली बन्द। एक-एक महीने तक बिजली का रेस्टोर न होना यह हमारे वर्किन्ग के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कहीं 15 दिन, कहीं एक हफ्ते बिजली बन्द रही । सिरमौर में पिछले दिनों हरिपुरधार से ले करके धारटीधार तक लगभग 15 दिन तक बिजली गुल रही केवल थोड़ी सी बरसात और बर्फबारी के कारण।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, यह जो विषय आप बोल रहे हैं यह इस प्रस्ताव की परिधि में नही है। रेज्योल्यूशन को जो आशय है आप उसी पर ही बोलिए।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा हूं।

अध्यक्षः इसके साइड इफैक्ट्स क्या हैं इसपर आप नहीं बोल सकते।
डॉ0 राजीब बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, मैं बोल सकता हूं और मैं जो विषय रख रहा हूं, वह ठीक रख रहा हूं।

Speaker : You can't speak. I will disallow you. _ (व्यवधान)____ मैं यह कह रहा हूं कि जो प्रस्ताव है, उसी पर बोलिए आप। You are not to speak about the merits and demerits of that.

डॉ0 राजीव बिन्दल : सर, ऊर्जा नीति में कुछ नही आता है?

अध्यक्षः आप कह रहे है कि पोल गिर जाते हैं....व्यवधान....

डॉ0 राजीव बिन्दलः ठीक है, बिजली नही आ रही है, मुझे बोलने का अधिकार है और मैं बोलूंगा।

06.04.2015/1610/negi/jt/3

अध्यक्षः खम्बे गिरने और पोल टूटने वाला सब्जैक्ट इसमें नही है।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, अगर यह बिजली हिमाचल को ही नही मिलेगी तो बाहर क्या बेचेंगे?

अध्यक्षः मैं यह कह रहा हूं कि आप प्रस्ताव पढ़िए। प्रस्ताव यह है कि " यह सदन सरकार की वर्तमान पन-विद्युत ऊर्जा नीति पर विचार करें ।"

डॉ0 राजीव बिन्दलः नीति क्या है?
अध्यक्षः ऊर्जा नीति का मतलब यह थोड़ी है कि कोई पोल गिर गया है तो उसको भी इन्होंने देखना है। इसमें तो ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विचार करने की बात है।

डॉ0 राजीव बिन्दल : हां तो उसको भी देखना है। हां, ऊर्जा को बढ़ावा देनी है। मुझे मेरे गांव में बिजली नहीं मिलेगी तो मैं यहां कहूंगा।

Speaker: I will not allow this.

डॉ0 राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, आप नहीं एलाऊ करेंगे तो मुझे आपने समय दिया है और मैं अपने समय में बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जो आपने बताया, मैंने सुन लिया है, I will take care.

अध्यक्षः टाईम का ध्यान रखिए।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक गम्भीर बात लाना चाहता हूं। हमारे गिरी-बाता का पावर प्रोजेक्ट बना, मैं अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कृपया इसको नोट करें। 1970 के ...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी.....

06.04.2015/1615/यूके/जेटी/
ड0 राजीव बिंदल -----जारी------

1970 के दशक से गिरीबाता का प्रोजेक्ट बना, गिरी का पानी टनल के जरिये बाता में डाला, बिजली पैदा की । बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था । जहां उस प्रोजेक्ट का (tale water) टेल वाटर डाला, उस टेल वाटर के स्थान पर प्राईवेट लोगों की जमीनों को ऐक्वायर नहीं किया गया और बिना ऐक्वायर किए वह टेल वाटर उस जमीन में डाल दिया गया और वहां पर परमानेंट नदी बन गयी जो व्यक्तियों की निजी जमीन में से हो कर के जा रही है और आज तक उसका कोई मुआवजा उन लोगों को नहीं मिला है । माननीय मंत्री जी, कई किलोमीटर तक की जमीन लोगों की है । उसमें से गिरीबाता प्रोजेक्ट का पानी जा रहा है । अभी तक उनको इसका कोई मुआवजा नहीं मिला । यह गंभीर विषय है और अति निर्धन लोग हैं जिनकी जमीन इस प्रोजेक्ट के अर्न्तगत चली गई, जिसका कहीं पर भी नोटिस नहीं लिया गया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे को 7.19% का जो शेयर मिलना था, वह 7.19% का शेयर जिसको ले कर के लम्बी लड़ाई हुई । अल्टीमेटली फैसला हो गया कि लगभग 4000 करोड़ रूपया हिमाचल प्रदेश को मिले । हमें लग रहा था, जब यह सरकार बनी, उस समय 4000 करोड़ रूपया आयेगा । परन्तु मेरा सीधा-सीधा यह कहना है कि इस सरकार की नालायकी के कारण आज तक हमारे को 4000 करोड़ रुपए नहीं उल्टा दूसरे राज्यों ने हमारे ऊपर मामला दर्ज किया है । उन्होंने शायद हमसे कुछ पैसा लेना है । अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है । प्रदेश के अधिकारों का सवाल है । 4000 करोड़ रूपए का मामला, 7.19% जो हमारा शेयर है उसके ऊपर परमानेंट एक उंगली बाकी राज्यों के द्वारा उठा दी गयी है । माननीय मंत्री जी, मेरी प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकार को सुरक्षित रखना इस सरकार का दायित्व है । यह अधिकार अपने को मिलना चाहिए । इसके अन्दर लगातार जनता की अपेक्षाएं है और आपको भी लगता

है कि आपकी सरकार के पास धन की कमी है तो विकास कार्यों के अन्दर इस धन को लगना चाहिए । इस नाते भी यह काम नितांत आवश्यक है । मैं तो कहूंगा कि इस नीति के अन्दर, हमने जोगिन्द्रनगर के पॉवर हाऊस को अभी तक नहीं जोड़ा है । आपके पास में ही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए । सरकार को इसकी लड़ाई लड़नी

06.04.2015/1615/यूके/जेटी/ 2

चाहिए । आज भी वहां बिजली पैदा हो रही है, धरती हमारी है और पानी हमारा है । प्रोजेक्ट का लीज़ पीरियड समाप्त हो गया है ।

अध्यक्षः अभी नहीं हुआ, 2020 में खत्म होगा । आप wrong figures मत कोट कीजिए। साल 2020 में इसका लीज़ पीरियड खत्म होगा ।

डा0 राजीव बिंदलः अध्यक्ष महोदय, हम इस चीज़ से संतोष करने के लिए तैयार नहीं हैं । सरकार आगे बढ़े और इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए कवायद करे । हम सरकार के साथ खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिला कर के और वह जोगिन्द्र नगर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है । वह पहले सन् 1966 में हिमाचल प्रदेश को मिल जाना चाहिए था । जब 1966 में हमारा विभाजन हुआ था तो हमारी धरती के ऊपर हमारे पानी से चलने वाला प्रोजेक्ट है । इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ऊर्जा नीति के सम्बन्ध में चन्द विषय हमने आपके सामने और आपके माध्यम से सरकार के सामने लाए हैं, हमें लगता है कि सरकार इन विषयों की तरफ ध्यान दे कर के जो ऊर्जा का उत्पादन हाईड्रो में और तेजी से होना चाहिए, उसमें जो कमी आ रही है ।

एसएलएसएस द्वारा जारी----

06.04.2015/1620/sls/jt-1

डॉ0 राजीव बिन्दल ....जारी...
उसमें भी देरी हो रही है और जो छोटे प्रोजैक्ट हैं, जो हिमाचलियों को जाने चाहिए थे, उनकी क्लीयरैंसिज में भी देरी हो रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैंने माननीय सुरेश भारद्वाज जी के विषय में अपना विषय रखा है। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब श्री रिखी राम कौंडल जी इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे। अभी बहुत से सदस्य इस चर्चा में भाग लेने वाले हैं, इसलिए समय का ध्यान रखें।

06.04.2015/1620/sls/jt-2

श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने जो एक महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन में रखा कि पन-बिजली परियोजनाओं में उत्पादन के बारे में सरकार एक नीति बनाए, इस पर मैं भी चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं। आपने अनुमति दी, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, कोई भी राज्य तभी समृद्ध बनता है जब उस राज्य के अंदर रिसोर्सिज मोबिलाईजेशन के माध्यम से अधिक साधन जुटाए जाएं; तभी प्रदेश की आर्थिकी ठीक होती है। आर्थिकी ठीक होने के बाद इस हिमाचल प्रदेश की जनता को वह सरकार, जो मौजूदा सरकार होती है, जो भी सरकार सत्ता में होती है, वह राहत दे सकती है।

जैसे भारद्वाज जी ने ज़िक्र किया, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है। यह पहाड़ों की सुंदरता से भरपूर है। पर्यटन की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के नक्शे पर है जिसमें हमारे विभिन्न पर्यटक स्थल हैं। प्रदेश की आर्थिकी को ठीक करने के लिए, ऊर्जा नीति बनाने के लिए, ताकि प्रदेश के अंदर बिजली का दोहन ज्यादा हो, इस पर माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने बड़े विस्तार से चर्चा की है। क्या सरकार इसके प्रति गंभीर है? इस चर्चा को माननीय सदन में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चर्चा लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज जो सरकार सत्ता में है, यह इस ऊर्जा नीति को लाने के लिए गंभीर नहीं है। पर यह सरकार किसी भी काम के लिए, किसी भी विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए भी गंभीर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, भारद्वाज जी ने प्रोजैक्टों का ज़िक्र किया। जैसे 1995-96 के अंदर स्मॉल हाईड्रो इलैक्ट्रिसिटी प्रोजैक्ट का एक कंसैप्ट, जिसमें प्राईवेट पार्टिसिपेशन

हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर आया । उस समय की मौजूदा सरकार ने सोचा कि हिमाचल प्रदेश में छोटे-छोटे माइक्रो हाईडल प्रोजैक्ट लगाएंगे और एक ही नाले पर 6-6 प्रोजैक्ट, एक-एक, दो-दो मैगावाट के या वहां जल की जितनी क्षमता होगी, उसके आधार पर लगें। इसके लिए इनवैस्टर आएंगे और उससे जो आय हिमाचल प्रदेश को होगी, उससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी सुधरेगी। पांच

06.04.2015/1620/sls/jt-3

मैगावाट तक के 474 प्रोजैक्ट आईडैंटिफाई किए गए। यह हमारे छोटे माइक्रो हाईडल प्रोजैक्ट हैं। वैसे तो हमारे 6000 प्रोजैक्टों का ज़िक्र भारद्वाज जी ने किया कि इतने प्रोजैक्ट छाँटे गए हैं। उस समय की सरकार ने 474 छोटे प्रोजैक्ट छाँटे और जो-जो सरकारें आईं उन्होंने सर्वेक्षण करके, इनवैस्टिगेशन करके 474 प्रोजैक्ट छाँटे। मुझे याद है कि जब श्री प्रेम कुमार धूमल जी पहली बार इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बनें और इन्होंने मुझे सहकारिता विभाग दिया, उस समय इन्होंने एक सोच निकाली कि एक मैगावाट, दो मैगावाट और पांच मैगावाट तक के प्रोजैक्ट सहकारिता क्षेत्र में दिए जाएं ताकि लोगों की पार्टिसिपेशन से प्रोजैक्ट बनें। आज मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को स्मरण कराना चाहता हूं..

जारी ...श्री गर्ग जी

06/04/2015/1625/RG/AG/1

श्री रिखी राम कौंडल------क्रमागत

मैं इस माननीय सदन के सभी सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कौऑपरेटिव सैक्टर में 25 प्रोजैक्ट माननीय प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी ने आबंटित किए। हमने उन पर काम बढ़ाया। हमने सारी सहकारी सभाओं ने निविदाएं कीं और उसके बाद जब हम उन छोटे-छोटे प्रोजैक्ट्स को लगाने के लिए प्रगति पर पहुंचे, तब सरकार बदल गई और सरकार बदलने के पश्चात वहां का काम वहीं रह गया। आज भी सहकारिता के क्षेत्र में उस समय का जो कॉन्सैप्ट माननीय प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी ने दिया था, आज उस पर विभाग कोई गौर नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, ये जो 474 प्रोजैक्ट्स आइडैन्टीफाई किए गए। इनमें से 244 प्रोजैक्ट्स पर एम.ओ.यू. साईन हुए। आज इन्होंने कितने कम्पलीट किए, न के बराबर। इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। पिछली सरकार में माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स जी थीं। इन्होंने इन प्रोजैक्ट्स के बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब माननीय सुजान सिंह पठानिया जी ऊर्जा मंत्री हैं। ये इज़ी गोइंग आदमी हैं। कोई ध्यान ही नहीं हैं। सदन में कोई सवाल पूछते हैं, तो ये ऐसे नॉन-सीरियसली उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यह सरकार कैसे चलेगी? यह जो बिजली विभाग है, जो हम पन बिजली का दोहन कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश में सोने की खान है, जो नदियां हैं उनसे हम कैसे इसको निकालें? कैसे यह सरकार चलेगी?

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन में जब हमारे कोई प्रश्न आते हैं, चाहे वह ऊर्जा नीति पर हो या किसी अन्य विषय पर हो, तो कहा जाता है कि सूचना एकत्रित की जा ही है। माननीय मंत्री जी जो भी हैं, इन प्रश्नों को ऐसे लेते हैं और गंभीरता से लेते ही नहीं। जबकि इन सब में इस माननीय सदन का समय लगता है और पैसा भी बहुत सा खर्च होता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से इस माननीय सदन में निवेदन है कि जो भी मंत्री जिस नीति के बारे में भी उत्तर दे, वह सार्थक हो और विभाग की पूरी जानकारी संबंधित मंत्री को होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। नीति बनाते समय यह सोचकर नीति बनानी चाहिए कि जो प्रोजैक्ट हम जहां लगा रहे हैं क्या वहां चलेगा और हमें इसमें किसका सहयोग मिलेगा? नीति बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जिन लोगों की प्रोजैक्ट में निजी जमीन जाए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम जैसा श्री भारद्वाज जी ने कहा, तो सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। जहां प्रोजैक्ट लगता है वहां के स्थानीय

06/04/2015/1625/RG/AG/2

निवासियों को यह आस रहती है कि हमारी जमीन इस प्रोजैक्ट में गई है, तो हमें इसमें नौकरी मिलनी चाहिए। जैसा भारद्वाज जी ने ब्लास्टिंग का जिक्र किया कि जब ब्लास्टिंग होती है और टनल निकलती है, तो हमारे पानी के सोर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या इस बारे में कोई सोच-विचार है? जो रास्ते खराब होते हैं क्या उस बारे में कोई

सोच-विचार है? इन सारी बातों को देखते हुए सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। फॉरेस्ट क्लीयरैन्स जल्दी-से-जल्दी मिले। ये सारी बातें ध्यान में रखकर लोगों को शामिल करके जैसे पिछली बार माननीय धूमल जी ने सहकारिता के क्षेत्र में लोगों को शामिल करके छोटे-छोटे प्रोजैक्ट लगाने का कॉन्सैप्ट दिया था। अगर इस सरकार ने उस कॉन्सैप्ट को आगे बढ़ाया होता, तो आज हमारा बिजली उत्पादन सबसे ज्यादा होता।

अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2012 की बात करना चाहूंगा कि उस समय प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 तक लगभग 2300 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया था, फिगर शायद ऊपर-नीचे भी हो सकती है, कि इतनी पन बिजली परियोजनाओं में से हम इतने मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। वर्ष 2012 तक हम कहां तक पहुंचे हैं, हम केवल 393.60 मेगावाट तक पहुंचे हैं। जबकि हमारा लक्ष्य वर्ष 2018 तक 2300 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का है। मैं आपके माध्यम से वर्ष 2012 के बाद की बात करना चाहूंगा कि न के बराबर बिजली का उत्पादन हुआ। ग्लोबल टैण्डर हुए, कोई भी टैण्डर देने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसके पीछे क्या कारण है? हमेशा पन बिजली परियोजनाओं को लगाने के लिए निवेशक भागते हैं कि हम इसमें पैसा लगाएंगे और पैसा कमाएंगे। विशेष बात यह है कि इसमें मार्केटिंग की कोई आवश्यता नहीं है पूरे देश में बिजली की आवश्यकता है। यदि बिजनैसमैन कोई अन्य बिजनैस करता है, तो सोचता है कि पता नहीं मेरा माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। लेकिन आज बिजली की आवश्यकता दिल्ली में भी है, हर प्रदेश में बिजली की आवश्यकता है, हम बिजली दूसरे प्रदेशों को देते हैं। क्यों नहीं कोई निवेशक यहां पर आया? क्यों कोई एम.ओ.यू. साईन नहीं हुए? केवल मात्र 224 एम.ओ.यू. ही आपके साईन हुए और उन पर भी न के बराबर काम हुआ। हिमाचल प्रदेश में कोई निवेश करने को राजी ही नहीं है, आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि यहां पारदर्शिता नहीं है, यही एक कारण है। लोगों को यहां धक्के खाने पड़ते हैं, यहां क्लीयरैन्सिस नहीं मिलती हैं। जैसा मैंने यहां बताया कि दिसम्बर,

06/04/2015/1625/RG/AG/3

2012 तक 393.60 मेगावाट बिजली का दोहन हुआ और वर्ष 2012 तक प्राइवेट सैक्क्टर में 1700 मेगावाट बिजली का दोहन हुआ----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

06/04/2015/1630/MS/AG/1

श्री रिखी राम कौंडल जारी----------

दिसम्बर, 2012 तक मैंने बताया कि 393.60 मेगावाट का दोहन हुआ और प्राइवेट सैक्टर में 1700 मेगावाट का वर्ष 2012 तक दोहन हुआ। इसी तरह से सेंटर का 809 मेगावाट का दोहन हुआ। यह मैंने कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखे हैं।

अब मैं भाखड़ा बांध पर आता हूं। यह बांध हमारे बिलासपुर में लगा। हमारे लोगों की जमीनें गई और जैसा भारद्वाज जी ने जिक्र किया आज तक हमारे लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ। पौंग बांध बना, वहां पुनर्वास नहीं हुआ। कोल डैम बना वहां के जमीन के विवादास्पद मामले अभी पड़े हैं। पन बिजली परियोजना के प्रोजैक्ट के लिए कौन हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति प्रोत्साहित करेगा, जब उनके इंट्रस्ट्स को वाच नहीं किया जा रहा है। मेरा इस माननीय सरकार के ऊपर आरोप है कि इन दो वर्षों के अंदर न के बराबर बिजली का उत्पादन इस प्रदेश के अंदर हुआ। यह सरकार पर आरोप है और हिमाचल प्रदेश की जनता जो भी विभाग का मंत्री हो या मुख्य मंत्री हो या प्रदेश सरकार हो, आने वाले समय में आपको कोई माफ नहीं करेगा क्योंकि आपने हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा नीति के माध्यम से नहीं की है। अध्यक्ष जी, मैं इस मान्य सदन के अंदर स्मरण करवाना चाहता हूं कि भाखड़ा डैम बना और बिजली का उत्पादन हुआ। वर्ष 1977 में जब शांता कुमार जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने तो हमारे अधिकांश कोटधार के एरिया में बिजली नहीं थी। क्या एम0ओ0यू0 साइन करती दफा उस समय की मौजूदा सरकार को यह एग्रीमैंट नहीं करना चाहिए था? उस समय जो एग्रीमैंट हुआ, उसके अनुसार 7.1 का हमारा हिस्सा नहीं मिला। उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जैसे बिंदल जी ने जिक्र किया। माननीय धूमल जी और शांता कुमार जी की अध्यक्षता में दिल्ली तक हमने अधिकार यात्रा की। उस पैसे के लिए हमने लड़ाई लड़ी और फैसला हुआ। आज उसके बारे में कोई गंभीर ही नहीं है। वर्ष 1977 के बाद ही हमारे कोटधार और भाखड़ा धार के लोगों को बिजली मिली। उस एम0ओ0यू0 को साइन करने के कारण उस भाखड़ा डैम की झील से हम पीने के लिए पानी नहीं ले सकते हैं। अब दोष किसको देते हैं कि जब हमारी सरकार थी तो ऑस्टिज का विषय बन्द कर दिया। आज

हम कोई भी पानी की स्कीम भाखड़ा डैम से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते क्योंकि उस समय की सरकार जिन्होंने 40-50 वर्षों तक शासन किया, उनको एम0ओ0यू0 साइन करती दफा यह एग्रीमैंट

06/04/2015/1630/MS/AG/2

करना चाहिए था कि लोगों के यूज के लिए भाखड़ा डैम की झील से पानी लिया जा सकता है। यह कुछ चन्द बातें अध्यक्ष जी, मैंने आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाई हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन हैं, यह मेरे बड़े मित्र हैं। यह बहुत ही सहनशील आदमी हैं। इस विभाग की तरफ ध्यान दीजिए। यही एक विभाग है जो इस प्रदेश की आर्थिकी ठीक कर सकता है। यही एक विभाग है जो हिमाचल प्रदेश के आय के साधन बढ़ा सकता है। इसलिए इसकी तरफ ध्यान दीजिए और इस नॉन-सीरियसनैस से इस सदन को न लिया जाए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। जो भारद्वाज जी ने नियम 130 के तहत चर्चा इस मान्य सदन के अंदर रखी, मैं भी उसमें शामिल हुआ हूं। एक ऐसी नीति बनाई जाए जिससे लोगों के हितों की भी रक्षा हो, लोगों के पुनर्वास की भी व्यवस्था हो और जो लोगों के पानी के स्त्रोत ब्लास्टिंग के कारण खराब होते हैं, उसका भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा शिक्षा का सिस्टम जैसे अभी ए0सी0सी0 का प्लांट लगा, कोल डैम लगा, वहां उनके लगने से माननीय अटल जी का नाम आया, जब अटल जी ने उसका शिलान्यास किया। अब वह प्रोजैक्ट तैयार है और उससे लोगों की आर्थिकी भी बढ़ी है। उस प्रोजैक्ट के बनने से बिलासपुर का सुधार हुआ है। ऐसे बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स का कन्सैप्ट आप देखिए और छोटे-छोटे प्रोजैक्ट्स की तरफ जो 474 प्रोजैक्ट माइक्रो हाइडल प्रोजैक्ट के तहत आइडेंटिफाई किए हैं, मैं वर्ष 1995-96 की सरकार के उस समय के जो मुख्य मंत्री थे, उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक ऐसी सोच इस प्रदेश के अंदर निकाली जिससे हमारे आय के साधन और बढ़े। ये वाह-वाह लेने के लिए टैक्स फ्री बजट की बात करते हैं। आने वाले समय में 10-15 साल के बाद भी अगर सरकार का यही रवैया रहा तो वैसे भी यह प्रदेश गिरवी होने जा रहा है और आज भी कर्जों के हिसाब से गिरवी है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दें और गम्भीरता से लें और इस पन-बिजली परियोजना के दोहन के लिए एक अच्छी नीति बनाई जाए जिससे कि प्रदेश का भला हो। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

अध्यक्षः कौंडल जी एल0ई0डी0 पर आपकी 20 साल पहले की फोटो लगी है। आप बहुत यंग लग रहे हैं। यह तब की फोटो लगती है जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे। बड़ी अच्छी फोटो है। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

06.04.2015/1635/**जेके/जेटी**/1

अध्यक्षः अब कुछ सीनियर मेम्बर्ज बोलने वाले हैं। क्या हंस राज जी आप बोलना चाहेंगे? ठीक है, आप दो मिनट से ज्यादा न बोलें, क्योंकि मंत्री जी ने ज़वाब भी देना है। माननीय सदस्य, श्री हंस राज जी आप बोलिए।

श्री हंस राजः माननीय अध्यक्ष जी, नियम-130 के अन्तर्गत जो एक अति महत्वपूर्ण विषय इस सदन में माननीय सुरेश भारद्वाज जी द्वारा रखा गया है, उस पर बोलने के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवादी हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि विस्तार से इस माननीय सदन में चर्चा हो गई है। माननीय भारद्वाज जी ने कहा कि आगामी वर्षों में हिमाचल प्रदेश में पन बिजली के सन्दर्भ में किस तरह का प्लान हो और क्या ऊर्जा नीति बनें? इस विषय पर माननीय सदन में विस्तार से चर्चा हो चुकी है लेकिन कुछ विषय अति महत्वपूर्ण हैं जिनको ले करके या जिनके साथ लड़ते-लड़ते आज हम विधान सभा में पहुंचे हैं। मैं तो यूं कहूं कि मेरा जो राजनीतिक जन्म हुआ है वह हाईडल पॉवर की वज़ह से हुआ है या हाइड्रो पावर की वज़ह से हुआ है। जहां पर शुरूआती समय में प्रोजैक्टस लगे वहां पर उन लोगों को न्याय नहीं मिला। उनको लगा कि जिस तरह का सरकार एम.ओ.यू. साईन करती है वह फील्ड में एक्चुअल इंप्लीमैंट नहीं होता है। उसका खामियाजा वहां के लोगों और स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। उसमें दो-चार बिन्दू आएंगे मैं उनमें ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार से भी यह चाहेंगे कि उन बिन्दुओं को ज़हन में रखते हुए हाईड्रो पॉवर या किसी भी प्रकार का प्रोजैक्ट लगता है उस समय ज़हन में रहें। जब भी कहीं पर हाईड्रो पॉवर लगता है या हाईडल पॉवर प्रोजैक्ट लगता है एक तो वहां की जो पानी की व्यवस्था है उसको हमें डायरैक्ट या इनडायरैक्ट डाइवर्ट करना पड़ता है। उससे लैंड भी एक्वायर होती है। जिन किसानों की लैंड एक्वायर होती है। उनको एम.ओ.यू. के अनुसार जो भी कम्पनसेशन मिलना

चाहिए वह नहीं मिल पाता है। जब हाईडल पॉवर की बात आती है या हाईड्रो पॉवर की बात आती है ग्रामीण या देहाती क्षेत्रों में जब तक उन लोगों को पंचायतों से एन.ओ.सी. लेनी होती है तब तक

06.04.2015/1635/जेके/जेटी/2

पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वहां के निवासी उनके लिए सर्वेसर्वा होते है, यानि भगवान होते हैं। विशेषकर जो निजी कम्पनीज जो हाईडल पॉवर लगाती हैं। इसमें महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब वे एन.ओ.सी. के लिए आते हैं तो इसमें कोई ऐसी व्यवस्था या नीति बनें कि वहां पर स्पष्ट शब्दों में यह लिखा हो क्योंकि प्रधान अमूमन इतने अलिजिबल नहीं होते हैं या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि उनमें इतनी गम्भीरता नहीं होती है। वे अपने निजी स्वार्थ भी कई बार देख लेते हैं। वे अपनी पंचायत के लोगों के साथ या इलाके के लोगों के साथ जस्टिस कर पाएं। उस एम.ओ.यू. में कुछ ऐसी व्यवस्था रहे और कोई ऐसी कमेटी बनें कि जब भी वह एन.ओ.सी. उनको मिले तो उसमें सही-सही तरीके से गाइडलाईन और नियमों का उल्लेख हो जाए। दूसरे इसमें जहां हाईडल पॉवर या हाइड्रो पॉवर के लिए भूमि आदि का अधिग्रहण हो या वहां पर टनल निकालने की व्यवस्था हो तो उस टनल के लिए विशेषज्ञ लोगों हों, जैसे जियोलोजिस्ट सर्वे करें। वे एफिशिएंट लोग हों। कुछ स्पैशलिस्ट लोगों को वहां पर बुलाया जाए ताकि वे वहां की भूमि का सही तरीके से सर्वे कर पाएं, उसकी टैस्टिंग कर पाएं कि वहां पर टनल बन सकती है या नहीं बन सकती है। इस तरह की व्यवस्था वहां पर रहे। अभी हमारा एक 5 मैगावाट का पॉवर प्रोजैक्ट है गिन्नी ग्लोबल कम्पनी चला रही है। अब उनको यह समस्या आ गई है कि वे प्रोजैक्ट को चलाएं या न चलाएं क्योंकि दो बार वह प्रोजैक्ट गिर चुका है। उसका खामियाजा यह हुआ कि जनवास पंचायत में जो जनवास गांव हैं जहां पर 50-60 घर हैं उनको हमें माइग्रेट करना पड़ेगा।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

06.04.2015/1640/SS-JT/1

श्री हंस राज क्रमागतः

उनको अब हमें माइग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हाल ही में जो बारिश हुई है उसकी वजह से इतना लैंड-स्लाइड हुआ है कि उस गांव के अस्तित्व पर ही खतरा आ गया है।

तो टनल के अंदर किस तरह का ब्लास्ट हो इस पर भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अमूमन यह देखा गया है कि जो भी ठेकेदार वहां पर काम करते हैं, विशेषकर अभी हाल ही में जो भी हाइड्रो पावर प्रोजैक्टस बनने शुरू हुए हैं तो उसमें तथाकथित सत्तापक्ष के जो प्रधान हैं या सत्तापक्ष के हमारे एम0एल0ऐज़0 हैं या सत्ता पक्ष के मिनिस्टर हैं उनका इंफ्लुऐंस इतना है कि नॉन-टेक्निकल लोगों को वर्क एलॉट हो रहे हैं। उसकी वजह से टनल में कैसे काम हो या भूमि पर किस तरह से कार्य हो, कोई ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हाईडल पावर लगना एक बात है और लग करके वहां पर सारी व्यवस्थाएं ठीक हों दूसरी बात है। उसके लिए सी0एस0आर0 या लाडा में पैसा 2 परसैंट के हिसाब से स्थानीय लोगों को या जो स्थानीय प्रभावित इलाका होता है उसकी एस्टैब्लिशमैंट के लिए मिलता है। मैं दो वर्षों से देख रहा हूं और चम्बा जिला की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लाडा के तहत काफी सारा धन सरकारी खजाने में पड़ा हुआ है उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जाता है। यहां पर मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इसमें जिस भी व्यक्ति को चेयरमैन बनाया जाता है जैसे आजकल डी0सी0 महोदय हैं हम लोग जब इस विषय में उनसे बात करते हैं तो यही चर्चा होती है कि गाइडलाइन्ज़ बदल गई हैं। पिछले दो-तीन सालों से गाइडलाइन्ज़ बदली हैं। जिन लोगों ने अपनी भूमि, जल और जंगल दिया, जो लोग विस्थापित हुए हैं या प्रभावित हुए हैं उनके लिए डायरैक्ट या इनडायरैक्ट मुआवजे की व्यवस्था उस रूप में होनी थी वह भी नहीं हो पाती है। इसमें एक नीति बने कि जब भी इस तरह का पैसा सरकारी खजाने में जाए तो वह किसी कमेटी के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में डायरैक्ट इंवैस्ट हो। यहां पर हम लोग एक और गुजारिश करना चाहेंगे कि जिस क्षेत्र में प्रोजैक्ट लगता है जैसे मैंने पहले कहा कि एन0ओ0सी0 लेते वक्त वे बोलते हैं कि आपकी सड़क अगर हम खराब करेंगे तो वह बना देंगे, आपके किसी सरकारी भवन का इस्तेमाल करेंगे तो वह बना देंगे लेकिन जब भी उनका कार्य शुरू हो जाता है या उनका कार्य पूर्ण हो जाता है या हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट तैयार हो करके जनरेशन में आ जाता है तो उसके बाद वे अपने सारे वायदे भूल जाते हैं। इस पर भी एक नीति बने कि जो उन्होंने पहले कहा है वे यथास्थिति में प्रोजैक्ट बनने के बाद भी रहें। इस तरह की कुछ व्यवस्था हो ताकि

06.04.2015/1640/SS-JT/2

वहां के जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने अपने सब हितों को दरकिनार करते हुए फिर भी हाईडल प्रोजैक्ट को चाहा और देश व प्रदेश के विकास के लिए वहां पर हाइड्रो पावर

प्रोजैक्ट लगने दिया तो इन बातों का भी ध्यान रहे। मैं यहां पर एक चीज़ और कहना चाहूंगा कि सी0एस0आर0 (कारपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी) या लाडा में जो भी धन मुहैया हो वह स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च हो। शिक्षा पर इस एवज में खर्च हो जिस तरह से एन0एच0पी0सी0 केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करके वहां पर स्कूलों को खोलती है। छोटे पावर प्रोजैक्ट चाहे एक मेगावाट का है या किलोवाट का है या 5, 10, 20, 30 या आगे जितने भी मैगावाट का है इस तरह के हाईडल पावर प्रोजैक्टस जहां पर भी स्थापित हों, उनका वहां पर पहले शिक्षा मूल उद्देश्य रहे कि शिक्षा पर वे लोग वर्षवार इस तरह से खर्च करेंगे। एम0ओ0यू0 में ही इस तरह की व्यवस्था हो जाए ताकि वे आगे जाकर इन चीज़ों से न मुकरें।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हाइडल पावर प्रोजैक्टस जहां भी लगे हैं उन्होंने स्थानीय लोगों को प्रभावित किया है। पूर्व में जब से हम लोग इस धरती पर आए हैं जब से हमने भोजन खाना शुरू किया है तो घराटों (फ्लोर मिल्ज़) का अपना कंसैप्ट रहा है। घराट 12 माही भी होते हैं और 6 माही भी होते हैं इस तरह की खड्डे हैं या इस तरह की नदियां हैं लेकिन एम0ओ0यू0 में कहीं भी घराटों का ज़िक्र हमें मोटे तौर पर देखने को नहीं मिलता है। मैंने शुरूआत में कहा था कि हमारा जो राजनीति में जन्म हुआ था वह डियू टू हाइड्रो पावर हुआ था। उसका मूल कारण यह था कि जो घराट हमारे पूर्वज पता नहीं कितनी सदियों से चला रहे हैं, कोई एक कम्पनी आती है और आते ही वहां पर उन लोगों का पानी डाइवर्ट किया जाता है किसी चैनल के माध्यम से या टनल के माध्यम से तो वे घराट जो 15 परसैंट एम0ओ0यू0 में लिखा होता है...

जारी श्रीमती के0एस0

06.04.2015/1645/केएस/जेटी/1

श्री हंस राज जारी---

तो वह घराट जो 15 प्रतिशत एम.ओ.यू. में लिखा होता है कि 15 प्रतिशत पानी वह उस खड्ड में छोड़ेंगें या उस नदी में छोड़ेंगें लेकिन 15 प्रतिशत तो क्या वहां पर एक या दो प्रतिशत पानी भी हमें देखने को नहीं मिलता है । उसमें कई बार प्रशासन की मिली-भगत भी हो जाती है। मैं तो सरासर सीधे शब्दों में कहूंगा कि कई बार जो हम जैसे स्थानीय लीडर्ज़ होते हैं, उनके निजी स्वार्थ भी वहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं । तो यहां पर

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जो घराट ऑनर्ज़ हैं, लैंड लूज़र का कन्सैप्ट तो यहां पर आ जाता है लेकिन घराट ऑनर्ज़ का कन्सैप्ट कहीं पर भी नहीं आता जबकि घराट का मालिक भी अपने पूरे परिवार का पालन-पोषण उसी से करता है । एक हाईडल पावर प्रोजैक्ट, जिसका हमने जिक्र किया उसके अगेंस्ट हम लोग लड़े थे। लोगों के हितों को देखते हुए वहां पर एक व्यवस्था हुई थी कि एक दैनिक भोगी जिस तरह से दिहाड़ी लेगा उसी तरह से घराट के मालिक को भी मिले। तो इस तरह की कोई व्यवस्था हो और घराटों को एम.ओ.यू. में शामिल किया जाए। प्रदेश में जहां भी हाईड्रो पावर प्रोजैक्ट लगे, हम उसका स्वागत करेंगें प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है लेकिन उन लोगों के हितों के साथ या उस इलाके के साथ अन्याय न हो, इस तरह की व्यवस्था बनी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

06.04.2015/1645/केएस/जेटी/2

अध्यक्षः अब श्री महेश्वर सिंह जी, चर्चा में भाग लेंगें।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव इस सदन के वरिष्ठतम विधायकों में से एक श्री सुरेश भारद्वाज जी ने इस माननीय सदन में चर्चार्थ प्रस्तुत किया है उस संदर्भ में मैं भी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत सी बातें इस सम्बन्ध में आ चुकी है। अन्त में आपने मुझे भी समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, एक समय था कि हिमाचल प्रदेश में इन्वैस्ट करने के लिए निवेशक बाहर से भागे-भागे आते थे। अब चिन्ता का विषय है कि इन्वैस्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? कहां कमी है, इसको देखने की आवश्यकता है। 1977 में शांता कुमार जी कहा करते थे कि कुदरत ने हमको ऐसा पानी दिया जो हजारों मैगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। पत्थर ऐसा दिया जिससे सीमेंट बनता है और प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा दिया, न केवल देश से बल्कि विदेश से भी यहां पर पर्यटक आते हैं। इसलिए इस बात का चिन्तन करना चाहिए कि हम इन चीजों में पिछड़ क्यों रहे हैं? जब तक लोगों में और इन निवेशकों में ठीक तालमेल नहीं बैठेगा यह समस्या उत्पन्न होती रहेगी। विभाग एम.ओ.यू. तैयार करता है और मैंने देखा है कि वह एम.ओ.यू. तब से लेकर

स्टीरियोटाईप चला आया है। क्या उसमें समयानुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है? शुरू से लेकर एक बात लिखी है कि जो भी यहां प्रोजैक्ट लगाएगा वह 70:30 की रेशो में नौकरी देगा । क्या कभी इसकी समीक्षा हुई है कि कोई प्रोजैक्ट है जिसने इसका अनुपालन किया है। जब अनुपालन ही नहीं होता तो बार-बार उसको लिखने से क्या होता है? जहां बिजली उत्पादन प्रदेश

06.04.2015/1645/केएस/जेटी/3

के लिए आय का साधन है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए इससे समस्याएं भी उत्पन्न होती है। सबसे पहले उनकी समस्या के समाधान की ओर ध्यान देना चाहिए। क्या सचमुच हम ध्यान देते हैं? आज हालत ऐसी है कि निवेशक आ नहीं रहा है और उसके न आने के कई कारण है। जब स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, दिए हुए वायदे पूरे नहीं होते तो वे वहां पर जा कर आंदोलन करते हैं, धरने देते हैं, कई दिन काम रुका रहता है। मुझे याद है 1998 में एन.एच.पी.सी. के साथ एम.ओ.यू. हुआ। उस वक्त मान्यवर धूमल जी मुख्य मंत्री थे। तो जहां यह 70:30 की बात कही गई, मैंने उस वक्त भी कहा था कि केवल एक शब्द लिख देना कि 70 प्रतिशत अनस्किल्ड हिमाचली होंगें, प्रथम अधिकार किसका है? उन लोगों का है जो प्रभावित होते हैं, विस्थापित होते हैं। इस चीज को देखने की जरूरत है कि प्रभावित और विस्थापित कितने उसमें समायोजित हुए और फिर एम.ओ.यू. में एन.एच.पी.सी. की तरफ से बड़ी चतुराई से एक शब्द लिखा गया कि हम स्थानीय लोगों को रोज़गार देंगें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

6.4.2015/1650/jt/av/1

श्री महेश्वर सिंह जारी--------
कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। धूमल जी को याद होगा उसमें एक शब्द लिखा था subject to availability of vacancy. इनका ऑफिस फरीदाबाद में है। चौकीदार या चपड़ासी लगने के लिए फरीदाबाद कौन जायेगा? वहां पर पूरे देश के स्तर का कम्पीटिशन होता है, हिमाचल का कहां खड़ा होगा। उसका नतीजा यही हुआ कि 'न नौ मण तेल डलेगा और न राधा नाचेगी'। वहां पर एक भी आदमी स्थाई तौर पर नहीं लग

पाया। मैं धूमल जी का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। मैंने जब धूमल जी को एम.ओ.यू. की यह लाइन पढ़ाई थी तो उन्होंने फिर आर.आर.प्लान की बात कही। आर.आर.प्लान बन गया। जब आर.आर. प्लान बन गया तो वर्ष 1999 में एन.एच.पी.सी. ने यह कहा कि हम अब 20 लोगों को स्थाई रोजगार देंगे। वहां पर दो चरण हैंः द्वितीय और तृतीय। दोनों में 20-20 लोगों को रोजगार देंगे। मैंने पूछा कि यह बीस का आंकड़ा कहां से आया? दिनांक 26.7.2014 को हमारे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। मैंने उसमें यह बात उठाई कि आर.आर.प्लान में जब आपने यह बात मानी है कि विस्थापित किसको माना जायेगा तो उस परिभाषा में आप बीस पर क्यों टिके? वे 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं; यह किस ज्योतिष ने बताया कि 20-20 होंगे। उसके बाद उसको रिवाईज करके 60 की बात हुई मगर अभी भी मामला अधर में लटका हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, आज सबसे ज्यादा विद्युत परियोजनाएं जिला किन्नौर में आई हैं। एम.ओ.यू. में यह भी था कि जो जंगल कटेंगे उनकी भरपाई के लिए नये जंगलों को लगाने के लिए पैसा होगा। समय आ गया है, वर्षों बीत गये, वन विभाग बतायें कि आपका दोबारा लगाया हुआ कौन सा जंगल सफल हुआ है? जब कनजर्वेशन ऐक्ट आया तो यह इसलिए किया गया था कि जहां जंगल काटना आवश्यक होगा वहां उसकी भरपाई के लिए उतने ही क्षेत्र में जंगल लगाया जायेगा। क्या इनके पास आंकड़े हैं कि कहां जंगल लगा? अगर आपने किन्नौर में वह जंगल लगाये होते तो

6.4.2015/1650/jt/av/2

आज किन्नौर इस प्रकार से बंजर न दिखता। पहले किन्नौर जो हरा-भरा था आज वह डैजर्ट नजर आता है। एक वीरान क्षेत्र नजर आता है और सारा सूना-सूना लगता है। सारे में लैंड स्लाइड हो रहे हैं। आज किन्नौर जिला किस स्थिति से गुजर रहा है, यहां पर उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं। इन्होंने सरकार को इन बातों से अवगत करवाया होगा। आज करछम-वांगतू की क्या हालत है? उर्नी आज एक बोटल नैक बन गया है, वहां पर रोज लैंड स्लाइड हो रहे हैं और सारे-का-सारा किन्नौर जिला बाकी जगह से कट जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, मैंने पिछले सत्र में भी आपकी अनुमति से यहां पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। मैंने कहा था कि कोई स्थाई हल ढूंढिए और उर्नी तथा उसके साथ लगते दूसरे गांव को कहीं दूसरी जगह रीहैबिलिटेट करने की

आवश्यकता है। यह सड़क ठीक नहीं हो सकती और उस वक्त कहा था कि इस पर विचार करेंगे। मैंने वहां के लिए एक सुझाव दिया था, वहां एक डाइवर्शन टनल बनी थी तो वह टनल आपके टापरी के पास है। मैंने कहा था कि इस टनल को कम्पनी से वापिस लो और इसको ट्रैफिक टनल बनाओ तो शायद कुछ हल होगा। उस वक्त यह कहा गया कि नहीं, हम हल ढूंढ रहे हैं। फिर क्या हुआ? उर्नी और चगांव के नीचे से एक बाईपास बनाया गया। अभी उसमें 2 मार्च को एच.आर.टी.सी. की बस सतलुज नदी में चली गई। शुक्र है कि उसमें कोई मरा नहीं। उसके बाद फिर दोबारा से 25 मार्च को आपकी प्रेम सर्विस की बस फंस गई। टनल में पानी लीक हुआ और वह सारा नीचे आया जिसके कारण वहां पर एक बस आज भी पड़ी हुई है। मैंने आज भी उसका फोटो देखा। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए कौन जिम्मेवार है, क्यों समय रहते काम नहीं होता? आज ऐसी स्थिति है कि जब लोग अपनी मांगों को लेकर कहीं सड़कों पर बैठते हैं तो उनके ऊपर दमनचक्र चलाया जाता है और उसका गवाह----------

श्री बी जे द्वारा जारी

06.04.2015/1655/negi/jt/1

श्री महेश्वर सिंह.. जारी.....

और उसका गवाह भी और कोई नही यह करछम-वांगतू प्रोजेक्ट है। अपनी न्यायोचित मांगों को मनाने के लिए 700 लोग बैठे रहे और उनको लोकल पुलिस और अपने सिक्योरिटी के अधिकारियों के साथ इस प्रकार से खदेड़ा गया, वहां पर धारा 144 भी लगाई गई, वे सारी रात जंगलों में रहे। जहां उनके अपने रेन-बसेरे थे वहां तक भी आने नही दिया। यह कहां का न्याय है? आज जितना इन चीज़ों पर दमन चक्र चलाएंगे उतना लोग भड़केंगे। राजनीतिक दल छोटा हो, बड़ा हो सबको लोगों के हित में बात कहने का अधिकार है। फिर जिस प्रकार से यहां पर सी.पी.एम. का ऑफिस है उसमें जाकर जो लूटपाट हुई, जिस प्रकार से उसमें तोडफोड हुई, क्या यह उचित है? उसके बाद उनके नेता सिंघा साहब को उसी सड़क पर रतनपुर और एक अन्य गांव के बीच में स्कॉरपिओ में आ कर उनको टक्कर मारी और वह बुरी तरह घायल हो गए। अगर ऐसा चलेगा तो फिर प्रोजेक्ट कहां से चलेंगे, इन बातों पर चिन्ता करनी चाहिए। यहां एक बात और आई, शायद माननीय भारद्वाज़ जी ने कही होगी, जंगी-ठोपन-पुवारी योजना। यह भी किन्नौर में है। कौन सा कारण है कि यह जो 100 मैगावाट की योजना है, उसके 4 बार अभी तक टेन्डर लग चुके हैं, क्यों कोई आगे नही आ रहा है ? क्या इस कारण को

जानने की काशिश की ? क्या लोगों में और निवेशकों में कोई तालमेल बिठा रहा है? क्योंकि आज लोग डर रहे हैं। इन हडतालों से डर रहे हैं और दूसरी चीज़ों से डर रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार 37 परियोजनाएं जो 5 मैगावाट से ऊपर की हैं उनके लिए 4 बार टेन्डर लग चुका है लेकिन कोई आगे नही आ रहा है। अभी 15 जून तक फिर एक्सटैंड की गई है अगर मैं गलती नही कर रहा हूं तो । मंत्री जी को वहां से सूचना मिल जाएगी यह दे देंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। इनके लिए कोई आगे नही आ रहा है, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। महोदय, जहां भी ये योजनाएं बनती है उन सड़कों का ज्यादा उपयोग प्रोजेक्ट वाले करते हैं। उनकी हैवी-मशीनरी आती है। उन सड़कों की हालत क्या है ? अभी टूरिस्ट सीजन आने वाला है, आज किन्नौर की सड़कों की हालत क्या है? वहां पर सड़क में गड्ढ़े कितने हैं? क्या कोई वहां जा सकेगा? भून्तर से लेकर

06.04.2015/1655/negi/jt/2

मनीकर्ण तक की सड़क, यह सड़क पी.डब्ल्यू.डी. के पास है और इसको पी.डब्ल्यू.डी. मेन्टेन करता है। लेकिन मेन्टेनैंस के लिए पैसा नही है। आज वह सड़क पक्की करते हैं और 15 दिन में उसमें गड्ढ़े पड़ जाते हैं। 15 दिन के बाद यह पता नही लगता है कि सड़क गड्ढ़े में है या गड्ढ़ में सड़क है। मलाना की सड़क, उसके बाद मनीकर्ण से तोष नाले की सड़कें, ये सब सड़कें प्रोजेक्ट वाले चला रहे हैं। वह भी तंग है और कहते हैं कि इनको पी.डब्ल्यू.डी. वाले ले लो, पी.डब्ल्यू.डी. वाले कान पकड़ करके भाग जाते हैं कि हम कैसे मेन्टेन करेंगे, पैसा तो है नही। क्या इसमें कोई तालमेल बिठाया है? क्या जो उस सड़क को यूज करते हैं क्या यूजर से पैसा लेते हैं जिनकी वजह से सड़कें डेमेज़ होती है? कुछ नही लेते हैं। अगर ऐसे चलेगा तो कब तक यह काम चलेगा, यह मेरी समझ में नही है। इनका प्रस्ताव बड़ा सामयिक है। यह आवश्यक है, समय आ गया है कि अगर हम हिमाचल की आय बढ़ाना चाहते हैं तो जो ये हमारे मुख्य स्त्रोत हैं इनके ऊपर हम मिल बैठ कर चर्चा नहीं करेंगे तो हल नही निकलेगा। महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि यहां सुझाव देने से ज्यादा लाभ नही होगा। ज्यादा लाभ तब होगा जो संबंधित अधिकारी है वह इसका एक प्रारूप तैयार करें और बाद में इसकी चर्चा कहीं न कहीं घंटों हों, एक अच्छा एम.ओ.यू. बने ताकि बाहर से भी लोग आएं और निवेश भी करें और लोगों में तालमेल भी बिठाया जाए। इस प्रकार की आवश्यकता है। आज ऐसी हालत है, जो प्रोजेक्ट में ज़मीन दी गई है, वह लोगों की एक्वॉयर्ड ज़मीनें हैं उसमें

एम.ओ.यू. में कंडिशन है अगर मैं गलती नही कर रहा हूं, कि जब प्रोजेक्ट वालों को उसकी जरूरत नही होगी तो प्रथम अधिकार उसको वापिस लेने का सरकार को होगा। द्वितीय अधिकार उसका होगा जिस गरीब की ज़मीन एक्वॉयर की गई है । लेकिन क्या यह ज़मीन वापिस हो रही है ? कहीं प्रोजेक्ट वाले उसका मिसयूज़ तो नही कर रहे हैं? क्या कोई इस बात को देखता है ? क्योंकि इस ज़मीन पर बगीचे नही लग सकते। इस ज़मीन का उपयोग प्रोजेक्ट वाला अपने निजी उपयोग में नही कर सकता। उसको वापिस करनी होती है।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी.....

06.04.2015/1700/यूके/एजी/1

श्री महेश्वर सिंह---जारी---

और मुझे याद है कि मनाली में साल 2009 में वर्तमान मुख्य मंत्री जी उस वक्त भी मुख्य मंत्री थे । उन्होंने विंटर कार्निवाल में एक बात कही थी कि यहां हिमाचल में ऐसे प्रोजेक्ट वाले भी आ गए, जिनकी गाय भी बाहर से आती है, नाई भी बाहर से आता है और बगीचे लगाते हैं और गोबर ढोने के लिए हमारे आदमियों को लगाते हैं । क्या इस पर किसी ने चिंता की? क्या इस बात पर विचारा? अगर लोगों का उत्पीड़न कंपनी वाले करेंगे तो सहयोग नहीं मिलेगा और इसी प्रकार अगर रोज़ वहां पर हड़तालें होती रहेंगीं तो फिर प्रोजेक्ट लगाने कोई नहीं आयेगा । आखिर इन बातों में तालमेल कौन बिठाएगा? कौन देखेगा कि किन्नौर के लिए वैकल्पिक सड़क कहां हो सकती है? कौन सा रास्ता स्थायी हो सकता है, क्या वर्षों तक सोचते रहेंगे ? फिर सीज़न आ जायेगा, फिर सीज़न चला जायेगा । फिर हैलीकॉप्टर में सेब जाएंगे । यह कब तक संभव हो पायेगा ? सड़कों का स्थायी हल हो इसके लिए जहां वन विभाग चिंता करें, एक जगह आऊटर सराज में भी HPCL वाले प्रोजेक्ट लगा रहे हैं । 27 लाख रुपए प्लांटेशन के लिए दिया । मंत्री जी, नोट करें, पता करें । मुझे वहां 27 पेड़ भी नज़र नहीं आए वहां । (व्यवधान) प्रोजेक्ट का विषय ऊर्जा मंत्री जी, आपका है और यह आपका सांझा काम है । वह (वन मंत्री जी)नहीं है, आप है, और हैं और बिजली विभाग आपके पास है, क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं लगेंगे तो चिंता आपकी है, इनको तो कोई चिंता नहीं होगी । वह आपका अधिकार है । इसलिए इन बातों पर ध्यान देना ।

एक और गंभीर विषय है । कुछ प्रोजेक्ट वाले अपना प्रोजेक्ट आधा अधूरा बेच कर जा रहे हैं । क्या उनके ऊपर कोई अंकुश है? इस प्रकार से करने की अनुमति उनको किसने दी? महोदय, फिर वही किन्नौर में शोरंग हाईडल प्रोजेक्ट, नागार्जुन कंपनी ने

वह प्रोजेक्ट लगाया और आधा-अधूरा है, एक नयी कम्पनी इन्होंने ढूंढी टाका कम्पनी TAKA उसकी फुल फॉर्म क्या है, वह अधिकारी लोग जो यहां बैठे हैं, वे जानते होंगे। वह टाका कम्पनी टाटा करके चली गयी। करोड़ो रूपए खा गए। अब इस प्रकार के लोग अगर लाओगे तो फिर लोगों का सहयोग किस प्रकार से मिलेगा ? आखिर जो ठेकेदार हैं वे भी तो हमारे लोग हैं। उन्होंने क्यों काम लिया, सरकार के बलबूते पर? कि सरकार बैठी है, प्रोजेक्ट के पैसे हम सरकार को कह कर ले लेंगे। अब वे भाग गए और अब जो आपको ESI का हॉस्पिटल है, उसमें यही नागार्जुन कम्पनी काम कर रही है। क्या कभी विभाग ने या उच्चाधिकारियों ने चिंता की कि जिन लोगों की देय राशि वे ले गए, उसकी रिकवरी हो। जब नागार्जुन भी

06.04.2015/1700/**यूके/एजी/2**

यहां से निकल जायेगा, तो फिर किसको पकड़ोगे ? इसलिए यदि समय रहते इन बातों का तालमेल बैठेगा, तो महोदय, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। यहां पर बात आ रही थी कि आगे किस प्रकार से चला जाए? मेरा अंत में एक सुझाव है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप संक्षेप में बोलें।

श्री महेश्वर सिंहः सर, आपने बोलने भी अंत में दिया है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं इररेलिवेंट कभी नहीं बोलता। मैं एक सुझाव दे कर अपनी बात समाप्त करूंगा।

हमको इको फ्रैंडली प्रोजेक्ट की ओर जाना चाहिए। सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, जो दरिया में, फ्लोइंग वाटर में छोटे-छोटे चैक-डैम बना कर, उससे बिजली उत्पादन करेंगे तो न तो टनल की जरूरत होती है न जलमग्न होने की दिक्कत होती है। इस ओर हम क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? छोटे-छोटे इस प्रकार के जो इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट हैं, उनका निर्माण हो। तो निश्चित रूप से हम विद्युत उत्पादन भी बढ़ा सकेंगे और अन्त में एक बात कहूंगा महोदय, यह दुर्भाग्य है, यह विडंबना है कि पत्थर हमारा, सीमेंट पैदा होता है तो सीमेंट हिमाचल में पहंगा। बिजली पैदा हमारे हिमाचल के पानी से होती है और हिमाचल में बिजली महंगी। जो कसर रहती है वह बिजली विभाग सरचार्ज लगा कर पूरी कर देता है। समझ में नहीं आता कि यह सरचार्ज क्या है? क्या

बला है, पता नहीं लगता, हर महीने सरचार्ज लगता है । इस प्रकार से बिल आते हैं और मीटर ऐसे दिए जिनकी चर्चा कई बार हो ली । लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला । आखिर कब वह मीटर दिए ? और तो छोड़िए, यदि मोबाइल भी उसके नज़दीक बजता है तो वह घूमना शुरू कर देता है । ऐसे मीटर लगे हैं । आखिर कौन है, उन मीटरों को खरीदने वाला? उनका भी तो कोई दायित्व है? उसको पता करना चाहिए मेरा कहना यह है कि इस बात पर भी चिंता करे । मुझे याद है

एसएलएस द्वारा जारी----

06.04.2015/1705/sls/ag-1

श्री महेश्वर सिंह....जारी...

मुझे याद है, धूमल जी एक बार साँई हाईडल प्रोजैक्ट के उद्घाटन में दोस गांव आए थे। तब इन्होंने कहा कि था कि कम-से-कम एक गांव को तो मुफ्त बिजली दे दो और उन्होंने स्वीकारा था। डुमैस्टिक परपज के लिए इस प्रकार से हो सकता है। जोगिन्द्रनगर की चर्चा हुई। उस समय जो एम.ओ.यू. राजा जोगिन्द्रसेन ने किया था, उसके बारे में अगर किसी को ज्ञात होगा और मुझे लगता है कि धूमल जी को उसके बारे में पूरा पता है; उसमें लिखा था कि ऊहल प्रोजैक्ट वाले मण्डी शहर को मुफ्त में बिजली देंगे। शहर तो छोड़िए, वहां गांव तक को बिजली नहीं मिली जबकि वह प्रोजैक्ट आराम से चल रहा है।

अंत में मेरा एक ही सुझाव है कि ऐसी पॉलिसी बनाइए जो किसान हित में हो, जनहित में हो और जो प्रोजैक्ट के निवेशक हैं उनके भी हित में हो, ताकि हिमाचल की आय में वृद्धि हो सके; हिमाचल खुशहाल हो सके।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय प्रो० प्रेम कुमार धूमल जी चर्चा में भाग लेंगे।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय श्री सुरेश भारद्वाज जी ने अति महत्वपूर्ण विषय पर नियम-130 के अधीन आपकी अनुमति से चर्चा प्रारंभ की है। जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आज कोई आलोचना करने के लिए नहीं बल्कि हम इस प्रदेश को आर्थिक तौर पर कैसे आत्मनिर्भर कर सकते हैं, यह पक्ष, विपक्ष और जो लोग बीच में हैं उनको भी सोचना पड़ेगा।

हमारे तीन मुख्य संशाधन हैं। पर्यटन,वानिकी यानी वनों के माध्यम से हो सकता है, हार्टिकल्चर और पॉवर है। फोरैस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत हम वृक्ष कमर्शियल बेसिज पर नहीं काट सकते। जो स्टेट्स फोरैस्ट को बचाएंगी, इस बार के 14वें वित्तायोग ने 7% वेटेज देकर उनको इस संशाधन का लाभ दिया है। हार्टिकल्चर का लाभ जनरली हार्टिकल्चरिस्ट्ज को होता है। वह इकोनोमिक एक्टिविटी तो है लेकिन इसमें मार्किट फी के रूप में डायरैक्ट इनकम कितनी आती है और बड़े-बड़े उत्पाद बेचने वाले कितना देते हैं, वह एक अलग इसु है। पर्यटन से भी कुछ डायरैक्ट और कुछ इनडायरैक्ट इनकम होती है। इसलिए स्टेट के खज़ाने में डायरैक्ट इनकम का अगर आज कोई सबसे बड़ा सोर्स है तो वह हमारे हाईडल प्रोजैक्ट्स हैं जिनसे फ्री 12% बिजली के कारण, जो स्टेट को मिलती है, उससे हमारे खज़ाने में पैसा आता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जब 1998 में हम सत्ता में आए थे तो प्रदेश में पब्लिक प्राईवेट, सब मिलाकर 2838 मैगावाट बिजली जनरेट होती थी। उसमें 428 मैगावाट बिजली शायद इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जनरेट करता था। मैं आज आंकड़ा देख रहा हूं जो आज मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में देना है। हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड/पॉवर कार्पोरेशन की कुल जनरेशन 490 मैगावाट है। जो ज्वायंट वैंचर में है, जिसमें प्राईवेट सैक्टर भी है, सैंट्रल गवर्नमैंट भी है और प्रदेश सरकार का भी हिस्सा है, वह 7225 मैगावाट है। जो प्योरिली प्राईवेट सैक्टर में जनरेट हो चुकी है, वह 1882 मैगावाट है। जहां काम चल रहा है वह 956 मैगावाट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड/पॉवर

06.04.2015/1705/sls/ag-3

कार्पोरेशन के माध्यम से हैं जो आज इस बात को ज्यादा गति दे रही है। ज्वायंट वैंचर में 1200 मैगावाट है और..

जारी ...श्री गर्ग जी

06/04/2015/1710/RG/AG/1

प्रो. प्रेम कुमार धूमल------क्रमागत

और प्राइवेट सैक्टर में पांच मेगावाट से ऊपर 789 मेगावाट और पांच मेगावाट से कम में 255 मेगावाट जनरेट हुई है और 143 निर्माण में चली है। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह कि यहां कहा गया कि पानी में सोना बहता है, यह हमारा सबसे बड़ा संसाधन है, तो इसको टैप कैसे करें? जो पानी बह गया, वह चला गया, वह वापस नहीं आएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, आपको तो पता है और अगर आपको वर्ष 1925 का ऐग्रीमेंट याद है, तो वर्ष 1962 का कोल डैम का शिलान्यास भी याद होगा। बरमाणा में आज भी वह पत्थर देखा जा सकता है जहां वर्ष 1962 में यू.एस.एस.आर. के साथ मिलकर कोल डैम को लगाने के लिए एक ऐग्रीमेंट हुआ था और फॉउन्डेशन स्टोन ले हुआ था। 38 वर्ष के बाद भारत मॉ के महान सपूत 'भारत रतन' श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम 5 जून, 2000 को सलापड़ लाए और उस 800 मेगावाट कोल डैम का शिलान्यास करवाया और मुझे खुशी है कि पहले दिन जब 200 मेगावाट बिजली की जनरेशन का काम शुरू हुआ, तो अधिकारियों का फोन आया कि सर, आपने यह शुरू करवाया और आज पहला बिजली उत्पादन हुआ है। अब शायद दो यूनिट्स उसके चलने लगे हैं, कुल चार यूनिट्स हैं 200-200 मेगावाट के, यह कुल 800 मेगावाट बिजली जनरेट करेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री एवं प्रदेश सरकार से आग्रह करुंगा कि इस 5 जून को ऐतिहासिक बना दें। 5 जून, 2000 को माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शिलान्यास किया था और 5 जून, 2015 को इसका

उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से करवा दें और इसको प्रदेश को समर्पित करें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : कब उद्घाटन हो गया?

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अब आप बैठकर मैडम से गप्पें मारते रहेंगे, तो क्या होगा। मैंने यह कहा कि 5 जून को आप प्रयास करें, सरकार अनुरोध करे कि प्रोजैक्ट तैयार है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : इकट्ठे चलेंगे।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : यदि आपने इकट्ठे चलने की रिवायत डाली होती, तो अब तक प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया होता। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो काम करने के लिए कहा और इसकी जो जनरेशन दिखाई जा रही है, मुझे याद है कि वर्ष 1982 का विधान सभा का चुनाव था, शायद तब आप चुनाव लड़े थे या नहीं! तो उस समय स्वर्गीय

06/04/2015/1710/RG/AG/2

किशोरी लाल जी हमारे वरिष्ठ नेता चंबा से थे। जो प्रोजैक्ट पहले बन गया उसको हम चमेरा-टू बोलते हैं और जो बाद में बना उसको हम चमेरा-वन बोलते हैं, इस प्रकार चमेरा-थ्री भी बना। उस समय श्री बिक्रम महाजन जी केन्द्र में मंत्री थे, उनको लाया गया और चंबा शहर के सामने जहां किशोरी लाल जी का मकान है उनके आंगन के पास 300 मेगावाट का शिलान्यास कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 1962 की एक बात सुनाई थी, एक बात वर्ष 1982 की सुना रहा हूं। तो उसके बाद वह प्रोजैक्ट फिर बंद रहा, उस पर कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ इलैक्शन के दिनों में शिलान्यास हुआ। वर्ष 2000 में फिर स्वर्गीय कुमार मंगलम, युनियन पॉवर मिनिस्टर को हम यहां लाए। उसका फिर शिलान्यास करवाकर एन.एच.पी.सी. को देकर वह प्रोजैक्ट भी शुरू करवाया और 300 मेगावाट बिजली का जनरेशन भी तीन सालों के अंदर शुरू भी हुआ। जो भाखड़ा बांध का जिक्र आ रहा है, पौंग बांध का जिक्र आया, तो वह तो माननीय मंत्री जी भी पीड़ित लोगों का हाल जानते हैं। चमेरा टू में भी यही हुआ था। वर्ष 2000 में मैं चंबा प्रवास पर था, श्री गंधर्व सिंह जी हमारे बनीखेत से पूर्व विधायक थे। उनके साथ लोग आकर मिले। चंबा चौगान में एक कार्यक्रम था, मैंने वहां से ही पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार

प्रकाश सिंह बादल जी को फोन किया कि डैम का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, लेकिन जो हमारे लोग उजड़ें हैं जिनके साथ वायदा था कि एक-एक को रोजगार देंगे, तो मैं बादल साहब का धन्यवादी हूं कि उस समय फोन पर निर्णय हुआ और वे काम हुए। सबको उनको नौकरी भी मिली---------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

06/04/2015/1715/MS/AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी----------

मैं बादल साहब का धन्यवादी हूं। उस समय फोन पर निर्णय हुआ। फिर उन सब लोगों को काम और एक-एक को नौकरी भी मिली तथा उनका मुआवजे भी पूरा पे करवाए गया। एक आनंदपुर हाइडल चैनल का समझौता स्व0 दरबारा सिंह पंजाब के मुख्य मंत्री थे और श्री वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के मुख्य मंत्री थे, इनका समझौता हुआ। इसी तरह का शाह नहर का समझौता था। दोनों ही काम रूके हुए थे। 25 क्यूसिक पानी हमें आनंदपुर हाइडल प्रोजैक्ट से लेना था। मैं इस करके बैग्राउंड बता रहा हूं कि जब हम को-ऑपरेट करेंगे तो प्रदेश सरकारें को-ऑपरेट कर सकती हैं, सहयोग कब मिलता है। हमने श्रीनैना देवी के लिए पंजाब से रोप-वे का एग्रीमैंट किया तो कहा कि हिमाचल प्रदेश को इससे नुकसान हो रहा है। हमने यह गेम चलाई थी कि नेशनल इंटेग्रिटी भी होगी और हिन्दु और सिख का प्यार भी बढ़ेगा। जो सिंख आनंदपुर साहब आएगा, तो नैना देवी जब वह आएगा तो जब वापिस उतरेगा तो जाएगा ही आनंदपुर साहब। हमारा स्टेट का क्या इंट्रस्ट था, वह यह था कि जो वहां आएगा वह नैना देवी भी आए ताकि हमारी पर्यटकों की संख्या बढ़े। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी इससे हिमाचल को नुकसान हो रहा है। वह एग्रीमैंट रद्द हो गया और नया एग्रीमैंट आपने कोई नहीं किया है। क्या को-ऑपरेशन होगा? अन्यथा अगर हमने कहा कि यह मानो कि गुरू गोविन्द सिंह जी ने शक्ति की पूजा की थी, चण्डी की पूजा की थी और चण्डी का मंदिर ऊपर नैना देवी में था इसलिए उसके ठीक नीचे उन्होंने आनंदपुर साहब गुरूद्वारा स्थापित किया। नेशनल इंटेग्रेशन भी होती थी और दोनों सम्प्रदाय में सद्भाव भी बढ़ता और दोनों जगह टूरिज्म बढ़ना था लेकिन कैंसिल हो गया। एक मैं अंनतपुर हाइडल प्रोजैक्ट की बात कर रहा था। वर्ष 1998 में शायद वह 12 जुलाई का दिन था। श्री आर0एस0 मान वहां के चीफ सेक्रेटरी थे और यहां पर ओ0पी0 यादव चीफ सेक्रेटरी थे। बादल साहब ने

कहा कि जैसा धूमल साहब बोलते हैं वैसा एग्रीमैंट करके आओ। एग्रीमैंट पीटरहॉफ में हुआ। वर्ष 1982-83 के एग्रीमैंट को हमने 1999 में इम्प्लीमैंट करवाया। जिस चंगर का क्षेत्र जो नैना देवी के नीचे था, जहां लोग गर्मियों के दिनों में पशुओं समेत अपने रिश्तेदारों के वहां पंजाब में चले जाते थे, आज उन लोगों को पीने का पानी तो मिलता ही है बल्कि उनके खेतों को सिंचाई के लिए प्रावधान हमने उस योजना के

06/04/2015/1715/MS/AG/2

माध्यम से करवाया है। कुछ नया सोचना होगा। अध्यक्ष जी, मुझे कविता की वे पंक्तियां याद आ रही हैं कि-

कलम की आंख में तिरता हुआ सपना होगा,
जिन्दा नसल के लिए कुछ नया रचना होगा,
कल बारिश में भीगने का लुत्फ मिले,
तो आज कड़ी धूप में तपना होगा,
पांव तले हरी घास का अहसास हो,
तो नंगे पांव घास के मैदान पर चलना होगा,
जितना भी मर्जी खींच लें शहर की चकाचौंध,
आखिर गांव से ही संबंध अपना होगा।

इस गांव के लोगों के लिए जितने भी वक्ता बोले, वे किसके लिए बोले हैं, जिनकी थोड़ी-थोड़ी जमीन गई है। किसी शहर वाले की जमीन नहीं गई है। उनका किस तरह से पुनर्वास किया जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है और जैसे मैं देख रहा हूं कि जो निर्माणाधीन काम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या पावर कारपोरेशन का अब है। इतने वर्षों में केवल 490 मेगावाट जनरेट हुई है और अब 956 मेगावाट का शुरू हुआ है। जहां तक मुझे याद है लगभग 3200 करोड़ रूपया हमने एशियन डवलपमैंट बैंक से पावर जनरेशन के लिए लोन लिया था। वह सोफ्ट लोन है जो 90:10 की रेशो में है। ये प्रोजैक्ट्स कम्पलीट हों। यह पावर कारपोरेशन जनरेट करेगी तो हिमाचल स्ट्रेंथन होगा, पावर कारपोरेशन स्ट्रेंथन होगी। इसमें कुछ अधिकारियों को फ्री हैंड भी देना पड़ेगा। कुछ निर्णय करने का अधिकार उनको देना होगा, तब जाकर इनीशिएटिव वाले

निर्णय वह ले सकेंगे। ब्रॉड गाइडलाइन्ज आपको देनी होगी कि जो आउट लाइन है, वह याद रखें। हम सबको याद रखना है। हिमालय जो हमारा हिमालय है, हिमाचल प्रदेश में खासकरके, वह फ्रेजाइल है, वह बहुत नाजुक है। वह पहाड़ अभी कच्चा है। उसमें सुरंगें बनेंगी तो भी नुकसान होगा, पेयजल योजनाएं/सिंचाई योजनाएं प्रभावित होंगी और आबादियां प्रभावित होंगी। वे सारी प्रिकॉशन्ज हमें एंटीसिपेट करनी पड़ेगी। अध्यक्ष जी, महेश्वर सिंह जी बार-बार मेरा नाम ले रहे थे।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

06.04.2015/1720/जेके/एजी/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः-----जारी------

अध्यक्ष महोदय, श्री महेश्वर सिंह जी बार-बार मेरा नाम ले रहे थे। ये एक जगह का नाम लेना भूल गए। मैं 24 मार्च, 1998 को पहली बार मुख्य मंत्री बना। 15 अप्रैल का प्रोग्राम हमारा भरमौर का बना। मैं अपने कार्यालय में बैठा था और एक बुजुर्ग सज्जन आए। उन्होंने कहा कि साहब मैं आपको अलविदा कहने आया हूं। मैंने उनसे कहा कि अभी तो लोग बधाई देने लगे हैं, महीना भी नहीं हुआ और आप अलविदा कहने वाले आ गए। सरकार भी गठबन्धन की थी और डर भी था। उन्होंने कहा कि मैंने एक प्रोजैक्ट 86 मैगावाट का लिया था। पांच साल शिमला आ-आ करके मेरे जूते घिस गए और मेरा 6 करोड़ रूपया खर्च हो गया। उसने टिपिकल भाषा इस्तेमाल की उसको बट्टे खाते में डाल करके अब मैं आपको अलविदा कह कर जा रहा हूं। मैंने उनको बिठाया। मैंने उनसे कहा कि आपका शुभ नाम। उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मी झुनझुनवाला हूं । राजस्थान स्पिनिंग मिल का चेयरमैन हूं। मलाणा का प्रोजैक्ट 86 मैगावॉट का लिया हुआ है। उसमें क्लीयरेंसिज ही नहीं मिलती। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें कसम लगे अगर तुम इस काम के लिए शिमला आओ और यह काम मैं करूंगा। दिल्ली से जो करवाना है वह करवाओ। 27 मई को हमने कहा और महेश्वर सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे। बी.जे.पी. और एच.वी.सी. का गठबन्धन था। ये पार्लियामैंट का चुनाव लड़ रहे थे। हमने उस व्यक्ति से कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा है आप अपना काम शुरू कर दो। 27 सितम्बर को हम वहां पर भूमि पूजन के लिए गए। उस समय श्री गोस्वामी जी मुख्य सचिव थे। जब हम वहां पहुंच गए तो पूजा करने वाले पंडित नहीं थे। हमने वहां पर महेश्वर सिंह जी को पंडित बनाया। भूमि पूजन इन्होंने करवाया। उसने कहा कि मेरा तो 6 करोड़ रूपया चला गया उसका क्या होगा? वह तो बिजनैस मैन था। हमने कहा कि तुमने यहां पर बिजली जैनरेट करनी है और उसको पॉवर ग्रिड द्वारा नालागढ़ तक हमने ले जाना है।

ट्रांसमिशन का काम इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड करेगा। मैं उस काम से इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों का धन्यवादी हुआ। अध्यक्ष महोदय, हमने उसको प्राईवेट सेक्टर में कहा कि यदि

06.04.2015/1720/जेके/एजी/2

तुम्हारी 5 साल की डी.पी.आर. है और अगर 5 साल से पहले जैनरेशन शुरू हो जाएगी तो तुम्हे जो 10 पैसे प्रति मिनट ट्रांसमिशन का चार्ज देना है वह तुम 8 पैसे देना। मैंने उससे मज़ाक में कहा कि यदि तुम 4 साल से पहले ही कर दोगे तो 6 पैसे ही देना। उन्होंने वह काम पौने तीन साल में कर दिया। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहले सारे विश्व में यह धारणा थी कि हाईडल पॉवर जो जनरेट होती है वह बहुत ज्यादा टाईम लेती है। उसने कहा कि मैंने इतना जल्दी दिया अब 6 पैसे से भी कम करो। मैंने कहा कि अब काफी बोनस हो गया है जितना होना था। मैं यहां पर विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों और टेक्निकल कर्मचारियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने वह प्रोजैक्ट पौने तीन साल में यदि तैयार किया तो हमारे विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने मलाणा से लेकर नालागढ़ तक वह ट्रांसमिशन लाईन भी ले कर दी थी। उस कारण से ही हम ऊर्जा बचा पाए थे और जब प्राईवटाईजेशन का काम आता था यह चर्चा होती थी कि हमारे लोग एफिसिएंट हैं। कुल मिला करके उस प्रोजैक्ट के माध्यम से हमें एक नया आईडिया मिला। हमने कहा कि एक पॉलिसी में हमने चेंज किया और हो सकता है आपने उसमें चेंज किया हो क्योंकि पॉलिसी चेंज करने का सिलसिला सरकार में चलता रहता है। सरकार की अपनी सोच होती है। हमने कहा कि यदि राजस्थान स्पिनिंग मिल को इन्सेंटिव दिया जा सकता है कि तुम पहले करो तो कम खर्च करो। हमने कहा कि जो डी.पी.आर. बनेगी उसमें जितना समय दिया होगा उससे अगर एक साल पहले कोई पॉवर प्रोजैक्ट जनरेशन में आ जाता है, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिल रहा था, तो वह एक साल पहले 12 परसेंट फ्री पॉवर नहीं देगा वह 11 परसेंट देगा। उससे उसको एक परसेंट का लाभ होता था और स्टेट को 11 परसेंट फालतू मिलते थे। अगर दो साल पहले कर दे तो 10 परसेंट देगा, अगर तीन साल पहले करे तो 9 परसेंट। यानि एक-एक परसेंट का इन्सेंटिव दे करके उससे कुछ पॉवर प्रोजैक्ट्स आगे बढ़े। मैं वही देख रहा था कि जो यहां पर बात सभी पूर्व वक्ताओं ने कही कि कांग्रेस कार्यकाल में 21.8 मैगावॉट स्माल हाईड्रो प्रोजैक्टस की जैनरेशन हुई थी। इसको हमने 375.5 मैगावाट तक बढ़ाया।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

06.04.2015/1725/SS-JT/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल क्रमागतः

जिसको हमने 2008 से 2012 के बीच में 375.5 मैगावाट तक बढ़ाया। 200 प्रोजैक्टस हमने एडवरटाइज़ किये थे और एलॉट भी किये तथा पॉलिसी में उससे पहले चेंज किया। यह ठीक कहा कि पहले प्रोजैक्टस लेने के लिए लोगों में बहुत कम्पीटिशन था, हमने कहा कि अगर छोटे-छोटे भी सारे प्रोजैक्टस बाहर के लोग ले लेंगे तो हमारे नौजवान क्या करेंगे। उसमें ही रिखी राम कौंडल जी रैफर कर रहे थे शायद इलैक्ट्रीसिटी ऐक्ट, 1956 है उसमें प्रावधान है कि केवल इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड या कारपोरेशन ही पावर जनरेट कर सकती है। हमने उसको अमैंड करवाया। हमने कहा कि कारपोरेट सोसाइटी भी कर सकती है। इंजीनियर, सी0ए0, एम0बी0ए0 जो हमारे बच्चे क्वालीफाइड हैं वे सोसाइटी बनाएं और कॉपरेटिव बैंक को कहा कि तुम लोन दोगे। कर्जा वे देंगे ताकि वे जनरेशन करके अपने लिए इम्प्लॉयमैंट सृजन करें और अन्य लोगों को भी इम्प्लॉयमैंट दें। अध्यक्ष महोदय, उसमें से 133 प्रोजैक्टस डिफरेंट स्टेज पर हैं। कुछ में जनरेशन शुरू हो गई है। कुछ में क्लीयरैंसिज़ अभी अटकी हुई हैं लेकिन जिनका ज़िक्र आया कि 37 प्रोजैक्टस, जिसके लिए मारामारी होती थी वे 37 प्रोजैक्टस अब बार-बार एडवरटाइज़ हो रहे हैं। कोई बिडर क्यों नहीं आ रहा? महेश्वर सिंह जी, जंगी-थोपन प्रोजैक्ट 960 मैगावाट का है। Government is in continuity. हालांकि हम उसकी एलॉटमैंट के विरोध में थे जिस आधार पर वह की गई थी। लेकिन हमें जो हाई पावर्ड कमेटी बनी थी उसकी रिक्मेंडेशन आई कि Government is in continuity अगर उन्होंने मान लिया है तो आप इनको कंटीन्यू करवाओ। वह हाई कोर्ट में मामला गया, वहां स्ट्रक-डाउन हो गया। लोग उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए करोड़ रुपया लगाकर लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे वह प्रोजैक्ट सरकार बार-बार एडवरटाइज कर रही है कोई लेने को तैयार नहीं है। यह चिन्ता का विषय है। 960 मैगावाट के बड़े प्रोजैक्ट को भी लेने को कोई तैयार नहीं है। छोटे-छोटे 37 प्रोजैक्टस जोकि 2, 4 या 5 मैगावाट के हैं उसको लेने को कोई तैयार नहीं है। हमने नीतिगत निर्णय लिया था कि दो मैगावाट तक का कोई प्रोजैक्ट किसी बाहर के व्यक्ति को एलॉट नहीं होगा, केवल हिमाचलियों को होगा और शत-प्रतिशत उनको एलॉट किये। 5 मैगावाट में भी everything being equal, preference will be given to Himachali. ये जो 100 मैगावाट तक के प्रोजैक्टस एम0ओ0यू0 के माध्यम से

थे, हमने उसको खत्म किया और ट्रांसपेरेंसी लाए। पारदर्शिता के लिए ओपन कम्पीटिटिव बिडिंग लाए। 5

06.04.2015/1725/SS-JT/2

मैगावाट से ऊपर जो भी प्रोजैक्ट होगा उसमें कम्पीटिशन होगा और उसमें लोगों ने कम्पीट किया और प्रोजेक्टस लिये। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी बात न करते हुए कहना चाहूंगा कि जो आज मामले लटके हुए हैं उसका मुख्य कारण फॉरैस्ट इंवायरनमैंट क्लीयरैंस है। मुझे पता लगा है कि आपको काफी लम्बे समय से किसी प्रोजैक्ट में क्लीयरैंस नहीं मिली। कम्प्लसैरली, जो पानी आपको फ्लोरा और फौना के लिए, वनस्पति और जीव-जन्तुओं के लिए नदी में छोड़ना है, अगर प्रोजैक्ट लगा भी है तो भी जितनी मर्जी बिजली बनाता हो लेकिन 15 परसैंट पानी हमेशा वहां से निकलना चाहिए। अब तो शायद सैंट्रल गवर्नमैंट ने 30 परसैंट बोला है। क्या यह चैक करने के लिए आपने मैकेनिज्म डिवैल्प किया है कि प्रोजैक्ट लगा तो वह 15 परसैंट पानी छोड़ रहा है ताकि मछली तड़फ कर न मर जाए और वहां की वनस्पति समाप्त न हो जाए?

लोकल एरिया डिवैल्पमैंट कमेटी बहुत इफैक्टिव नहीं है, जिसका ज़िक्र हंस राज जी ने भी किया। कारपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी में जो पैसा उनको देना चाहिए उतना दे नहीं पाते या कमेटी नहीं ले पाती या वे नहीं दे रहे। सबसे महत्वपूर्ण यक्ष प्रश्न इस सरकार के लिए यह होगा कि लैंड एक्वीजिशन पर आपकी नीति क्या है? अब 2015 का जो बिल आया है, आप उसको सपोट करते हैं या विरोध करते हैं...

जारी श्रीमती के0एस0

06.04.2015/1730/केएस/जेटी/1

श्री प्रेम कुमार धूमल जारी----

या विरोध करते हैं? हर प्रोजैक्ट इस पर निर्भर करेगा। हाईड्रो पावर उसमें शामिल है। डिफैंस प्रोजैक्ट उसमें शामिल है, रेलवे प्रोजैक्ट उसमें शामिल है, रोड़ डवैल्पमैंट के प्रोजैक्ट उसमें शामिल है,ऐजुकेशन के हैं, हैल्थ के प्रोजैक्ट हैं और 34 में से 32 स्टेट्स ने लिखकर दिया है कि हमें चेंज चाहिए और जो एक्ट अब आया है वह ठीक है। तो इसमें भी भारत सरकार के साथ आपको तालमेल बिठाना होगा । क्या आप उसके पक्ष में

है? तब आप लैंड एक्विज़िशन कर पाएंगें। अगर आपका लैंड एक्विज़िशन का भी वही मैथड रहा, अगर आपका प्रोजैक्ट्स के बारे में वही एटिट्यूड रहता है तो फिर पहले ही इन्वैस्टर नहीं आ रहे हैं तो बाद में कहां से आएंगें?

अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें जो मेरे ध्यान में आई, इस उद्देश्य से कि आईडैंटिफिकेशन तो हम बढ़ाते जा रहे हैं, कभी 20 हजार मैगावाट बोल रहे थे, फिर 22 हुआ फिर 23 मैगावाट हुआ और अब आपके उत्तर के हिसाब से 27346 मैगावाट हो गया। 75 प्रतिशत टोटल जैनरेशन कर सकते हैं जो कैपेसिटी आईडैंटिफाइड है देश की, उसका 25 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है । तो क्या आप पॉलिसी को उसके अनुसार चेंज करेंगें? सरकार अगर खुले मन से सोचेगी और प्रदेश हित की बात करेगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी नीतियां आएंगी, क्योंकि सवाल किसी एक राजनीतिक दल का सत्ता में होने का नहीं है। सरकारें बदलती रहेगी। लोकतंत्र में कभी कोई पार्टी सत्ता में होगी कभी कोई होगी लेकिन जो नीतियां तय हो जाएगी, अगर वह प्रदेश के लिए रिसोर्स

06.04.2015/1730/केएस/जेटी/2

जनरेट करती हैं तो मांगने वाली स्टेट होने के बजाय हमारी सरप्लस स्टेट हो सकती है। पोलिसिज़ हम प्रो-पीपल बनाएं, उनका इंट्रस्ट भी वाच करें लेकिन at the same time, pro investment भी हो। हम इतनी सख्त कंडिशन भी न लगा दें कि कोई इन्वैस्टर ही न आए। आजकल वैसे ही कोई नहीं आ रहा है। आपकी अपनी पावर कॉर्पोरेशन के लिए आपको जमीन चाहिए। सरप्लस लैंड की जो दिक्कत है, एक बात कहकर अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भाखड़ा डैम में जो फालतू जमीन ली गई है वह वापिस नहीं मिल रही है। सुन्दरनगर के पास बहुत अच्छी जमीन बी.एस.एल. प्रोजैक्ट में ली गई वह किसान को वापिस नहीं मिल रही है। पौंग डैम में नाजायज़ काश्त कर लेते हैं जितने दिन पानी उतरता है लेकिन जो फालतू जमीन है उसको वापिस नहीं करते। इन सारे विषयों पर एक बार सामूहिक विचार करके नीतिगत निर्णय अगर लिए जाएंगें तो निश्चित तौर पर नदियों में पानी के रूप में बहता हुआ सोना जो है उसको प्रदेश की सहायता के लिए, प्रदेश के विकास के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश को सचमुच में देश का सबसे समृद्ध

राज्य बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धन्यवाद।

06.04.2015/1730/केएस/जेटी/3

Speaker: Last but not the least, Shri Jagat Singh Negi, Hon. Deputy Speaker. माननीय उपाध्यक्ष भी इस बारे में कुछ बात कहना चाहते हैं। ये अपने क्षेत्र के मुताबिक बात रखेंगें। Kindly be brief so that we can finish the matter.

उपाध्यक्षः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी ने नियम 130 के तहत हाईड्रो पावर पॉलिसी पर जो प्रस्ताव यहां रखा है, उस पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल में बड़े-बड़े कारखाने लगने में अभी समय लगेगा परन्तु एक कारखाना जैसे हमारे विपक्ष के नेता माननीय धूमल जी ने बताया कि ये जो बिजली के कारखाने हैं, इसके द्वारा हम हिमाचल प्रदेश में जो हमारे माली हालात है, उनको सुधारने में तेज़ी से काम कर सकते हैं। आज मुझसे पूर्व वक्ताओं ने पूरे हिमाचल में कितनी हजार मैगावाट बिजली तैयार हो सकती है और उसकी क्या स्थिति है, क्या कमियां हैं, इस बारे में अपने-अपने विचार रखे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। यह भी सही है कि आज सबसे ज्यादा हाईड्रो पावर अगर जैनरेट हो रहा है तो वह हमारे जिला किन्नौर, जनजातीय इलाके में हो रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित भी अगर हाईड्रो प्रोजैक्टों से है तो--

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

6.4.2015/1735/jt/av/1

उपाध्यक्ष जारी-------

सबसे ज्यादा प्रभावित भी किन्नोर जिला है। अमूमन यह देखने में आता है कि आजकल एन.जी.ओज. का एक ही काम है। वे या तो हाइड्रो प्रोजैक्ट्स को बंद करने पर तूली हुई हैं या बंदरों को खुला छोड़ने पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। वे लोगों में एक

डर पैदा करती हैं कि अगर प्रोजैक्ट लगेंगे तो उनसे वहां पर बहुत विनाश होगा जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हर प्रोजैक्ट की अपनी मौके के हिसाब से स्थिति है। कहां पर नुकसान हो सकता है, कहां पर नहीं हो सकता है; उसके लिए एनवायर्नमैंट इम्पैक्ट असैस्मैंट है, वह बहुत जरुरी है। सरकार ने कई बार करवाया भी है परंतु प्रोजैक्ट बनने के बाद जो उस पर काम होना था वह नहीं हो रहा है। इस कारण से लोगों में बहुत रोष है। अभी यहां पर बात कही गई कि लोगों को, इनवैस्टर्ज या बड़ी-बड़ी कम्पनियों को किस तरह से आकर्षित किया जा सकता है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यहां बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। उस इलाके के लोगों के लिए इसको आकर्षण का केंद्र कैसे बनाया जाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वर्ष 2006 में लोकल एरिया डिवैल्पमैंट ऑथोरिटी की पॉलिसी आई जिसमें पहली बार यह प्रावधान किया गया कि प्रोजैक्ट की जो लागत है उसका डेढ़ प्रतिशत स्थानीय प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च किया जायेगा। उसके साथ में आर.आर.प्लान का प्रावधान था। वहां पर भूमि अर्जित करने के लिए आउट ऑफ कोर्ट जाकर भी कम्पनसेशन देने का प्रावधान होना चाहिए। साथ में, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात होनी चाहिए। इनके ऊपर कुछ प्रतिशत काम हुआ है जिससे लोगों को लगा कि प्रोजैक्ट बनने से नुकसान ही नहीं, फायदा भी है। मगर जहां पर रोजगार नहीं मिला, जहां पर लैंड ऐक्विजिशन के बाद कम्पनसेशन नहीं मिला, जहां पर स्थानीय लोगों के साथ कम्पनियों द्वारा किए गए एग्रिमैंट्स को इम्पलीमैंट नहीं किया; उससे लोगों में भारी रोष पैदा हुआ है। यह कहना भी गलत है कि इन प्रोजैक्टों के बनने से उस इलाके में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जिला किन्नौर में ज्यादातर प्रोजैक्ट ऐसी जगहों पर बने हैं जहां पर बहुत बड़ा एरिया किसी काम का नहीं है। छोटे-छोटे बांध बनते हैं

6.4.2015/1735/jt/av/2

उसमें कोई उपजाऊ भूमि तो जाती नहीं है। हम टनल के बारे में शुरु से ही इस माननीय सदन में कहते रहे हैं। अगर टी.बी.एम. को यूज किया जाए तो ब्लास्टिंग से जो नुकसान होता है वह नहीं होगा। मैंने वर्ष 1996 में पहली बार इस मुद्दे को यहां पर उठाया था। उस समय बिजली बोर्ड का जवाब था कि हमारे हिमालय का स्ट्राटा फ्रेजाइल है। यहां पर टी.बी.एम. शुरु नहीं की जा सकती, ये सारी बातें कम्पनियों के फायदे के लिए कही गई। आज जितनी भी मैट्रो लाइन बन रही है वहां टी.बी.एम. का इस्तेमाल हो रहा है। आज कुतुबमीनार के नीचे से भी टनल बन रही है परंतु वहां पर कोई नुकसान नहीं

हो रहा है क्योंकि वहां पर लेटैस्ट टेक्नोलोजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर यहां पर भी टी.बी.एम. को यूज किया जाए तो मुझे लगता है कि लोगों के मन में अपनी भूमि, मकान इत्यादि के बारे में कोई डर नहीं होगा। हम इन प्रोजैक्टों को टी.बी.एम. के माध्यम से बना सकते हैं। वर्ष 2006 में लाडा पॉलिसी में डेढ़ प्रतिशत का प्रावधान रखा गया था। मगर वर्ष 2015 में भी आप केवल डेढ़ प्रतिशत की ही बात कर रहे हैं। यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं। इस डेढ़ प्रतिशत को बढ़ाकर 3 प्रतिशत किया जाए ताकि उस इलाके के लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा फायदा हो। वर्ष 2009 में अधिसूचित किया गया कि फ्री बिजली का जो एक प्रतिशत है उसका जो प्रोफिट का पैसा आयेगा उसको प्रभावित लोगों को नकद के रूप में बांटा जायेगा। चमेरा में शुरु किया गया परंतु बाकी किसी भी प्रोजैक्ट में यह अभी तक शुरु नहीं किया गया। इसके कारण लोगों में बड़ा भारी रोष है। एक प्रतिशत पैसा जो डायरैक्ट कैश के रूप में मिलना है यह अगर हमारे प्रभावित क्षैत्र के लोगों को मिले तो लोग उन प्रोजैक्टों के खिलाफ नहीं जायेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे हाइड्रो पावर पॉलिसी में इन बातों को लाने की जरुरत है। नई सोच की जरुरत है, हम जब नया सोचेंगे और स्थानीय लोगों को ठीक से समझायेंगे कि इस प्रोजैक्ट के बनने से इतना-इतना नुकसान होगा और ----

श्री बी जे द्वारा जारी

06.04.2015/1740/negi/ag/1

माननीय उपाध्यक्ष महोदय .. जारी.....

इस प्रोजेक्ट में इतना-इतना नुकसान होगा और इतना-इतना इसका फायदा होगा। प्रोजेक्ट बनने के बाद जब तक प्रोजेक्ट की आयु है उसमें हमें एक परसेन्ट पैसा कैश के रूप में मिलेगा। हमें इस एक परसेन्ट के ऊपर भी विचार करना होगा। वर्ष 2009 में धूमल साहब ने इसको अधिसूचित किया था। अब इस एक परसेन्ट को बढ़ा कर 2 परसेन्ट करने की जरूरत है। हमें तो अभी यह दिया ही नही है। एन.जे.पी.सी. वाले देने को तैयार नही है। वह कहते हैं कि जेनरेशन के बाद देना है। वह कहते हैं कि रिट्रोस्पेटिवली हम नही देंगे। आपको भाखड़ा वाले नही देंगे और दूसरे प्रोजेक्ट जो पहले बने हैं वो नही देंगे। बिजली बोर्ड का अपना संजय जल विद्युत परियोजना जो 120 मैगावाट का है, ये लोग देने को तैयार नही है। इसके ऊपर भी कानून बनाने की जरूरत है। इसको रिट्रोस्पेक्टिवली क्यों न किया जाए? प्रोस्पेक्टिवली तो जो नए प्रोजेक्ट आएंगे उनके साथ तो आप एम.ओ.यू. साईन करेंगे परन्तु जिन लोगों का जेनरेशन बहुत पहले

से हो रहा है और उन्होंने अरबों रूपये इसमें अर्जित किए हैं। आज मैं एन.जे.पी.सी. की बात करना चाहूंगा, उस समय लोकल एरिया डिवलपमैन्ट फण्ड की बात नही थी । एन.जे.पी.सी. का 1500 मैगावाट का जेनरेशन है और एन.जे.पी.सी. ने उसी पैसों से आज हिन्दूस्तान में ही नही, भूटान के अन्दर और नेपाल के अन्दर प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं। उन्होंने इस 1500 मैगावाट से ही फायदा उठाया है। परन्तु स्थानीय लोगों के लिए एन.जे.पी.सी. आज सी.एस.आर. का, क्योंकि उस समय लोकल एरिया डिवलपमैन्ट फण्ड का कॉन्सैप्ट नही था, सी.एस.आर. का एक पैसा वहां देने को तैयार नही है। सी.एस.आर. का पैसा वह आज टॉयलेट्स बनाने को हिन्दूस्तान के पता नही किस-किस जगह में दे रहे हैं, जबकि प्रोजेक्ट इफैक्टिड एरिया के लोगों के घरों में टॉयलेट्स नही हैं। उनको तो टॉयलेट देते नही है। केन्द्र सरकार का इनको आदेश गया कि जो सी.एस.आर. का पैसा है इसको देश में टॉयलेट्स बनाने के लिए डाला जाए। मेरा यह सुझाव है कि इसमें एक नीति बनाने की आवश्यकता है। एन.जे.पी.सी. हिमाचल में पहला प्रोजेक्ट है, जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे उस समय उन्होंने इसमें 25 परसेन्ट

06.04.2015/1740/negi/ag/2

हिमाचल का शेयर रखा। यह पहला प्रोजेक्ट है जिसमें 25 परसेन्ट हिमाचल का शेयर है और 12 परसेन्ट उसमें फ्री बिजली है। इसका जो सी.एस.आर. का पैसा है क्यों न यह 2 परसेन्ट देने का इस प्रोजेक्ट से ही शुरूआत किया जाए? नाथपा और झाकड़ी के बीच में 29 किलोमीटर का जो टनल बना है, जो प्रभावित पंचायतें हैं उनको आज तक सी.एस.आर का एक पैसा भी नही मिल रहा है । हमने इस बारे में मामला बार-बार एन.जे.पी.सी. का जो प्रबन्धन है उनके साथ उठाया है। लेकिन कोई नतीजा नही निकला है। अंत में क्या होगा? प्रोजेक्ट इफैक्टिड एरिया के लोग सड़कों पर उतरेंगे तब फिर इस बारे में सोचा जाएगा। क्यों लोगों को मजबूर हो करके सड़कों पर उतरना पड़े? उससे पहले क्यों न जो हमारा हक है वह दिया जाए। आज जिला किन्नौर में 120 मैगावाट का संजय जल विद्युत परियोजना है। इसमें एक फायदा बहुत हुआ कि स्थानीय लोगों को उस ज़माने के हिसाब से बेलदार की नौकरी मिली। आज कई सौ लोग रेगुलर हो गए हैं। परन्तु साथ में जे.पी. का 1200 मैगावाट का करछम-वांगतू प्रोजेक्ट है और जे.पी. का ही 300 मैगावाट का बास्पा प्रोजेक्ट है। बास्पा प्रोजेक्ट जब बना उस समय लाडा का कोई कॉन्सैप्ट नही था। आज भी हमें सी.एस.आर. का पैसा

बास्पा प्रोजेक्ट से नही मिल रहा है। करछम-वांगतू प्रोजेक्ट में वर्ष 2007 में एक सप्लीमेन्टरी इम्पलिमेन्टेशन एग्रीमैन्ट की हमने मांग की थी और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि इन्होंने 2007 में एक सप्लीमेन्टरी इम्पलिमेन्टेशन एग्रीमैन्ट बना कर लाडा का कॉन्सैप्ट, उस समय जो यह 900 मैगावाट का प्रोजेक्ट था, बाद में यह 1200 मैगावाट के आसपास चला गया है, इसमें इसको लागू किया गया है। इसमें दुःख की बात है कि वर्ष 2011 में लाडा पॉलिसी बदली गई और इसके बदलने के फलस्वरूप क्या हुआ, जो लाडा का 103 करोड़ रूपये इस प्रोजेक्ट से उस समय मिलना था उसको घटा कर 86 करोड़ रूपये लाया गया और साथ में उस कम्पनी को छूट दे दी गई कि अगर उसने कोई भी काम प्रभावित क्षेत्र में अपने लेवल पर किया है तो वह लाडा में इसको चार्ज करेगी। इसी कम्पनी ने 54 करोड़ रूपये लाडा में चार्ज किया और केवल मात्र 17 करोड़ रूपये लाडा में बचा। परन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि जैसे

06.04.2015/1740/negi/ag/3

ही दोबारा सरकार आई, हमने इस मुद्दे को उठाया और उनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें दोबारा से लाडा को करछम-वांगतू में 103 करोड़ रूपये किया गया और साथ में उन्होंने जो 54 करोड़ रूपये की छूट मांगी थी उसको घटा कर उसमें से 12 करोड़ रूपये जो जे.पी. का हॉस्पिटल है, उसको बाहर किया गया। 7 करोड़ का जो वहां पर आई.टी.आई. था उसको बाहर किया गया। जे.पी. का अपना एक प्राइवेट स्कूल है, उसका ढ़ाई करोड़ रूपये बाहर किया गया। 65 लाख रूपये जो सरस्वती विद्या मन्दिर को दिया था उसको बाहर किया गया। इसी तरह से अन्य जो काम थे, जो प्रोजेक्ट ने अपने फायदे के लिए किए थे उनको बाहर निकाल कर आज केवल मात्र कुछ करोड़ रूपये उसमें चार्ज करने को उस पॉलिसी के मुताबिक रखा गया है। यहां पर इस पॉलिसी में एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन किया गया है उसमें जो लोकल एरिया डिवलपमैन्ट कमेटी है ...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी.....

उपाध्यक्ष --जारी----

कि उसमें लोकल एरिया डवेलपमेंट कमेटी के चेयरमैन डिप्टी कमिशनर हैं, परन्तु किन्नौर के संदर्भ में हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से साल 2006 में जब लाडा लग रहा था, उस समय निवेदन कर के MLA को लाडा का चेयरमैन बनाया । हमने इसको बड़ी इमानदारी से और बड़ी तेजी से हिमाचल प्रदेश में पहली बार LADC को शुरू किया । परन्तु वर्ष 2011 की पॉलिसी में यह परिवर्तन कर दिया, पहले SDM लाडा कमेटी के जो सेक्रेटरी होते थे, उनको बदल कर 2011 में प्रोजेक्ट का कोई भी आफिसर जो प्रोजेक्ट वाले नॉमिनेट करेंगे उसको सेक्रेटरी बनाने की एक बात कही है । परन्तु यह अभी इम्पलीमैंट नहीं हुआ है । 2011 में भी नहीं हुआ और उसके बाद के वर्षों में भी नहीं हुआ । परन्तु अभी कागजों में यह पॉलिसी में खड़ा है । इसको भी बदलने की जरूरत है । कैसे एक प्रोजैक्ट का आदमी LADC का सेक्रेटरी होगा । यह समझ से बाहर है । सारा पैसे का हिसाब-किताब वह रखेगा, कोई पैसे लेने है या कोई पैसा खर्च होना है उसका भी हिसाब वही रखेगा । इससे उसमें कोई पारदर्शिता नहीं हो सकती । इसको बदलने की सख्त जरूरत है ।

इसके साथ में यहां पर HPCL की बात हुई । धूमल साहब, 2000 में मुख्य मंत्री बने । मेरा कंशग प्रोजेक्ट है, 68 मेगावाट का शुरू हुआ था जिसको अपग्रेड करके 220 मेगावाट बनाना था । उसका इन्होंने साल 2000 में फाऊंडेशन स्टोन रखा । उसके बाद सरकारें बदली, दोबारा भी बदली, आज 2015 हो गया है वह 68 मेगावाट का प्रोजेक्ट नहीं बना । अगर इस गति से प्रोजेक्ट बनने लगे और वह भी HPCL जैसे सरकार के कारपोरेशन बनाने लगे तो लगता नहीं है कि जो हमारा सोना बह रहा है और कशंग का पानी सतलुज में 15 सालों में पता नहीं कितना चला गया ? वह सोना सारा फालतू चला गया ।

इसी तरह से 400 मेगावाट का जिसमें मेरी तीन पंचायतें हैं शांगठांग और कड़छम, 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है । इसकी पूरी पंचायतों ने NOC दिया हुआ है । उसमें भी काम यदि कछुए की चाल से चले और जिसमें धूमल साहब बता रहे थे कि 3000 करोड़ रुपए एश्यिन डवेलपमैंट बैंक से मिला है । उसमें मेरे किन्नौर का, हमारे ट्राइबल एरिया का जो 2010 में इक्विटी का पैसा दे रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं, वह

पैसा भी उसमें जा रहा है । वह लोन के रूप और इक्विटी के रूप में जा रहा है । फिर भी वह प्रोजेक्ट धीमी गति से चल रहा है । इसके ऊपर भी विचार करने की आवश्यकता है । इस HPCL को इसके काम को या जितने भी हाइड्रो पॉवर पॉलिसी

06.04.2015/1745/यूके/एजी/2

के तहत जो भी काम हो रहा है, उसके लिए एक हाई पॉवर कमेटी बनाने का मैं सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा । उस हाई पॉवर कमेटी में आप सभी स्थानीय विधायकों या जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उनको भी मैम्बर रखिए और हर 3 महीने में इस हाई पॉवर कमेटी की मीटिंग बुलाइए ताकि जो भी उसमें कमियां हैं, चाहे प्रोजेक्ट बनाने के लिए है या उस में DPRs बनाने के लिए है, चाहे स्थानीय लोगों की समस्या है, वह इस कमेटी के माध्यम से करें ताकि तेजी से पॉवर प्रोजक्ट्स बनने शुरू हों जिससे इसका फायदा हमारे हिमाचल प्रदेश को भी मिले और स्थानीय लोगों की भी जो समस्याएं हैं उसको भी दूर किया जा सके ।

अभी महेश्वर सिंह जी ने कहा, पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने किन्नौर के बारे में काफी जिक्र किया । परन्तु जो बात महेश्वर सिंह जी ने कही है । यह हकीकत से परे है । ये शायद रिमोट कंट्रोल से या मोबाइल में सुनी सुनाई इनकी सूचनाएं हैं । पहले तो आपने कहा, क्योंकि आप भी मजबूर हैं, आपका भी जनाधार बनना चाहिए । परन्तु उरनी ढांक के बारे में आपकी जो भी बात थी, वह बिल्कुल गलत थी । उरनी ढांक में पहली बार इस तरह से लैंड स्लाईड नहीं हुआ है यह वर्ष 1982 से चला आ रहा है और इसके बहुत सारे कारण हैं, एक कारण प्रोजेक्ट भी हो सकता है । मैं नहीं कहता कि प्रोजेक्टों से नहीं हुआ है । इसके नीचे जो टनल की आपने बात की, यह राष्ट्रीय उच्च मार्ग का हिस्सा है, जैसे ही यह बाधित हुआ सबसे पहले हमने वहां पर मौके पर जा कर फ्लशिंग टनल है 500 मीटर की, जे0पी0 कम्पनी का, उसको यूज़ करने के लिए हमने मौके में अन्दर जा कर देखा । परन्तु उसके अन्दर 90 डिग्री का एक कर्व है, जिसमें गाड़ियां नहीं चल सकतीं और उसका लैवल अप और डाऊन है । एक ऐडिट और दूसरे ऐडिट के बीच में भी फर्क है । परन्तु हमने राष्ट्रीय उच्च मार्ग विभाग के अधिकारियों को दिल्ली से बुलाया । उनको हमने सजेशन दिया है कि इसके 500 मीटर अन्दर एक छोटा सा टनल बनाया जा सकता है, ट्रैफिक का । राष्ट्रीय उच्च मार्ग विभाग के लोग आए, वे वापिस चले गए दिल्ली और उन्होंने इसके लिए कोई 2 करोड़ रूपए

का बजट सैंक्शन किया है कि उरनी के ऊपर एक डंगा लगाया जाए, उसको रोका जाए । वह मौके के हिसाब से बिल्कुल गलत है । उसका परमानेंट सॉल्यूशन तो एक वहां ट्रेफिक टनल है, जिसके लिए

06.04.2015/1745/यूके/एजी/3

हमने काफी कोशिश भी की है, प्लानिंग की मीटिंग में भी विषय को उठाया है और हम केन्द्र सरकार को भी बार-बार लिख रहे हैं कि यह टनल नेश्नल डिफैंस प्वाइंट ऑफ व्यू से भी स्पिति का इलाका पूरा आता है ।

एसएलएस द्वारा जारी----

06.04.2015/1750/sls/jt-1.

माननीय उपाध्यक्ष....जारी...

किन्नौर का ¾ इलाका है और हमारा पूरा बार्डर एरिया है; आर्मी की गाड़ियां और आर्मी का सारा राशन इसी के थ्रू जाना है। पिछली बार हमने 4-1/2 करोड़ रुपया खर्च करके वैकल्पिक रास्ता बनाया और रिकॉर्ड समय में इस रोड को तैयार करके किन्नौर का लगभग 24 लाख पेटी सेव वहां से निकाला है। इसमें हमें सरकार से पूरी मदद मिली है। अभी हमने एक और वैकल्पिक एक किलोमीटर सड़क अलग से बनाई है। जो बस सतलुज में गिरने की बात आप (श्री महेश्वर सिंह जी) बता रहे थे, वहां कोई बस सतलुज में नहीं गिरी। सतलुज के अंदर से हमने एक ह्यूम पाईप के ऊपर से टैंपरेरी रोड बनाया था, उसमें पानी आ गया और उस बस का एक टायर उस पानी में आ गया। अब आपने उसको बहुत हाईलाईट किया है, परंतु वैसी बात नहीं है। आपने दूसरी बस की बात की जो गिर गई है। वह एक नाला है जिसमें बहुत ज्यादा बर्फ पिघलने पर उसमें हमेशा बाढ़ आती है। वह जबरदस्ती उसको क्रॉस कर रहा था। बस उसके हाथ से छूट गई और उसने छलांग मार दी। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है।...(व्यवधान)... मैं तो नहीं कहता कि झूठ बोलते हैं पर मैं यह कह रहा हूं कि रिमोट से सुना है, इसलिए शायद सुनने में फर्क पड़ गया होगा। यह बातें किन्नौर के बारे में थीं।

फिर आपने सोरंग प्रोजैक्ट की बात की है। टाका ने कोई टाटा नहीं किया। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि वह हैदराबाद वाली कंपनी चली गई। वह वहां टाईम पर पैसा नहीं देते थे लेकिन टाका के आने के बाद जो भी हमारा एग्रीमैंट हैदराबाद की कंपनी के साथ

था, उसको टाका ने ऑनर किया है। पहली बार किसी भी प्रोजैक्ट में एक बहुत बढ़िया पैकेज, जो वहां के लोग काम पर थे, जिनकी रिटैंचमैंट हुई है, यह एग्रीमैंट हमने टाका के साथ किया। 8 साल के लिए 103 लोगों को, जिनमें लैंड लूजर भी हैं या बिना लैंड लूजर भी हैं, सबको महीने का 5000-5000 रुपये देने का प्रावधान किया है। इसलिए हमारे वहां सोरंग में कहीं कोई किसी किसम की समस्या नहीं है। जहां तक आपने कड़छम-वांगतू की जे.पी. कंपनी की बात उठाई, वह भी

06.04.2015/1750/sls/jt-2

शायद इस चर्चा का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी ने आपको मौका दिया और मुझे इसका जवाब देना ही पड़ेगा। कड़छम वांगतू का जो प्रोजैक्ट है, इसमें आज दिन तक कभी किसी भी पार्टी के लोगों ने वहां कोई यूनियन नहीं बनाई। यह पहली बार है कि वहां इंटक का यूनियन बना। आज 20 साल से ऊपर इसको काम करते हुए हो गए और पहली बार वहां इंटक का झंडा बुलंट हुआ। वहां के जो मज़दूर हैं, पहली बार उनकी मांगों को आगे रखा गया। उसी के फलस्वरूप 500 रुपये महीने का बढ़ा। वहां फैक्टरी एक्ट भी लागू किया गया। आज जो हमारा एल. सी. का मज़दूर है, उसको 1000 रुपये से ऊपर का फायदा हुआ है। यहां पर अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 10 रुपये मज़दूरी बढ़ाई, उसको मिलाकर 1500 रुपये महीना एक मज़दूर का वहां पर बढ़ रहा है। इसके अलावा भी वहां पर बहुत सारी बातें हैं। मैं नहीं कहता कि यह सारी मांगे पूरी हो गई हैं, मांगे अभी बहुत सारी हैं। परंतु मुझे इस बात का अफसोस है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए वहां हमारे मज़दूरों को गुमराह कर रखा है और उनको सही बात नहीं बताई है। कानून से ऊपर कोई नहीं जा सकता। कानूनन कंपनी जो पैसा दे रही है, आप उससे ज्यादा कैसे दिलाएंगे? यह एक विषय है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम उनको किस प्रकार से राहत दिलाएंगे। बेचारे गरीब मज़दूरों को झूठी आशाएं देकर उनको क्यों मुसीबत में डाला जा रहा है, यह मैं पूछना चाहता हूं।

Speaker : Wind up, please.

उपाध्यक्ष : इन्हीं शब्दों के साथ मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि मैंने जो मुद्दे यहां पर रखे हैं, मेरा माननीय मंत्री जी से विशेषकर निवेदन रहेगा कि यहां पर बहुत सारी बातें

रखी गईं, अगर उन पर ध्यान देंगे तभी हमारे बिजली के कारखानें तेजी से चलेंगे और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में मदद मिलेगी।

मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं कि मेरे किन्नौर को परियोजनाओं के कारण अब बहुत कुछ दिया जाना चाहिए। आज सबसे ज्यादा 3000 मैगावाट बिजली हम आपको दे रहे हैं। हमें अब ज़रूर एक बढ़िया पैकेज मिलना चाहिए। आप अप-

06.04.2015/1750/sls/jt-3

फ्रंट मनी मांग रहे हैं, उसमें भी हमें हिस्सा चाहिए। आप जो बिजली फ्री ले रहे हैं, उसमें भी आप हमें हिस्सा दीजिए ताकि अन्य क्षेत्रों में भी, जहां बिजली के प्रोजैक्ट बनेंगे, लोग उनमें आकर्षित हो सकें। लोग कहेंगे कि यह प्रोजैक्ट बनाने में कोई नुकसान नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने समय दिया। आपका धन्यवाद।

06.04.2015/1750/sls/jt-4

अध्यक्ष : इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के बाद अब मैं माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे चर्चा का उत्तर दें। ...(व्यवधान)... कौंडल जी, इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद कोई प्रश्न नहीं हो सकता।
श्री रिखी राम कौंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने लैपटॉप पर 16 पेज का उत्तर दे दिया है जिसे सभी ने पढ़ लिया है। अब इनके द्वारा और उत्तर दिए जाने की क्या आवश्यकता है? ...(व्यवधान)...

जारी ...श्री गर्ग जी

06/04/2015/1755/RG/AG/1

अध्यक्ष महोदय------**क्रमागत**
कह रहे हैं कि मुझे सारे नियम आते हैं, तो इस पर कोई चर्चा नहीं होती, इस पर कोई प्रश्न नहीं होता, इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं होती।

श्री रिखी राम कौंडल : अब तो हमारे पास जवाब आ गया, उत्तर हमारे पास आ गया। अब क्या फायदा?

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सुनिश्चित किया जाए कि सदन में मंत्री के जवाब से पहले जवाब लैप टॉप पर न आए।-----(व्यवधान)----

अध्यक्ष : माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि अब वे चर्चा का उत्तर दें। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो उत्तर वे देंगे वह लैप टॉप पर तो होगा ही। आप उसको साथ-साथ पढ़ते रहिए। What is the problem? आप लोग बीच में न बोलें। आप उत्तर दीजिए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष जी, ये इतने लोग इतनी देर तक बोले हैं और बहुत सस्ते किस्म की टिप्पणियां मेरे ऊपर भी की गई हैं और उसके लीडर श्री रिख राम कौंडल जी हैं। मैं इधर से बिल्कुल कुछ नहीं बोला और इधर से कोई भी नहीं बोला। हम केवल इनकी सुनते रहे।

अध्यक्ष जी, यह जो प्रस्ताव नियम 130 के अन्तर्गत यहां लाया गया है, --(व्यवधान)--इसका उत्तर तो माननीय मुख्य मंत्री जी को देना चाहिए था। क्यों देना चाहिए था? क्योंकि ये सारे-के-सारे बजट के ऊपर बोले हैं। पॉवर पॉलिसी के ऊपर कोई नहीं बोला। ---(व्यवधान)---लैण्ड ऐक्वीजिशन ऐक्ट, सारी जगह गलत बना है। अध्यक्ष जी, जब मैं बोलता हूं, तो धूमल साहब को बहुत गुस्सा आता है। इनके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं बोला और न ही मैं बोलूंगा। यह कमेंट्री करना इनका काम है, मेरा नहीं है, मैं इनके ऊपर कमेंट्री नहीं करता और जब मैं करुंगा, तो इनको मुश्किल हो जाएगी। यहां पर डॉ. बिन्दल जी बोले कि गिरी बाता प्रोजैक्ट के टेल- ऐण्ड का पानी खड्ड बन गया और सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया। इस बात को ध्यान से सुनो कि गिरी बाता प्रोजैक्ट वर्ष 1971 में बना था। वर्ष 1971 में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद एक सरकार बनी, उसमें मैं भी था वह जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनी, वर्ष 1990 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वर्ष 1993 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी, वर्ष 1998 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वर्ष 2003 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी, वर्ष 2007-08 में फिर इनकी सरकार बनी, तो इनको वर्ष 1971 से आज दिन

तक याद नहीं आया, आज ये मुझे तो कह रहे हैं। सबसे दुःख की बात यही है कि जिस बात पर कोई बात होनी चाहिए थी, किसी बात पर ये कोई सुझाव देते कि यहां कोई निवेशक नहीं आ रहे हैं उनको लाने के लिए क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। क्या कमी है कि निवेशक नहीं आ रहे हैं। यह तो यहां कोई बात नहीं की गई।

श्री रिखी राम कौंडल : यह टिप्पणी करने से बात नहीं बनेगी।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : बात सुनो, मिस्टर कौंडल, मैं आपके ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इसी विधान सभा में वर्ष 1990 में आपने राजा वीरभद्र सिंह जी को 'तू' करके कहा था, मुझे तो आपने नॉन-सीरियस ही कहा है। अब अधिकतर प्रोजैक्ट वह पुराने वाला जमाना जो था ऐक्वीजिशन वाला या दूसरा, अब टैक्नॉलॉजी चेन्ज हुई है। धूमल जी ने कहा है कि यहां जो लोग लैण्ड ऐक्वीजिशन के बारे में बोले हैं, ये गांव से हैं और किसान हैं----जारी

एम.एस. द्वारा जारी

6/04/2015/1800/MS/JT/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जारी----------

ये गांव से हैं, ये किसान हैं और इनकी भी अपनी जमीनें हैं और इनकी भी जमीनें गई हैं। जमीन मेरी भी गई है और हमें भी राजस्थान बसाने का फैसला हुआ था। जिस वक्त हम राजस्थान गए तो मेरे साथ 40 आदमी थे। उनमें तीन ने किस्ते भरी थी, बाकी सब भाग गए। घर वापिस आकर महिलाओं ने कहा और वे उनके पीछे पड़ी तब जाकर उन्होंने दुबारा से किस्तें दीं। तो इस तरीके से वहां से लोग भागे। सैटलमैंट की समस्या का एक कारण यह भी है। यहां यह कह रहे हैं कि एक और हमारे पौंग डैम ऑस्टिज ने सुप्रीम कोर्ट में केस जीता। मैंने ऐसा फैसला आज दिन तक कभी नहीं देखा। उसमें लिखा था कि अगर कोई ऑस्टी अपनी जमीन को बेचकर चला जाता है और वहां पर सड़क, स्कूल और पानी की सुविधा नहीं है, then it will be presumed that he was compelled to sell his land and he is entitled for re-allotment in Indira Gandhi Canal area. ऐसा फैसला मैंने आज तक किसी कोर्ट का नहीं पढ़ा। इनकी सरकार थी। इनके रेवेन्यु मिनिस्टर 23 बसें भरकर जैसलमेर लेकर गए और वहां पर फेंककर आ

गए। जो जमीन हमें जिला श्रीगंगा नगर में मिलनी चाहिए थी, उन 1200-1300 आदमियों को वहां फेंक दिया। कसूर किसका, हमारा। (व्यवधान) एग्रीमैंट हमारा इंदिरा गांधी कनाल एरिया का था। (व्यवधान) बिगाड़ने का इसलिए किया कि जिस वक्त आपकी सरकार आई तो डैम ऑस्टिज शांता कुमार जी को मिलने के लिए आए। तो शांता कुमार जी ने पता क्या बोला, कि सुनो, तुम्हारी छुंज के तो पैसे नहीं है और क्या चाहते हैं? यह आपके मुख्य मंत्री का जवाब था और तीन-चार सालों में एक मीटिंग राजस्थान में नहीं होने दी। (व्यवधान) जब बोला है तो दूसरे की भी सुन लो। (व्यवधान) मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, आप थे। मैं वर्ष 1990 की बात कर रहा हूं और जो आदमी वहां 1300 लोगों को छोड़कर आया, उस समय आपकी सरकार थी और धूमल जी आप हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। (व्यवधान) मैं बाहर था। मैं उस वक्त हारा हुआ था। अगर मैं अंदर होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। वर्ष 1990 में शांता कुमार जी के साथ जीतकर नहीं आया था। मैं उस वक्त जनता पार्टी में नहीं था बल्कि कांग्रेस से जीतकर आया था और अकेला कांगड़ा, चम्बा और बिलासपुर से जीतकर आया था। (व्यवधान)

6/04/2015/1800/MS/JT/2

अध्यक्ष जी, यहां पर बिजली प्रोडक्शन की बात हुई है कि इनके राज में कितना हुआ। अब सरकार आई है अब क्या हुआ और बाद में क्या होगा। इसके बारे में

मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। (व्यवधान) मेरी नजर वैसे भी इतनी कमजोर नहीं है। अगर लाइट चली जाए मैंने तब भी पढ़ लेना है। (व्यवधान)मैं यही कह रहा हूं कि आप लोगों में और हमारे अंदर यही फर्क है। जितनी देर तक आप लोग बोले मैंने एक लफ्ज नहीं बोला।

Projects commissioned from 2013 to date. आज तक इस सरकार के समय में। Big projects above 5 mw - 10 Nos.; total capacity 1804 mw. Small projects 14 Nos.; total capacity 50 mw; total production 1804 mw. Projects commissioned from 2008 to 2012: Total number of projects small (5 mw) - 16; total capacity created 1680.30 mw. Small projects 35; total capacity 142 mw; total production 1822 mw. आपके पांच साल के 1822 और हमारे ढाई साल में 1854 हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

06.04.2015/1805/जेके/एजी/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः -----**जारी**--------
अब बाकी अण्डर कन्स्ट्रक्शन हैं। और जिन प्रोजैक्टस की आप बात कर रहे हैं कि यहां पर कोई आ नहीं रहा, आप लोगों ने जो स्लैक्टिड प्रोजैक्टस थे वे तो दे दिए और 37 प्रोजैक्ट्स हमारे पास थे in most difficult and hard areas. Nobody wants to go there for work. इस ढंग से आपने काम किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इनकी बात का क्या ज़वाब देना है? इन्होंने पॉलिसी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं और कोई सुझाव पॉवर पॉलिसी के बारे में नहीं दिया। एक बात इन्होंने यहां पर की है कि जो प्रोजैक्टस हैं उनकी सुरक्षा का क्या प्रबन्ध है? ____(व्यवधान)____मैं आप लोगों का ज़वाब दे रहा हूं । ____(व्यवधान)____ मैं आप लोगों का ज़वाब दे रहा हूं। मैं ज़वाब दे रहा हूं। आप लोग पहले बैठो।

अध्यक्षः प्लीज सभी माननीय सदस्य बैठ जाएं। ____(व्यवधान)____ प्लीज बैठ जाएं।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने माननीय सदन से बहिर्गमन किया)

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, श्री हंस राज जी ने कुछ कहा लेकिन सुनने से पहले धूमल साहब इनके लीडर जो हैं वे इनको बाहर ले गए। क्योंकि इनको पता लगा कि मेरी पांच साल की प्रोडक्शन केपेसिटी जो है वह 1800 कुछ है और इनकी ढाई साल की है। हमने प्रोजैक्ट की सुरक्षा के लिए एक कमेटी बनाई है और उसको हम काफी हाई पॉवर्ड कमेटी बनाने जा रहे हैं। जितने भी इस समय हमारे प्रोजैक्ट बन रहे हैं या आगे बनने वाले हैं या बन चुके हैं, हमने उन 20-25 की इस वक्त तक इन्सपैक्शन कर दी है। मैंने इनको ज़वाब तो देना था लेकिन अब इसको पढ़ा हुआ समझा जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो ये यहां पर बैठे हुए थे लेकिन " कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन बाहर चले गए, अगर कह देता तो सब इज्जतदार बदनाम हो जाते"

06.04.2015/1805/जेके/एजी/2

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी यदि आप बोल देते तो इनको प्रोसीडिंग की एक-एक कॉपी दे देते।

Health & Family Welfare Minister: Mr. Speaker, Sir, I think, the Hon'ble Minister was replying to their queries one by one and there was no occasion for the Opposition to stage a walk-out. It means that they are not ready to listen to the actual and factual position which happened during their period and which is happening during our period because our Government has produced more power and given more projects as compared to their period of five years. इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब ये लोग बोल रहे थे तो मैं भी बड़े ध्यान से सुन रहा था कि क्या बोलेंगे? कुछ अच्छे सुझाव देंगे। हमारी जो एनर्जी पॉलिसी है, उसमें कुछ और अच्छे-अच्छे सुझाव देते कि हम कैसे ज्यादा प्रोजैक्ट्स ला सकते हैं और कैसे प्रोजैक्ट्स को पूरा कर सकते हैं? अपनी गलतियों को छिपाने के लिए ये हकीकत को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे इसलिए मैं समझता हूं कि इनका जो वॉक आऊट है, इनका पर्दाफाश हो रहा था जिसको इनका कोई भी सदस्य सुनने को तैयार ही नहीं था। इनका जो वॉक आऊट है वह अनकॉल्ड फॉर है, अनवॉरंटिड है and we condemn it. It means they have no faith in the democracy. They are not ready to listen to the actual and factual position which was given by the Hon'ble Minister. Therefore, we condemn their walk-out.

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

06.04.2015/1810/SS-JT/1

अध्यक्षः बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूं कि असली बात क्या थी। धूमल साहब के पास एक कागज़ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इन्होंने

कुल 350 मैगावाट प्रोडक्शन की है और मैंने बता दी 2000 मैगावाट की तो सब साथियों को लेकर बाहर चले गए, ये लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन का सवाल है, धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार 7 अप्रैल, 2015 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 06 अप्रैल, 2015 **सचिव।**